वार्षिक प्रतिवेदन
2012-2013

हमारी
सफलता
प्रकृति
की
देन

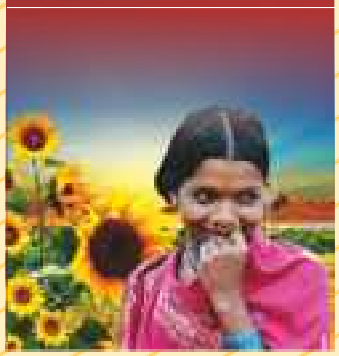

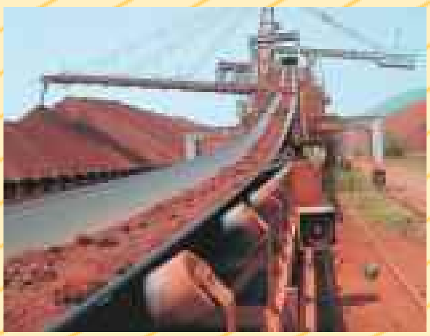

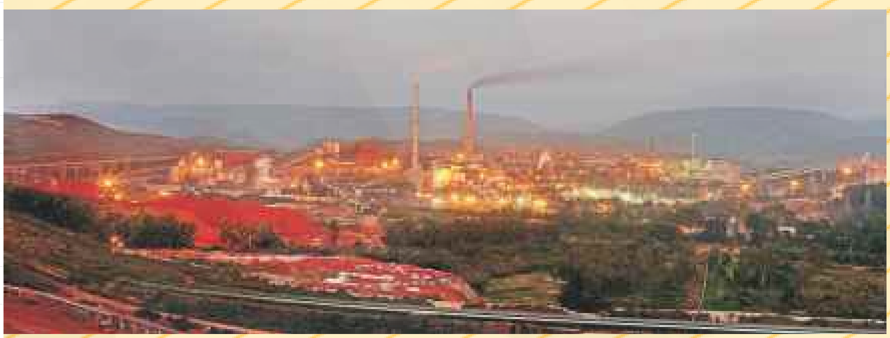

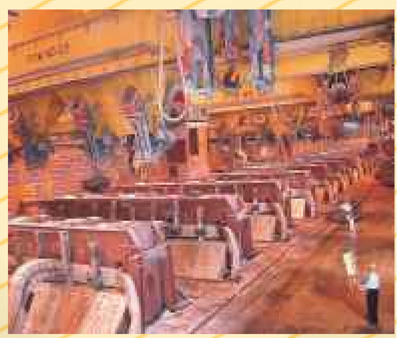

नालको NALCO
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
National Aluminium Company Limited
A NAVRATNA COMPANY
www.nalcoindia.com

y{;

धातु एवं ऊर्जा क्षेत्रों में
एक सम्माननीय
वैश्विक कम्पनी बनना

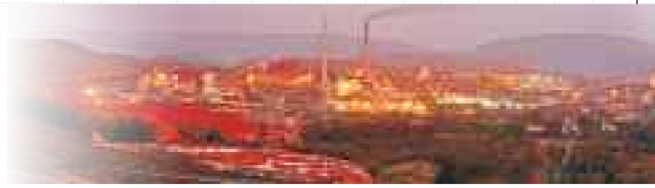

वर्ष एक नजर में

विवरण	इकाई	2012-13
भौतिक		
बॉक्साइट	एमटी	5,419,391
एल्यूमिना हाईड्रेट	एमटी	1,802,000
एल्यूमिनियम	एमटी	403,384
बिजली (निवल)	एमयू	6,076
पवन विद्युत	एमयू	14
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	रु. करोड़ में	3,410
सकल बिक्री	रु. करोड़ में	7,247
कर पूर्व/लाभ	रु. करोड़ में	905
कर–पश्चात लाभ	रु. करोड़ में	593
प्रति शेयर आय	रु.	2.30
प्रति शेयर बुक वैल्यू	रु.	46.30
लाभांश	रु. प्रति शेयर	1.25

विषय सूची

वर्ष एक नजर में	1
निदेशकों की रिपोर्ट	7
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	17
कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	36
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	56
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	62
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	65
वार्षिक लेखाजोखा	66
नकद प्रवाह विवरण	68
5 वर्षों का कार्य निष्पादन–एक नज़र में भौतिक एवं वित्तीय	92
कार्यालय एवं ग्राहक सम्पर्क केन्द्र	95

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय

नालको भवन
पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 061, उड़ीशा
दूरभाष : 0674-2301989-99
फैक्स : 0674-2300470 / 2300580 / 23006777 / 2300740
वेबसाईट : www.nalcoindia.com

32वीं वार्षिक आम बैठक

शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2013 को सुबह 11.00 बजे
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 061.

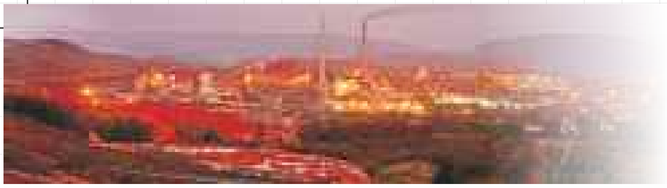

निदेशक मण्डल

श्री अंशुमान दास

श्री अंशुमान दास कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं।

29.04.1955 को जन्मे श्री अंशुमान दास ने वर्ष 1976 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज), राउरकेला से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हुल, यूनाइटेड किंग्डम से एमबीए डिग्री धारण की है। श्री दास ने अपने कॅरिअर की शुरूआत हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड मे प्रबंध प्रशिक्षु के तौर पर की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई से एयरोनॉटिकल उत्पादन में स्नातकोत्तर पाठयक्रम पूरा किया। श्री दास ने नेशनल एल्यूमिनियन कंपनी लिमि. में 1982 में इसकी शुरूआत के दिनों में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने नालको में इसके तकनीकी सेवाएं विभाग में सीएमडी के तकनीकी अधिकारी, कारपोरेट योजना एवं व्यावसायिक प्रकार्य से जुड़े विभिन्न पदों पर काम किया। नालको के शुरूआती दिनों के दौरान इसकी कमीशनिंग गतिविधियों से अपने निकट संबद्धता के साथ उनके पास परियोजना कार्यान्वियन का व्यापक अनुभव है। उनकी घरेलू और विदेशी बिक्री दोनों के लिए विभिन्न विपणन कार्यनीतिक नीतियां बनाने में अहम भूमिका रही है। श्री दास और उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों के जरिए नालको ने कई उपलब्धियां और पुरस्कार हासिल किए हैं।

श्री दास अक्तूबर, 2009 में निदेशक (कामर्सियल) नालको के तौर पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संक्षिप्त अवधि के लिए सामग्री विभाग में, इसके कार्यकारी निदेशक के तौर पर, विभाग प्रमुख रहे। उन्होंने 2012 के दौरान थोड़े समय के लिए नालको के निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

एल्यूमीनियम उद्योग के साथ अपने तीन दशकों के लंबे संपर्क के साथ, श्री दास उद्योग में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों में एक जाने माने व्यक्ति हैं। श्री दास ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और पेपर्स प्रस्तुत करने के लिए विश्व भर में व्यापक यात्राएं की हैं। वर्तमान में एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद) जैसी विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों में प्रमुख पदों को धारण किये हुए हैं। इस समय श्री दास के पास कंपनी के निदेशक (वित्त) और निदेशक (कामर्शियल) का भी अतिरिक्त प्रभार है।

श्री एस.एस.महापात्र

श्री एस.एस.महापात्र 01.10.2011 से कंपनी के निदेशक (उत्पादन) हैं।

20.12.1954 में जन्मे, श्री एस.एस. महापात्र ने यूसीई, बुर्ला से यांत्रिक इंजीनियरिंग में बी.एससी (इंजीनियरिंग) और आईआईएमएम, बंगलौर से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री भी धारण की है। श्री महापात्र ने अपने कॅरिअर की शुरूआत मैसर्स प्रेसेल्स प्राइवेट लिमि. से की और बाद में 1982 में नालकों में कार्य ग्रहण किया। उनके पास बायलर विनिर्माण उद्योग से लेकर एल्यूमीनियम उद्योगों तक 33 वर्ष का विविध अनुभव है।

श्री महापात्र ने प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्वदेशी विकास, सक्रिय एवं भावी सूचक अनुरक्षण प्रणालियों और कास्टिंग तथा रोलिंग सुविधाओं में परिवर्तनकारी योगदान किया है। उनका गुणवत्ता, पर्यावरण और ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट में सराहनीय योगदान रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सभी चार इकाइयों में ओएचएसएएस 18001 और आईएसओ 14001 पुनःप्रमाणन पूरा कर लिया गया। उनके नेतृत्व में कैप्टिव पावर प्लांट की महत्वपूर्ण और जीवनरेखा परियोजना ''पतले घोल के जरिए खानों में राख का न्यूनतम निपटान'' ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कंपनी को एल्यूमिना रिफाइनरी यूनिट के दूसरे चरण के विस्तार कार्य में उनके अथक प्रयासों से जबर्दस्त लाभ पहुंचा है।

श्री महापात्र इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फेलो, भारतीय धातु संस्थान के आजीवन सदस्य और भारतीय वैल्डिंग संस्थान के आजीवन सदस्य हैं। उन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) के नॉन–फेरस खनिजों और उद्योगों की प्रतिष्ठित स्थाई समिति के सदस्य के तौर पर चुना गया है। वे मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउण्ड्री एंड फोर्ज़ टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी) के निदेशक मण्डल के सदस्य भी हैं।

श्री एन आर मोहंती

श्री एन आर मोहंती 01.02.2012 से कंपनी के निदेशक (पीएंडटी) हैं।

13.01.1957 को जन्मे, श्री मोहंती ने 1980 में एनआईटी, राउरकेला से यांत्रिक इंजीनियरिंग में बीएससी इंजी. (ऑनर्स) में स्नातक योग्यता अर्जित की और उन्हें ''संबलपुर विश्वविद्यालय का ''उत्कृष्ट स्नातक'' का सम्मान मिला। उन्होंने एलएंडटी और बाल्को में कार्य करने के उपरांत दिसंबर 1986 में नालको में कार्य ग्रहण किया तथा 01.02.2012 से निदेशक (पीएंडटी) बनने से पूर्व जीएम (ओएंडएम) और जीएम (स्मैल्टर) आदि विभिन्न पदों पर कार्य किया। नालको के बिजनेस विकास विभाग में कार्यरत रहते हुए उन्होंने नालको की नई विजन और मिशन योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके कार्यकाल के दौरान नालको स्मैल्टर ने 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल की और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2011 के लिए एल्युमिनियम सेक्टर में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने नालको को 'हरित ऊर्जा' के क्षेत्र में ओड़िशा से बाहर अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक योगदान किया जिनमें गांडिकोटा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेवा की पहली पवन विद्युत परियोजना को चालू करना और जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेवा की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की निर्माण गतिविधियों की शुरूआत शामिल है। उनके निर्देशन में कई अन्य परियोजनाएं जैसे कि गुजरात में एल्यूमिना रिफाइनरी, दामनजोड़ी में एल्यूमिना रिफाइनरी में 5वां स्ट्रीम, सुंदरगढ़ जिला ओड़िशा में स्मेल्टर और पावर प्लांट, जीएसीएल के साथ कास्टिक सोडा संयंत्र, पीजीसीआईएल आदि के साथ संयुक्त उद्यम के तौर पर एल्यूमिनियम संचालक आदि के लिए सक्रिय रूप से काम चल रहा है। वे भारतीय धातु संस्थान के आजीवन सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फेलो सदस्य और भारतीय वेल्डिंग संस्थान के सदस्य हैं।

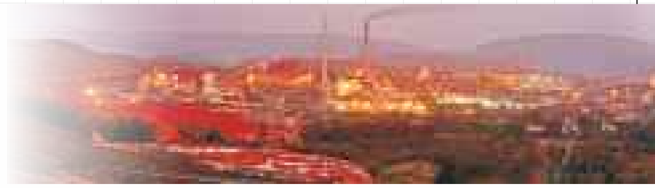

निदेशक मण्डल

श्री एस सी पाढ़ी

श्री एस सी पाढ़ी 20.12.2012 से कंपनी के निदेशक (मा.सं.) हैं।

3 जून, 1956 को जन्मे, श्री पाढ़ी ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, ओड़िशा से श्रम एवं समाज कल्याण में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 1979 में टाटा माइन्स से अपने कॅरिअर की शुरूआत की और टाटा माइन्स, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल में अपने प्रदर्शन के जरिए मानव संसाधन के प्रबंधन में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। एसजेवीएनएल में शेष स्कोर के सिंद्धात पर आधारित 'कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन (पीआरपी)' के कार्यान्वयन तथा बहाली और पुनःतैनाती के जरिए अतिरिक्त मानवशक्ति के प्रभावी इस्तेमाल सहित 'मानव शक्ति का युक्तिसंगत' किया जाना उनके प्रमुख योगदानों में शामिल है। श्री पाढ़ी एनआईपीएम मध्य जोन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के साथ–साथ एनआईपीएम के महानदी अध्याय के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें सितंबर, 2012 में एशिया पेसिफिक मा.सं.वि. कांग्रेस ने श्रेष्ठ मा.सं. नेतृत्व पुरस्कार–2012 प्रदान किया गया है।

श्री पाढ़ी नालको में कार्यभार ग्रहण करने से पहले महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (मा.सं.) थे। एमसीएल में उनके प्रमुख योगदान मा.सं. वि., परियोजना प्रभावित परिवारों के आरएंडआर, अनुबंध श्रमिकों के सांविधिक और गैर सांविधिक कल्याण उपायों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में थे।

दुर्गा शंकर मिश्रा

दुर्गा शंकर मिश्रा कंपनी के अंश–कालिक निदेशक हैं।

04.12.1961 को जन्मे श्री मिश्रा आईआईटी, कानपुर से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजी.) और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी मैकारथु आस्ट्रेलिया से एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस) हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशिन (एआईएमए) से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सामाजिक अध्ययन संस्थान, हेग, नीदरलैंड से लोकतंत्रीकरण, अभिशासन और सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने संघ एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर सेवा की। उन्होंने निदेशक (कार्मिक) और संयुक्त सचिव (विदेशी) के पद पर गृह मंत्रालय में और मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्य किया। राज्य सरकार में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, शहरी विकास, कराधान और नागर विमान विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व भी शामिल है। वे सरकार में अच्छे कारपोरेट शासन में दिलचस्पी रखते हैं।

वर्तमान में श्री मिश्रा खान मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं। वे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में और खनिज अन्वेषण कार्पोरेशन लिमि में भी निदेशक का पद धारण किये हुए हैं। श्री मिश्रा को नालको के निदेशक मण्डल में निदेशक के तौर पर 26.02.2013 से 21.04.2013 तक नियुक्त किया गया था और 04.07.2013 को पुनः नालको बोर्ड में शामिल किया गया।

श्री वेद कुमार जैन

श्री वेद कुमार जैन 21.03.2011 से कंपनी में स्वतंत्र निदेशक हैं।

15.12.1953 को जन्में, श्री वेद कुमार जैन सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों परीक्षाओं में रैंक धारक हैं। तीन बैचलर्स डिग्री धारी श्री जैन ने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से 1973 में पूरी की। 1976 में चार्टर्ड एकाऊन्टेंसी पूरी करने के उपरांत 1979 में उन्होंने अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्टस 1979 में की। उन्होंने 1980 में अपनी बैचलर ऑफ लॉ भी पूरी की। वे आईसीएआई को केंद्रीय परिषद के लिए 2004 में और इसके उपरांत 2007 में चुने गए तथा 2008 में आईसीएआई के अध्यक्ष बने। उन्हें वित्त एवं कराधान में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। एक विशाल रचनाकार, जिनकी हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू और पंजाबी पर पकड़ है, ने प्रत्यक्ष करों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वे कई अन्य कंपनियां जैसे कि मेसर्स प्रोपर्टीज लिमि., पीटीसी इंडिया लिमि., पीटीसी इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमि., वीजे कार्पोरेट एडवाइजर्स (प्रा.) लिमि. तथा आईसीएआई अकाउंटिंग रिसर्च फाउण्डेशन और अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में भी निदेशक का पद धारण किए हुए हैं। वे मैसर्स वेद जैन एंड एसोसिएटस के प्रोप्राइटर भी हैं।

श्री पी.सी.शर्मा

श्री पी.सी.शर्मा 21.03.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

31.03.1950 को जन्मे, श्री पी सी शर्मा ने 1972 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में एम.एससी किया है। वे 1975 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने राज्य और केंद्रीय सरकार में विभिन्न विभागों जैसे कि ग्रामीण विकास, कृषि, उद्योग, पर्यटन, परिवहन आदि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने 2006 में असम के मुख्य सचिव का प्रभार संभाला और 2010 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने राज्य में उग्रवाद के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में विकास दर दहाई के आंकड़े में लाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें नालको बोर्ड में 21.03.2011 को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया। वे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमि. और ब्रह्मपुत्र केमिकल्स एंड पोलीमर्स लिमि. के निदेशक मण्डल में भी हैं।

श्री जी पी जोशी

श्री जी.पी. जोशी 15.09.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

1955 में जन्में, श्री जोशी के पास भौतिक और अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में मास्टर डिग्री तथा वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। वे 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और 2008 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उनके पास केंद्रीय और मणिपुर तथा गुजरात राज्य सरकारों में विभिन्न पदों में तीस वर्षों का अनुभव है। उन्होंने सराफ फूड्स लिमिटेड, पीचिज एंड प्लम्स रिसॉर्टस प्रा लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बोर्डों के निदेशक के रूप में सेवा की है।

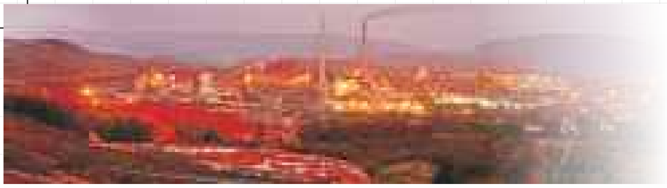

निदेशक मण्डल

श्री एस एस खुराना

श्री एस एस खुराना 15.09.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव–श्री एस एस खुराना (आईआईटी/रूड़की का एक पूर्वछात्र) भारतीय रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में मज़बूत प्रशासनिक, निगम, प्रबंधन और तकनीकी अनुभव रखते हैं। रेल मंत्रालय में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के सर्वोच्च स्तर के पद के अलावा उन्होंने सदस्य स्टाफ, रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन सचिव, पूर्व तट रेलवे और पूर्व रेलवे के जोनल रेलवे के महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे की एडीआरए डिवीजन के मण्डल रेल प्रबंधक जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इसके अलावा उन्होंने रेल मंत्रालय के दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात इरकॉन इंटरनेशनल लिमि. और डेडिकेटिड फ्रेट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के अध्यक्ष आदि कार्यों का निर्वहन किया। उन्होंने इलाहाबाद में रेलवे विद्युतीकरण के मुख्य वैद्युत इंजीनियर और अंबाला के रेलवे विद्युतीकरण के मुख्य परियोजना प्रबंधक के तौर पर भी कार्य किया। श्री खुराना ने ''स्टर्न बिजनेस स्कूल, न्यूयार्क, अमरीका से उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने अध्ययन दौरों के साथ–साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के निरीक्षण, डिज़ाइन एवं विकास के लिए कई देशों का दौरा किया। उन्होंने इन देशों में रेलवे के बारे में व्यापक अनुभव और ज्ञान हासिल किया है।

श्री मधुकर गुप्ता

श्री मधुकर गुप्ता 27.12.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री मधुकर गुप्ता राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। वे 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उनके पास केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के राज्य सरकारों में 38 वर्ष से अधिक कार्य अनुभव है। वे गृह सचिव, भारत सरकार के पद से सेवानिवृत्त हुए। इससे पूर्व उनके द्वारा धारित पदों में केंद्रीय सरकार में उर्वरक और युवा मामले तथा क्रीड़ा मंत्रालयों/विभागों के सचिव, खान विभाग के अपर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, और क्षेत्रीय निदेशक (मध्य पूर्व) भारतीय निवेश केंद्र, अबु धाबी, और मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार तथा अन्य महत्वपूर्ण पद, जिनमें राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं, सम्मिलित हैं। वे क्वीन एलिजाबेथ हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अधिसदस्य थे, और पूर्व में उन्होंने तूरिन, इटली में आईएलओ सेंटर से ग्रामीण विकास परियोजनाएं : डिज़ाइन एवं मूल्यांकन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के सलाहकार के तौर पर भी काम किया।

श्री जी एच अमिन

श्री जी एच अमिन 27.12.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

28.03.1947 को जन्मे, श्री जी एच अमिन एक विज्ञान स्नातक हैं और उन्होंने विधि में डिग्री प्राप्त की है। वे गुजरात उच्च न्यायालय में 38 वर्षों से प्रेक्टिस कर हैं। वे गुजरात बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं। श्री अमिन भारत में सहकारी क्षेत्र में बहुत योगदान किया है। वे अहमदाबाद ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमि. के अध्यक्ष और दि कासमोस सहकारी बैंक लिमि. (बहु राज्य बैंक) के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। वे नेशनल को–ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया–नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। वे बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1961 की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य थे। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के भूतपूर्व कोर्ट सदस्य तथा गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के पूर्व सिंडीकेट सदस्य थे। उन्होंने जैसे कई पुरस्कार अपने नाम किया है। सहकारी प्रबंधन में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यूएनओ और यूनेस्को से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस से प्रशंसा–पत्र।

श्री केसर शमीम

श्री केसर शमीम 10.07.2012 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

05.06.1951 को जन्मे, श्री केसर शमीन ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और एलएलबी की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बथ, यू.के. से वित्तीय अध्ययन में एमएससी की है। उन्होंने हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी, तोक्यो, जापान से अर्थशास्त्र में अनुसंधान भी किया है। उन्होंने केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हारवर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए से ट्रेड पालिसी प्रोग्राम, हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी, ओसाका, जापान से जापानी भाषा प्रमाण–पत्र पाठयक्रम भी किया है। वे 1974 में आईआरएस में शामिल हुए और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर 37 वर्षों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत रहते हुए वस्त्र निर्यात और डब्ल्यूटीओ वार्ताओं आदि की देखरेख की। मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में सेवा की। हुए। श्री शमीम कारपोरेट गवर्नेंस के मामलों के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने देश के बड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निगमों के कामकाज की बड़े पैमाने पर देखरेख की है। श्री शमीम भारतीय हज़ समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री संजीव बत्रा

श्री संजीव बत्रा 10.07.2012 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

17.09.1950 को जन्मे, श्री संजीव बत्रा ने आईआईटी, नई दिल्ली से बी.टैक (विद्युत) डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। उन्होंने आईआईएफटी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्टिफिकेट पाठयक्रम भी किया है। उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विपणन, कार्यनीतिक नियोजन, व्यापार विविधकरण, वस्तुओं के आयात और निर्यात हेतु नीति निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और संभारतंत्र तथा व्यापार से संबंधित अवसंरचना के प्रोत्साहन के क्षेत्र में 40 वर्षों का कार्यानुभव है। अंत में उन्होंने एमएमटीसी लिमिटेड के सीएमडी के तौर पर काम किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग अपनाते हुए एमएमटीसी को एक समेकित एकजुटता प्रदान करने हेतु प्रमुख बदलाव के लिए उनकी भूमिका रही। वे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनसीडीईएक्स), मुंबई, मिडईस्ट स्टील कंपनी लिमि. के बोर्ड में निदेशक और न्यू जेन रिसोर्सिस प्रा. लिमि., सिंगापुर में प्रबंध निदेशक हैं।

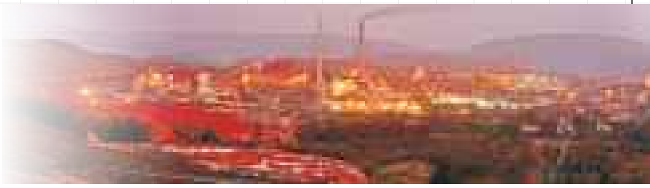

कार्यपालक निदेशकगण

श्री पी के महान्ति, आईएएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी एन महान्ति, कार्यपालक निदेशक (एमएंडआर)

श्री गौतम चांद
कार्यपालक निदेशक (विपणन)

श्री एन सुंदराय
कार्यपालक निदेशक (सामग्री)

श्री के एन रविंद्र
कंपनी सचिव

श्री एस पी पटनायक कार्यपालक निदेशक (सीपी एंड बीडी)

श्री के सी सामल
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

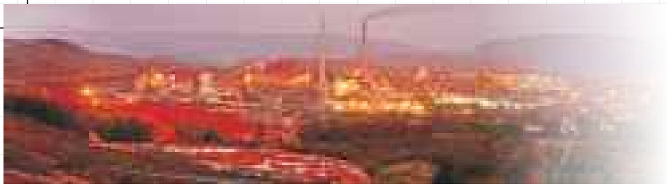

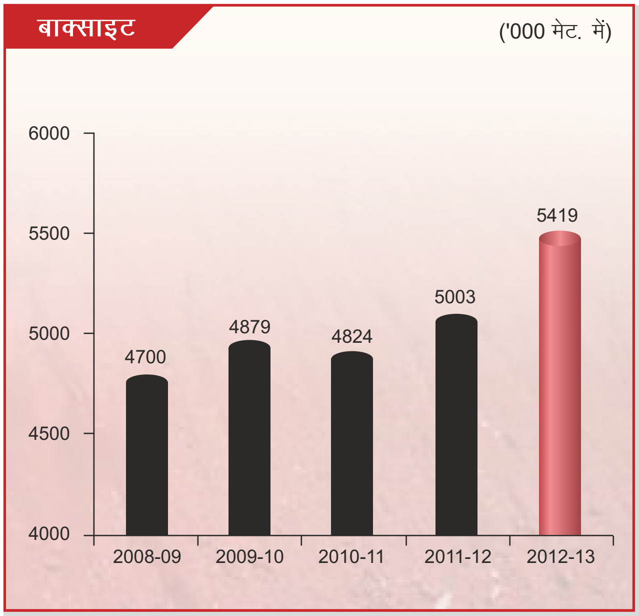
बाक्साइट
('000 मेट. में)
6000
5500
5000
4500
4000
4700
4879
4824
5003
5419
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

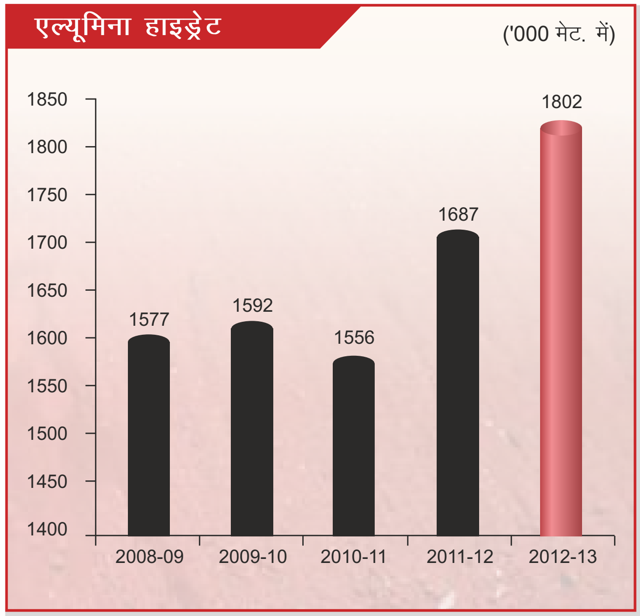
एल्यूमिना हाइड्रेट
('000 मेट. में)
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1577
1592
1556
1687
1802
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

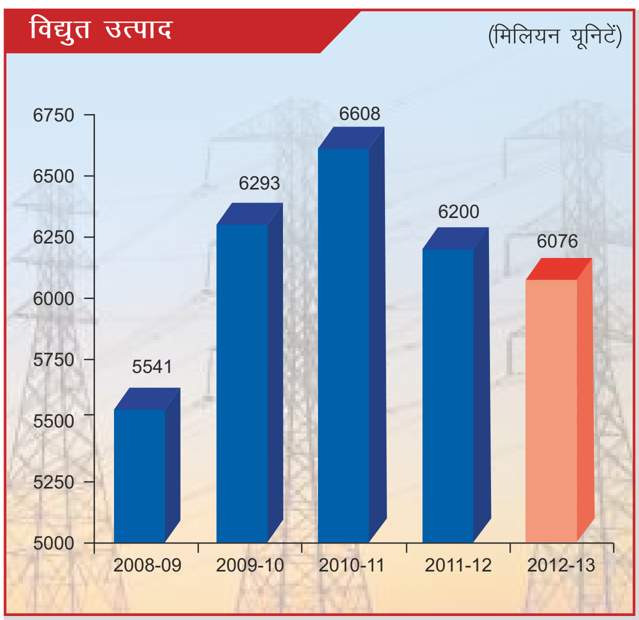
विद्युत उत्पाद
(मिलियन यूनिटें)
6750
6500
6250
6000
5750
5500
5250
5000
5541
6293
6608
6200
6076
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

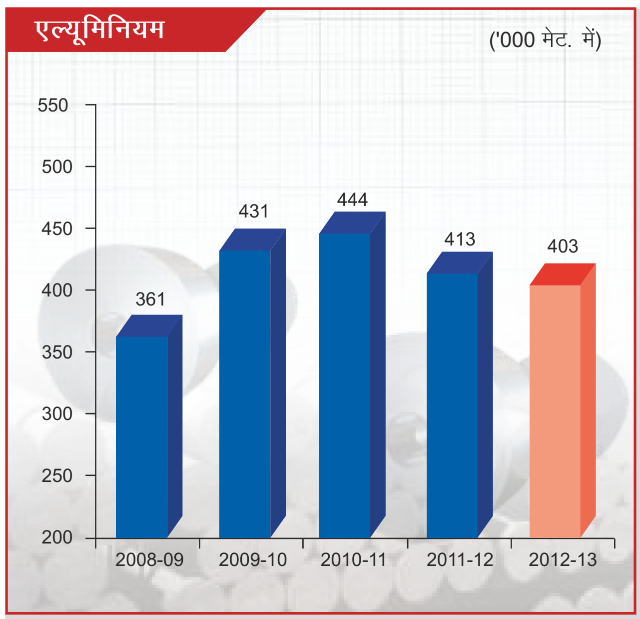
एल्यूमिनियम
('000 मेट. में)
550
500
450
400
350
300
250
200
361
431
444
413
403
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा की गई विवरणी और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित आपकी कंपनी की 32वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

कार्यनिष्पादन के मुख्य अंश

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी की बॉक्साइट खानों ने पिछले वर्ष के श्रेष्ठ 50.03 लाख मी.ट. (2011–12) के मुकाबले 54.19 लाख मी.ट. परिवहन के साथ इसकी स्थापना से अब तक का सबसे ऊंचा उत्पादन, खनन लीज़ के समाप्त होने से खानों के अप्रचालन के कारण करीब एक माह की उत्पादन हानि और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण 3 माह के लिए रात्रि पारी में प्रचालन निलंबित होने के बावजूद हासिल किया है।

इसी तरह दामनजोड़ी में आपकी कंपनी के एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र ने भी पिछले श्रेष्ठ 16.87 लाख मी.ट. (2011–12) के मुकाबले 18.02 लाख मी.ट. के एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन के साथ इसकी स्थापना से अब तक का सबसे उच्च उत्पादन हासिल किया है।

माननीय मंत्री स्मेल्टर में नये फ़्यूम शोधन संयंत्र के लिए पहला कंक्रीट डालने के अवसर पर

अनगुल में एल्यूमीनियम स्मेल्टर संयंत्र ने 2010–11 में 4.44 लाख मी.ट. और 2011–12 के दौरान 4.13 लाख मी.ट. के श्रेष्ठ निष्पादन के मुकाबले 4.03 लाख मी.ट. का कास्ट मेटल उत्पादन हासिल किया है। कम एलएमई मूल्यों की स्थिति के मद्देनज़र आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान करीब 100 पॉट्स रोकते हुए धातु उत्पादन में आगे कमी करने का समझदारीपूर्ण फ़ैसला किया। आपकी कंपनी ने आगे मुख्यतः लिंकेज कोयले से उत्पादित विद्युत पर आधारित 960 पॉट्स में से करीब 625 पाट्स के प्रचालन का फ़ैसला किया है। यह विश्वभर में समेल्टर्स द्वारा लागू अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप है। इससे कंपनी को धातु उत्पादन लागत में कमी लाने में मदद मिली है।

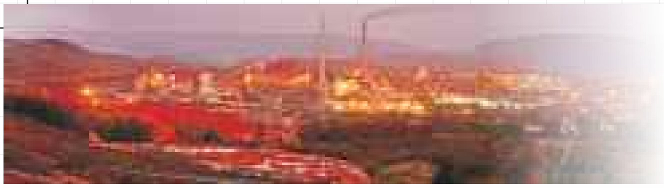

आय विवरण (2012–13) (रु. करोड़ में)

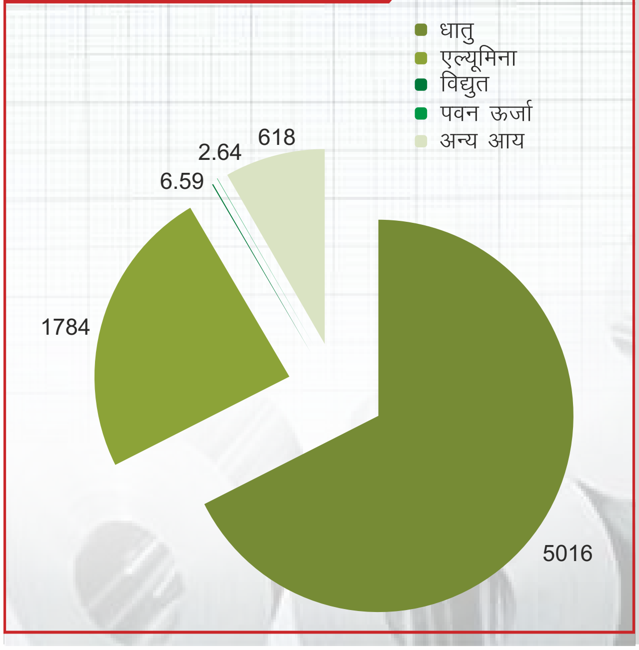

लागत विवरण (2012–13) (रु. करोड़ में)

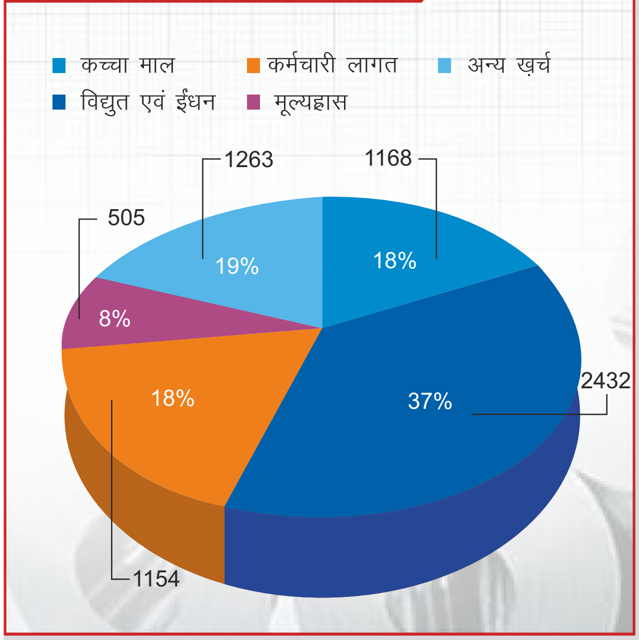

केप्टिव पावर प्लांट, अनगुल का परिदृश्य

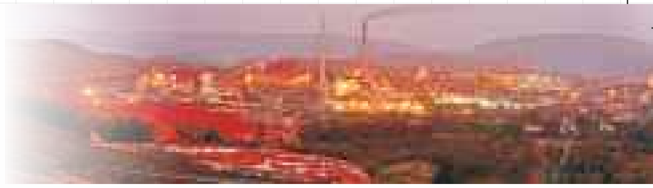

अंगुल में केप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) ने 2011–12 में पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 6,608 मेयू तथा बीते वर्ष 2011–12 में हासिल 6,200 एमयू के मुकाबले 6,076 एमयू का 'निवल विद्युत उत्पादन' हासिल किया। कम विद्युत उत्पादन कोयले की कमी और उत्पादन की लागत में कटौती के लिए आयातित मंहगे कोयले का इस्तेमाल न करने के संबंध में लिये गये सजग निर्णय के कारण हुआ। लेकिन आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सीपीपी ने पिछले वर्ष 2011–12 में 61 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान अब तक का सबसे उच्च राख उपयोग 66 प्रतिशत हासिल किया है।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन की दिशा में रु. 274 करोड़ के निवेश पर आंध्र प्रदेश में गांडीकोटा में 50.4 मेवा पवन विद्युत संयंत्र की स्थापना के साथ पवन विद्युत उत्पादन के नये व्यवसाय में प्रवेश किया है। इसे दिसंबर, 2012 में संकलित किया गया था और पवन विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 14 एमयू पवन विद्युत की बिक्री की गई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के साथ–साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान हासिल उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

	यूनिट	2012-13	2011-12
बॉक्साइट	मि.ट.	54,19,391	50,02,626
एल्यूमिना हाइड्रेट	मि.ट.	18,02,000	16,87,000
एल्यूमिनियम	मि.ट.	4,03,384	4,13,089
बिजली (निवल)	मे यू	6,076	6,200
पवन ऊर्जा	मे यू	14	Nil

बिक्री कार्य–निष्पादन

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 में अब तक का सबसे उच्च कारोबार रु. 7247 करोड़ और निर्यात आय रु. 3410 करोड़ हासिल किया है जो कि 2011–12 में क्रमशः रु. 6927 करोड़ तथा रु. 2569 करोड़ था।

आपकी कंपनी 2012–13 में कुल रासायनिक बिक्री 9,84,722 मि.ट. हासिल की है जबकि 2011–12 के दौरान यह 8,42,805 मि.ट. थी। इसमें 2011–12 के दौरान निर्यात किये गये 7,92,552 मि.ट. के मुकाबले 2012–13 के दौरान किया गया केल्सिनाइड एल्यूमिना का 9,44,117 मि.ट. का निर्यात शामिल है।

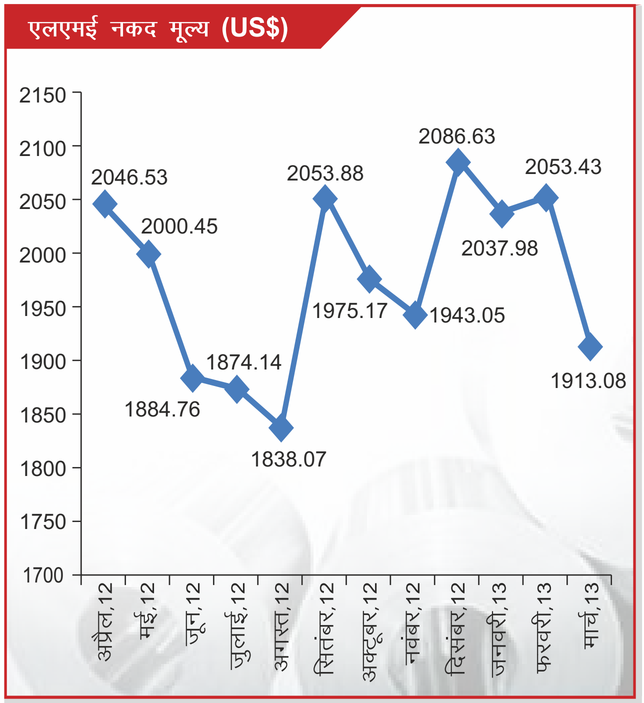

जैसलमेर, राजस्थान में नालको पवन विद्युत संयंत्र

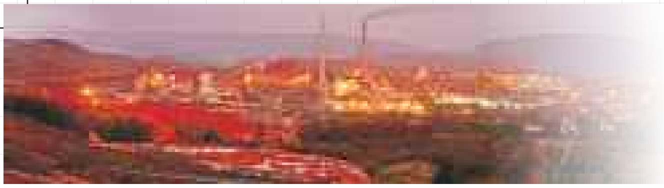

2012–13 के दौरान कंपनी ने 2011–12 के दौरान 4,15,916 मि.ट. की तुलना में 4,03,102 मि.ट. धातु की बिक्री की है। कुल धातु बिक्री में 2,58,941 मि.ट. घरेलू बिक्री तथा 1,44,161 मि.ट. की निर्यात बिक्री भी शामिल है। घरेलू बिक्री में 79,752 मि.ट. वायर रॉड की बिक्री शामिल है, जो कि 2009–10 के दौरान हासिल 76,849 मि.ट. की पूर्ववर्ती श्रेष्ठ उत्पाद बिक्री को पार करते हुए अब तक की सर्वाधिक है।

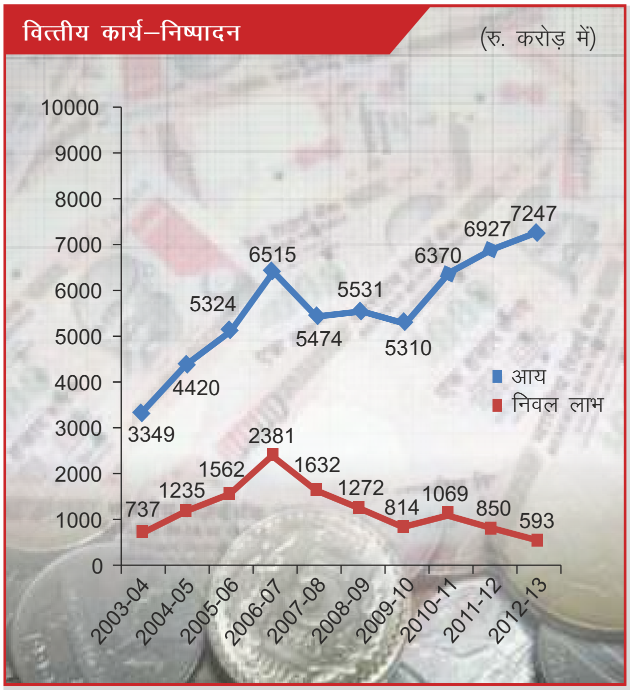

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कुल धातु बिक्री में कमी उच्च विद्युत लागत के मद्देनज़र स्मेल्टर प्लांट में उत्पादन कटौती के कारण थी। धातु मालसूची को 31 मार्च, 2013 को 5,620 मि.ट. के स्तर से नीचे करके 5,542 मि.ट. कर दिया गया।

बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है :

	युनिट	2012-13	2011-12
निर्यात			
एल्यूमिनां	मि.ट.	944,117	792,552
एल्यूमिनियम, रोल्ड उत्पादों सहित	मि.ट.	144,161	98,399
घरेलू			
एल्यूमिना एवं हाइड्रेट	मि.ट.	39,074	49,844
ज्योलाईट–अ	मि.ट.	1,531	409
एल्यूमिनियम	मि.ट.	258,941	317,517
कुल धातु बिक्री	मि.ट.	403,102	415,916
कुल रसायन बिक्री	मि.ट.	984,722	842,805

घरेलू धातु बिक्री अनमुल स्मेल्टर प्लांट और नौ स्टॉकयार्डों–कोलकाता, बडडी, जयपुर, फरीदाबाद, भिवांडी, सिलवासा, बंगलौर, चेन्नई और विशाखापत्तनम में प्रभावित होना जारी रहा।

वित्त

कारोबार 2011–12 के दौरान रु. 6927 करोड़ के मुकाबले 2012–13 के दौरान रु. 7247 करोड़ होने के बावजूद, उच्च इनपुट लागतों के कारण निवल लाभ नीचे आ गया है।

वित्तीय सूचना का विवरण नीचे दिये गया है :

(रु. करोड़ में)

	2012-13	2011-12
कारोबार	7,247	6,927
कुल व्यय	6,522	5,957
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	905	1,198
कर	312	348
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	593	850

कंपनी ने अब तक का सर्वोच्च बिक्री कारोबार रु. 7,247 करोड़ हासिल किया है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 4.62 प्रतिशत अधिक है। उच्चतर कारोबार मुख्यतः एल्यूमिना मात्रा और उच्चतर निवल वास्तविकीकरण के कारण रहा। वर्ष 2012–13 के लिए कंपनी के लाभ पर विपरीत प्रभाव मुख्यतः इनपुट्स, कोयले, ईंधन तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी और कर्मचारी लागतों में वृद्धि के कारण हुआ। कर पश्चात रु. 593 करोड़ का लाभ पिछले वर्ष से रु. 257 करोड़ कम रहा।

डॉ. ई. श्रीधरन द्वारा स्थापना दिवस व्याख्यान

लाभांश एवं विनियोजन

आपके निदेशकों को विश्वास है कि कंपनी में शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि क्षमता विस्तार, पूर्वगामी और अग्रगामी एकीकरण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं को संचालित करके किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और आपकी कंपनी की इसकी विकास परियोजनाओं के लिए आंतरिक व्यवस्थाओं के साथ निधि की अपेक्षा के अनुरूप संतुलित लाभांश के भुगतान की नीति के अनुरूप तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमीगति के कारण गिरते लाभ अंतर के मद्देनज़र, आपके निदेशकों ने 30.03.2013 को किये गये प्रति शेयर /रु. 0.75 (15 प्रतिशत) के अंतरिम लाभांश के भुगतान के अलावा अंतिम लाभांश /रु. 0.50 (10 प्रतिशत) प्रति शेयर के भुगतान की सिफारिश की है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कुल लाभांश भुगतान पिछले वर्ष 2011–12 के लिए भुगतान किये रु. 1.00 प्रति शेयर (20 प्रतिशत) के मुकाबले रु. 1.25 प्रति शेयर

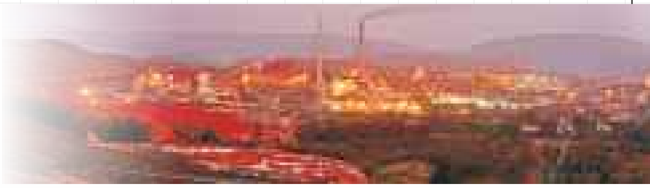

(25 प्रतिशत) हो जाता है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के उपरांत किया जायेगा।

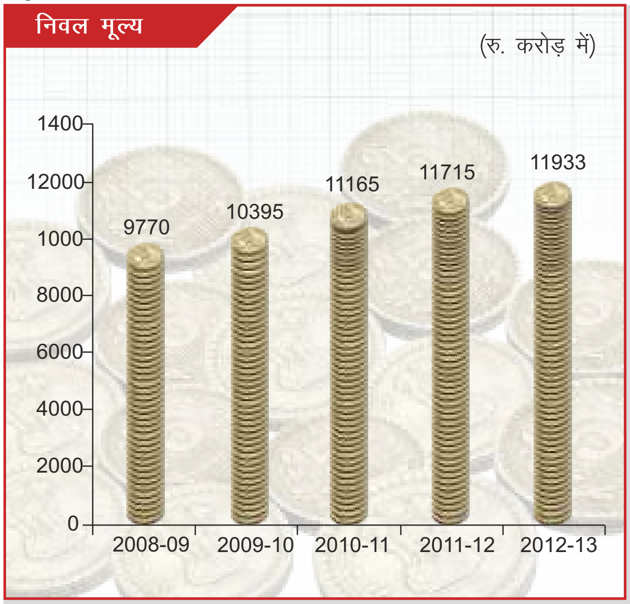

आपके निदेशकों का 2011–12 में अंतरित रु. 5500 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012–13 के लाभ से सामान्य आरक्षी खाते में रु. 220 करोड़ अंतरित करने का प्रस्ताव है।

बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस)

15 मार्च, 2013 को भारत सरकार ने 15,69,38,918 शेयरों का विनिवेश कर दिया जो कि कुल प्रदत्त पूंजी रु. 628.53 के विचार अनुसार 6.09 प्रतिशत बनता है। इस विनिवेश के साथ ही भारत के राष्ट्रपति के पास शेयर धारिता कुल प्रदत्त पूंजी रु. 1288.62 करोड़ में से 87.15 प्रतिशत से घटकर 81.06 प्रतिशत हो गई है।

अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश

राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार कंपनी के रोज़गार में अजा/अजजा समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए उपाय लगातार जारी हैं। आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की भी अनुपालन की है।

31.03.2013 तक आपकी कंपनी की सूची में शामिल कुल 7555 कर्मचारियों (प्रशिक्षुओं सहित) में से 1,220 अजा के 1,361 अजजा के 763 अपिव के और 79 निःशक्त व्यक्ति हैं। आपकी कंपनी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 353 है। इस तरह कुल कर्मचारियों का 16.15 प्रतिशत अजा, 18.01 प्रतिशत अजजा, 10. 10 प्रतिशत अपिव और 1.05 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति हैं और आपकी कंपनी में हर तीसरा कर्मचारी अजा अथवा अजजा श्रेणी से संबंधित है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आपको कंपनी ने सहभागिता प्रबंधन के जरिए कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हल किये जाने की परंपरा को बनाए रखा, परिणामतः मानव संसाधानों के अधिकतम उपयोग हेतु शांतिपूर्ण, स्वस्थ और अनुकूल औद्योगिक संबंधों का वातावरण बना रहा। आपकी कंपनी के सभी प्रमुख स्थलों पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने लागत नियंत्रण और स्थिरता से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार पाने में प्रबंध की मदद करने में बहुत ही सकारात्मक और गतिशील भूमिका निभाई। आपकी कंपनी में उत्पादकता, कार्य माहौल की गुणवत्ता सहित गुणवत्ता और कर्मचारी संबंधी मुद्दों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के हल के लिए शॉप स्तर से आरंभ करते हुए मुख्य कार्यकारी स्तर तक कर्मचारी भागीदारी की स्थापित प्रणाली है। कामगारों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों को समान भागीदारी के साथ बनाई गई विभिन्न संयुक्त समितियों का कर्मचारी संरक्षा, कल्याण और शिकायत निपटान, औपचारिक के साथ–साथ अनौपचारिक, दोनों पर ही मुख्य फोकस रहा।

आपकी कंपनी के शिष्ट कार्य स्थान और वातावरण के प्रति सतत प्रयासों के मान्यता के तौर पर आपकी कंपनी की सभी इकाइयों को एसए 8000 (सामाजिक जवाबदेही 8000) प्रमाणन के अधीन प्रमाणित रहना जारी रहा।

विशाखापत्तनम में पत्तन सुविधाएं

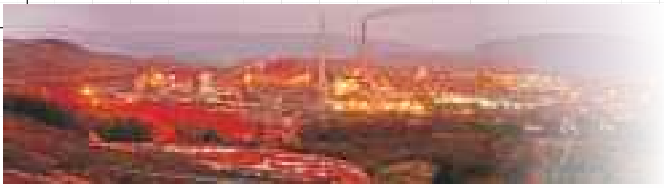

वर्ष के दौरान, यूनियनों की बहुमत की स्थिति का पता लगाने के लिए गुप्त मतपत्र के जरिए चुनाव कराए गए और वर्ष के दौरान वोटों का बहुत रखने वाली यूनियनों को मान्यता का दर्ज़ा प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान चयन के विभिन्न मानदंडों के लिए अधिमान पर आधारित प्रचालन/अनुरक्षण में कॅरिअर विकास/अर्द्ध कुशल कर्मचारियों के कुशल पदों में परिवर्तन हेतु संशोधित योजना तैयार की गई।

संगठन में अनुशासन में सुधार के लिए कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति रिकार्डिंग प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के निगम कार्यालय में तकनीकी स्थिरता होने के बाद इसे सभी यूनिटों में लागू किया जायेगा। अनुबंध श्रमिकों के लिए बायोमीट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी सभी साइटों पर शुरू कर दिया गया है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अपने निवल लाभ का 2 प्रतिशत आबंटन कारपोरेट सामजिक उत्तरदायित्व–सीएसआर गतिविधियों के लिए करती है। एक प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा स्थापित पुनर्वास और पेरिफेरल डेवलपमेंट सलाहकार समितियों (पीडी) के जरिए पेरिफेरल विकास गतिविधियों के लिए ख़र्च किया जाता है और अन्य 1 प्रतिशत नाल्को फाउण्डेशन के जरिए ख़र्च होता है।

आरपीडीएसीज के जरिए संचालित की गई प्रमुख पेरिफेरल विकास गतिविधियां स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन, पेरेफेरल गांवों में अवसंरचना सुविधाओं के सृजन में सहायता करना, हरित प्रयासों का प्रचार, आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना आदि के बारे में थीं।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कुछेक प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:–

मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां

आपको जानकर प्रसन्नता होगी की आपकी कंपनी अपने स्मेल्टर एंड पावर काम्पलेक्स, अंगुल (43 गांव) और खनन एवं रिफाइनरी काम्पलेक्स, दामनजोड़ी (142 गांव) के आसपास के गांवों में छह मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों का प्रचालन करती है। (प्रत्येक इकाई में तीन मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां हैं). दामनजोड़ी में मोबाइल स्वास्थ्य इकाई का संचालन वाखरदत फाउंडेशन के जरिए किया जा रहा है। ये मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां ग्रामीणों को उनके घर के द्वार पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाती है जिसमें मुफ्त दवाइयां, इलाज और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के जरिए जागरूकता फैलाना शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012–13 में 1517 शिवरों का आयोजन किया गया और दामनजोडी और अंगुल के आसपास के गांवों के 67000 रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया।

दामनजोडी के आसपास के गांवों में रहने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा का प्रायोजन

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने जनजातीय बहुल और माओवाद प्रभावित जिले कोरापुट में नाल्को के दामनजोडी में माइन्स और रिफाइनरी काम्पलेक्स के आसपास के 16 गांवों से 401 बच्चों की आवासीय शिक्षा को प्रायोजित किया है। फाउण्डेशन के वित्तपोषण के तहत भुवनेश्वर (कलिंगा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसिस) और कोरापुट (कोरापुट डेवलपमेंट फाउण्डेशन एंड बिकास विद्यालय) में 3 आवासीय स्कूलों में छात्रों के अध्ययन, ठहरने और खानेपीने से संबंधित सभी ख़र्च शामिल हैं। दाखिल छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए वित्तपोषण की तब तक प्रदान किये जाने की योजना है जब तक कि वे अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर लेते।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जेम ग्रेनाइट्स पर्यावरण पुरस्कार 2012–13 ग्रहण करते हुए

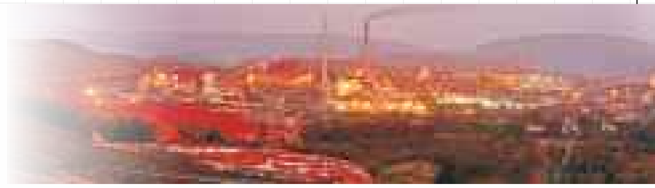

दामनजोडी के आसपास के 142 गांवों में पानी और ऊर्जा का अध्ययन

आपकी कंपनी के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रखंड, नाल्को फाउण्डेशन ने दीर्घावधि प्रभाव वाली परियोजनाएं संचालित करते हुए दामनजोडी में सेंटर फार रूरल एनर्जी एंड वाटर एक्सेस (सीआरईडब्ल्यूए) के साथ अपने को संलग्न किया है। उसने एमएंडआर परिसर के आसपास के कोरापुट के 5 खण्डों में फैले गांवों में अध्ययन पूरा कर लिया है, ये हैं लक्ष्मीपुर, नारायणपटना, कोरापुट, दसमंतपुर और सेमिलिगुडा (सुनाबेडा एनएसी को छोड़कर) और अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। यह पानी और ऊर्जा समाधानों से संबंधित कार्रवाइयां संचालित करने की संभावना के साथ बुनियादी सामाजिक–आर्थिक पहलुओं के सर्वेक्षण की समग्र आधार रेखा है। यह सूचना नाल्को फाउण्डेशन द्वारा शुरू किये जाने वाले लघु अवधि और दीर्घावधि कार्यों की योजना बनाने में मददगार होगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नाल्को फाउण्डेशन के जरिए संचालित की गई विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैः–

- मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना और मच्छरदानियों का वितरण।
- पानी के फिल्टरों का वितरण करके सुरक्षित पेयजल का प्रचार।
- दामनजोडी के आसपास के 5गांवों में बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए सुधारात्मक स्कूलों की स्थापना में सहायता।
- मरिचमल में रू 4.08 करोड़ की धनराशि के योगदान से आईटीआई की स्थापना।
- 16 पेरिफेरल गाँव में खेल एवं शिक्षा किट का वितरण
- गुडम कोटा विधि मंडल (विशाखापत्तनम) में सामुदायिक प्रबंधित ग्रेविटी फेड वाटर सप्लाई सिस्टम्स के जरिए पेयजल की व्यवस्था।
- बोडापाडु गांव (पोट्टांगी) में मौजूदा सामुदायिक जल संरचनाओं का नवीनीकरण।
- पुंगेर (पोटांगी) में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पेयजल व्यवस्था।
- भीतरगढ़ और कापसिपुट (दामनजोडी) में बकरी पालन के जरिए आर्थिक विकास
- दामनजोडी के आसपास के गांवों में सौर लालटेनों के वितरण से ग्रामीण आवासों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा।

सीएसआर गतिविधियों को मान्यता के तौर पर नाल्को को 2012–13 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:

- कोरापुट की जनजातीय पट्टी में शिक्षण गतिविधियों के लिए थिंक ओड़िशा लीडरशिप अवार्ड
- आईपीई सीएसआर कारपोरेट गवर्नेंस अवार्ड
- वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस में 'केअरिंग कंपनी अवार्ड'
- मुंबई में आयोजित जिम्मेदारी सम्मेलन और पुरस्कारों में श्रेष्ठ कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवहार 2013 पुरस्कार।

संसदीय समितियों के दौरे :

वर्ष के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय समिति ने 15.02.2013 से 17.02.2013 तक भुवनेश्वर का दौरान किया और आपकी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया।

पुरस्कार एवं सम्मान :

आपकी कंपनी को वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए पर्याप्त प्रमाण है :

i) नॉन–फेरस धातु श्रेणी दुन एंड ब्रेडस्ट्रीट्स बेस्ट पीएसयू अवार्ड।

ii) भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (आईआईआईई), मुंबई द्वारा स्थापित वर्ष 2010–11 के लिए कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार।

iii) ओड़िशा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के इसके समर्पित प्रयासों की प्रशंसा में वर्ष 2012 के लिए बैस्ट मदर प्लांट अवार्ड।

iv) कोरापुट की जनजातीय पट्टी में शैक्षणिक प्रयासों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित थिंक ओड़िशा लीडरशिप अवार्ड।

v) बड़े एकीकृत संयंत्रों की श्रेणी में भारतीय धातु संस्थान द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित "नॉन–फेरस श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन पुरस्कारः 2011–12"

vi) आईपीई–सीएसआर कारपोरेट अभिशासन पुरस्कार

vii) विश्व एचआर कांग्रेस में ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड

viii) वल्ड सीएसआर कांग्रेस में दि केअरिंग कंपनी अवार्ड

ix) वर्ष 2010–11 के लिए बड़े उद्यम श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र से सर्वोच्च निर्यात के तौर पर ईईपीसी इंडिया (पूर्वी क्षेत्र) की गोल्ड ट्राफी

x) 2011–12 के लिए एल्यूमिनियम और आर्टिकल्स की श्रेणी में सर्वोच्च निर्यात के लिए दि स्टार परफारमर अवार्ड

xi) एफआईएमआई द्वारा स्थापित जेम ग्रेनाइट्स एन्वायरमेंट अवार्ड–2012–13

नाल्को प्रायोजित बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया

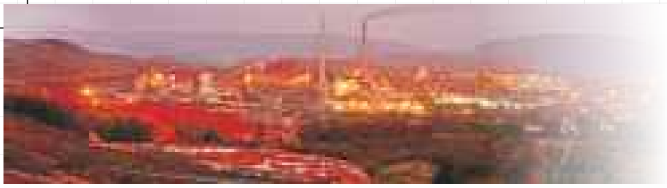

रिफाइनरी में केल्सीनर प्लांट

कार्यान्वय अधीन परियोजनाएं

एल्यूमिना रिफाइनरी–उन्नयन परियोजना

अनुमानित लागत रू 409 करोड़ के साथ एल्यूमिना रिफाइनरी के चौथे स्ट्रीम का 5.25 लाख टीपीवाई से 7.0 लाख टीपीवाई और बॉक्साइट माइन्स का 6. 3 मिलियन टीपीवाई से 6.825 मिलियन टीपीवाई का क्षमता उन्नयन प्रगति पर है। कमीशनिंग गतिविधियां दिसंबर, 2012 में शुरू की जा चुकी हैं। संयंत्र स्थिरीकरण की प्रकिया में है।

उत्कल–ई कोयला ब्लॉक

उत्कल – ई ब्लॉक परियोजना रू 337.61 करोड़ की अनुमानित लागत मई 2011 मूल्य स्तर पर ली गई है। इसका खननयोग्य रिज़र्व करीब 67.49 मिलियन टन है। लगभग सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं। सरकारी और निजी भूमि के अधिग्रहण की गतिविधियां तथा पुनर्वास कालोनी का निर्माण हाथ में है। खान का जीवन प्रति वर्ष 2.0 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य पर 30 वर्ष से अधिक तय किया गया है।

सरकारी और निजी भूमि के अधिग्रहण, वन्य मंजूरी, आरएंडआर कालोनी के निर्माण और एमडीओ की नियुक्ति की गतिविधियां जारी हैं। परियोजना के दिसंबर, 2014 में चालू हो जाने की संभावना है।

राजस्थान में 47.6 मेवा पवन ऊर्जा परियोजना–II

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने रू 283 करोड़ के निवेश पर जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेवा की दूसरी पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए मैसर्स गामेसा विंड टरबाईन्स प्रा. लि. को आर्डर जारी किया है। 56 में से 36 टरबाईन्स पहले ही चालू किये जा चुके हैं और विद्युत उत्पादन कर रहे हैं तथा शेष कमीशनिंग अधीन हैं।

स्मेल्टर में एम्परएज वृद्धि

स्मेल्टर पॉट लाइनें 180 केए प्रौद्योगिकी के साथ पिछले ढाई दशकों से प्रचालन में हैं। वैश्विक रूप से ज्यादातर एपी–18 स्मेल्टर्स पॉट शैल में बगैर बड़े परिवर्तनों के पॉट उत्पादकता में वृद्धि के लिए 180 केए से 220 केए प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित हो चुके हैं। आपकी कंपनी ने वर्तमान व्यवस्था को अंशतः या पूर्णतः हटाकर उच्चतर एम्प्रेज अर्थात 400 केए अथवा ऊपर के लिए और एम्प्रेज को 195/220 केए बढ़ाने के लिए उत्पादकता में सुधार के लिए एक व्यापक अध्ययन संचालित किया है।

एमओयू कार्यनिष्पादन

आपकी कंपनी को वित्तीय परिणामों की उपलब्धियों तथा कंपनी के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए भारत सरकार के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत 1.45 के रेटिंग स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' दर्ज़ा दिए जाने की संभावना है।

खान मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुपालन में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है और तदनुसार इसके सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में प्रागामी सुधार के लिए कदम उठाए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उठाए गए प्रमुख कदम हैं:–

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किये गये।
- हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अधीन प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले 89 कर्मचारियों को प्रोत्साहन और नकद पुरस्कार दिये गये।
- कारपोरेट कार्यालय, एसएंडपी काम्पलेक्स और एमएंडआर काम्पलेक्स में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
- चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं और 97 कर्मचारियों को इन हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया।
- 07.09.2012 से 14.09.2012 तक हिंदी सप्ताह और हिंदी दिवस कारपोरेट कार्यालय में मनाया गया। हिंदी भाषी, ग़ैर हिंदी भाषी कर्मचारियों और छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और पुरस्कार दिये गये। इसी तरह एस एंड पी काम्पलेक्स, अंगुल में 10.09.2012 से 28.09.2012 तक हिंदी पखवाड़ा और एमएंडआर काम्पलेक्स, दामनजोडी में 03.09.2012 से 10.09.2012 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया।

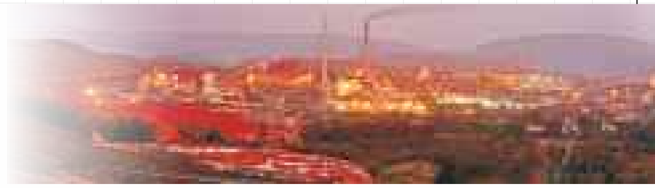

सतर्कता

कंपनी की सतर्कता व्यवस्था सीवीसी की विस्तारित विंग है और सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्ष में काम करता है। विभाग के तीन विंग हैं जो कारपोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर, स्मेल्टर एंड पावर काम्पलेक्स, अंगुल और माइन्स एंड रिफाइनरी काम्पलेक्स, दामनजोडी में स्थित हैं। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप, सतर्कता विभाग विभिन्न निवारक सतर्कता जांच और निरीक्षण आदि संचालित करता है जिनमें कार्यों की सीटीई प्रकार सघन जांच शामिल है। सतर्कता विभाग अकसर भ्रष्टाचार का पता लगाने में प्रबंधन की सहायता और सहयोग के लिए काम करता है जो कि संगठन में विभिन्न प्रकार के कारोबारों के दौरान जाने–अनजाने में पनप सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के साथ और सतर्कता विभाग के सतत प्रयासों से कंपनी ने ई–भुगतान सहित विभिन्न कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन किया है, जो कि कुल भुगतानों का करीब 99 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इस वर्ष के दौरान कुछ और कार्यों में ई–निविदा सफलतापूर्वक संचालित की गई है।

कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के वास्ते कारपोरेट कार्यालय सहित कंपनी की सभी इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में 29. 10.2012 से 03.111.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और संगोष्ठियां और कर्मचारियों तथा स्कूली छात्रों के बीच हिंदी, उड़िया और अंग्रेजी भाषाओं में प्रतियोगिताएं आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विभिन्न सतर्कता कार्यों पर जागरूकता पैदा करने के लिए कंपनीके विभिन्न स्थानों पर 10 सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

स्थाई विकास रिपोर्ट / बिजनेस उत्तरदायित्व रिपोर्ट

कंपनी की पहली स्थाई विकास रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों और सेबी के दिशानिर्देशों के आधार पर है। वर्ष 2012–13 के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट परिशिष्ट–1 के तौर पर संलग्न है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनीज (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के तहत घोषित किए जाने की अपेक्षा के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेश मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–II में दिये गये हैं।

कर्मचारियों का विवरण

यथा संशोधित कंपनीज (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत यथा निर्धारित आपकी कंपनी का कोई भी कर्मचारी रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान रू 5 लाख प्रति माह या रू 60 लाख प्रति वर्ष पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर रहा था।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन और सूचीयन फीस का भुगतान

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) की सूची में प्रकट होते रहे हैं। इन स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर वर्ष 2012–13 के लिए फीस का भुगतान समय पर कर दिया गया है।

जमाकर्ताओं को वार्षिक कस्टोडियल फीस का भुगतान

आपकी कंपनी की घरेलू शेयर रजिस्ट्री एक ही छत के नीचे शेयर अंतरण और सहायक गतिविधियों को भौतिक और इलेक्ट्रानिक दोनों खण्डों में उपलब्ध करवा रही है। इलेक्ट्रानिक मोड में शेयरों को धारण के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने भारत में डिपाजिटरी सेवाएं शुरू होने के समय से ही दोनों ही डिपाजिटरीज (एनएसडीएल और सीडीएसएल) के साथ सीधे इलेक्ट्रानिक संपर्क स्थापित किया है। वार्षिक कस्टोडियल फीस और कस्टडी प्रभरों का वर्ष 2012–13 के लिए भुगतान दोनों, एनएसडीएल और सीडीएसएल को समय पर कर दिया गया था।

निदेशक के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2एए) के उपबंधों के अंतर्गत आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:–

- वार्षिक खातों की तैयारी में लागू होने वाले लेखाकरण के मानकों का अनुपालन प्रेषित सामग्री से संबंधित उचित व्याख्या सहित किया गया है;
- निदेशकों ने लेखाकरण की ऐसी नीतियों का चयन करते हुए उन्हें लागू किया है कि उनके अनुसार लिए गए निर्णय और प्राक्कलन कारणोचित एवं पर्याप्त सिद्ध हों और वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की सही और स्पष्ट छवि प्रदर्शित करें तथा इस अवधि के लिए कंपनी के लाभ को भी दर्शाए;
- निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त रखरखाव और देखभाल की है जिससे कंपनी की

Reclaimer in operation at M&R complex, Damanjodi

संपत्ति की रक्षा की जा सके और धोखेबाज़ी तथा अन्य दूसरे प्रकार की अनियमितताओं की पहचान करते हुए उनकी रोकथाम की जा सके।

- निदेशकों ने निरंतर आधार पर वार्षिक खाते तैयार किये हैं।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

स्टॉक एक्सचेंज सूचीयन अपेक्षाओं और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–IV पर संलग्न है। पिछले वर्षों की तरह अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धति के भाग के तौर पर आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के लिए भी अपनी इच्छा से कार्यरत कंपनी सचिव से सचिवीय लेखा परीक्षा पूरी की है और सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–V पर प्रदर्शित की गई है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–VI पर प्रदर्शित की गई है।

सीएंडएजी की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध 619 (4) के तहत 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए खातों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां संलग्न हैं।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा को न तो स्वीकार किया है और न ही नवीकृत किया गया है।

लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए आपकी कंपनी को लेखा परीक्षक के तौर पर निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त किया गया:

क) सांविधिक लेखा परीक्षक:मै. सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स एण्ड
 मै. अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स

ख) लागत लेखा परीक्षक:मै. एस. धल एण्ड को.

ग) सेक्रेटेरियल लेखा परीक्षक:मै. डी एस मिश्रा एंड एसोसिएट्स

घ) आंतरिक लेखा परीक्षक:
 मै. तेज राज एंड पाल (कारपोरेट कार्यालय भुवनेश्वर के लिए)
 मै. बी एन मिश्रा एंड कं0 (स्मेल्टर प्लांट, अंगुल के लिए)
 मै. जीएनएस एंड एसोसिएट्स (सीपीपी, अंगुल के लिए)
 मै. जी आर कुमार एंड कं0 (एमएंडआर काम्पलेक्स, दामनजोडी और पोर्ट फेसिलिटीज, विशाखापत्तनम के लिए)
 मै. पी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए)
 मै. डीपीएसवी एंड एसोसिएट्स (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए)
 मै. कुम्भात एंड कं0 (दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए)
 मै. थिंगना एंड कांट्रेक्टर (पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के लिए)

निदेशक

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्ति :

- श्री अंसुमन दास को 19.07.2013 से कंपनी का अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। वे 10.05.2013 से निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभारी और 30.7.2013 से निदेशक (कामर्शियल) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए हैं।
- सुश्री गौरी कुमार, आईएएस, विशेष सचिव, खान मंत्रालय,भारत सरकार को24.09.2012 से 30.06.2013 तक की अवधि के लिए अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था।
- श्री एस सी पाढी को निदेशक (मा.सं.) के तौर पर 20.12.2012 को नियुक्त किया गया।
- श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार को 26.02.2013 से 21.04.2013 तक की अवधि के लिए अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्हें 04.7. 2013 से पुनः अंशकालिक सरकारीनिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।

कार्यकाल समाप्ति :

- श्री जॉय वर्गीज, निदेशक (पीएंडए), उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर 31.08.2012 से कंपनी के निदेशकमंडल में नहीं रहे।
- श्री ए के श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो कि 26.02.2011 से निलंबनाधीन थे, को भारत सरकार ने 11.12.2012 से सेवाओं से बर्खास्त कर दिया।
- श्रीअरूणकुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार 26.02.2013 से कंपनीके निदेशक मण्डल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नहीं रहे।
- श्री बी एल बागड़ा, निदेशक (वित्त) उनकी नियुक्ति की अवधि पूरी होने के उपरांत आपकी कंपनीके निदेशकमण्डल में 01.05.2013 से नहीं रहे हैं।
- सुश्री गौरी कुमार, आईएएस 01.07.2013 से आपकी कंपनीके निदेशक मण्डल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं हैं।

आपके निदेशक श्री जॉव वर्गीज, श्री ए के श्रीवास्त्व, श्री अरूण कुमार, श्री बीएल बागड़ा और सुश्री गौरी कुमार की कंपनी में उनके कार्यकाल के दौरान की गई उल्लेखनीय सेवाओं का उल्लेख रिकार्ड में लेना चाहते हैं।

पावती

आपके निदेशक सहज दिल से भारत सरकार के खान मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और सहयोग तथा ओड़िशा सरकार, महानदी कोल फील्ड्स, भारतीय रेल और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त समर्थन के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, वैधानिक आडिटर्स, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, बैंकर्स और संयुक्त उद्यम साझेदारों को उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोगयोग तथा सेवाओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के शेयरधारकों के प्रति भी कंपनी के प्रबंधन में उनके द्वारा दिखाए गए विश्वास के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, वेंडर्स, सॉलीसिटर्स, बिजनेस एसोसिएट्स, ट्रेड यूनियनों और अधिकारियों की एसोसिएशन्स से मिले नियमित समर्थन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में भी उनसे इसी प्रकार का सहयोग और सहायता मिलते रहने की कामना करते हैं।

आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों तथा वर्षों से मिल रहे उनके समर्पित योगदान के लिए तथा ट्रेड यूनियनों और अधिकारी एसोसिएशनों से रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सक्रिय सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करते हैं।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(अंशुमन दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : भुवनेश्वर
दिनॉक : 20.08.2013

परिशिष्ट–I

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 2012–13

खण्ड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल27203ओआर1981जीओआई000920
2	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय का पता	नालको भवन, प्लाट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751061, ओड़िशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई–मेल आईडी	knravindra@nalcoindia.com
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2012–13
7	क्षेत्र, जिनमें कंपनीसंलग्न है (कोड वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खानें: औद्योगिक समूह कोड 072 एल्यूमिना रिफाइनरी: 201 एल्यूमिनियम स्मेलटर: 242 बिजली उत्पादन:351
8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका	**एल्यूमिना** • केल्सीनाइड एल्यूमिना • एल्यूमिना हाइड्रेट • स्पेशिएल्टी एल्यूमिना एंड हाइड्रेट्स • डिटरजेंट ग्रेड जिओलाइट **एल्यूमिनियम** • स्टैंडर्ड इनगोट्स • सो इनगोट्स • वायर रॉडस • बिलेट्स • कास्ट स्ट्रिप • फ्लैट रोल्ड उत्पाद (कोइल्स, शीटें और चेकरड शीट) • टी–इनगोट्स
9	स्थानों की कुल संख्या जहां पर कंपनी प्रचालन (1) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (2) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	1. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: शून्य 2. राष्ट्रीय स्थान: क) माइन्स एंड रिफाइनरी काम्पलेक्स, दामनजोड़ी–763008, ज़िला कोरापुट, ओड़िशा ख) स्मेल्टर प्लांट, नालको नगर, अंगुल–759145, ओड़िशा ग) केप्टिव पावर प्लांट, अनगुन–759122, ओड़िशा घ) पतन सुविधाएं, पतन क्षेत्र, विशाखापत्तनम–530035, आंध्र प्रदेश ड़) पवन विद्युत संयंत्र–1, गांडिकोटा, जिला वाईएसआरकडप्पा, आंध्र प्रदेश च) पवन विद्युत–2: जिला जैसलमेर, राजस्थान छ) पतन सुविधाओं की संख्या: 03 (विशाखापत्तनम, कोलकाता, पारादीप) ज) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) झ) शाखा कार्यालय: 01 (बेंगलुरू) ट) स्टॉकयार्डों की संख्या: 09 (जयपुर, फरीदाबाद, बडडी, कोलकाता, बेंगलुरू, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भिवंडी एवं सिलवासा

10	कंपनी द्वारा सेवारत बाज़ार	नालको देश में एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख उत्पादक है। कंपनी द्वारा सेवारत एल्यूमिनियम बाजारों में (भारत के अलावा) शामिल हैः बंगलादेश, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, तुर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, यूएई, इस्राइल, ताईवान, श्रीलंका आदि। हमारी स्वयं की जरूरत से अधिक उत्पादित केलसिना एंड एल्यूमिना को निर्यात किया जाता है। कंपनी द्वारा सेवारत एल्यूमिना बाजारों में (भारत के अलावा) चीन, मिस्र, जार्जिया, ईरान, रोमानिया, यूएई, उक्रेन, बहरीन शामिल हैं।

खण्ड ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	प्रदत्त पूंजी (आईएनआर), 31.3.2013 को	1288.62 करोड़
2	कारोबार (आईएनआर) : सकल : निवल	7247.17 करोड़ 6809.45
3	कर पश्चात लाभ (आईएनआर)	592.83 करोड़
4	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च क) कंपनी विधेयक, 2011 की धारा 135 के अनुरूप (आईएनआर) ख) कर पश्चात लाभ की प्रतिशतता के तौर पर	क) 30.99 करोड़ सीएसआर पर ख) पिछले वर्ष के पीएटी (आईएनआर 849.5 करोड़) की प्रतिशतता के तौर पर : 3.64 प्रतिशत
5	कंपनी विधेयक, 2011 की अनुसूची VII के अनुरूप गतिविधियों की सूची जिनमें उक्त 4 में व्यय किया गया	क) शिक्षा का प्रोत्साहन ख) आजीविका और आय सृजन उपलब्ध करवाकर गरीबी उन्मूलन ग) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता घ) पर्यावरण, जल और ऊर्जा संबंधी गतिविधियां ड़) स्थिरता को प्रोत्साहन च) सामुदायिक अवसंरचना का निर्माण छ) राहत उपाय ज) व्यावसायिक कौशलों में वृद्धि झ) स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन ट) समाज के वंचित, निःशक्त व्यक्तियों तक पहुंच

खण्ड ग—अन्य विवरण

1. क्या कंपनी कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?
   नहीं
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में शामिल होती है? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।
   लागू नहीं होता
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे कि आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनसे कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के बीआर प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता का उल्लेख करें? 30% से कम, 30.60%, 60% से अधिक,
   आपूर्तिकर्ता, ग्राहक आदि संगठन द्वारा संचालित व्यवसाय दायित्व पहलों में शामिल नहीं होते।

खण्ड घः व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

1. व्यवसाय दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) निदेशक (उत्पादन) स्थाई विकास पहलों के लिए जिम्मेदार हैं जबकि निदेशक (मा.सं.) कंपनी के सीएसआर गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

ख) 1) स्थाई विकास के लिए बीआर प्रमुख का विवरणः

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन नंबर	03619725
2	नाम	श्री एस एस महापात्र
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	टेलीफोन नंबर	0674–2300660
5	ई मेल आई डी	ssmohapatra@nalcoindia.co.in

ख) 2) सीएसआर गतिविधियों के लिए बीआर प्रमुख का विवरण:

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन नंबर	02594088
2	नाम	श्री एस सी पाढी
3	पदनाम	निदेशक (मा.सं)
4	टेलीफोन नंबर	0674–2300430
5	ई मेल आई डी	scpadhy@nalcoindia.co.in

ख. 3) नालको ने सीएसआर एवं एसडी समितिका गठन 2011 में किया था। वर्तमान समिति में 2 कार्यवाहक निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की 22 फरवरी, 2013 को बैठक हुई। समिति ने भविष्य में सतत विकास और सीएसआर गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार बैठक करने का फ़ैसला किया है।

वर्तमान समिति सदस्य हैं:

नाम	पदनाम	डीआईएन संख्या
श्री संजीवबत्रा	स्वतंत्र निदेशक और समिति का अध्यक्ष	00602669
श्री एस एस महापात्र	निदेशक (उत्पादन)	0361197525
श्री एस सी पाढी	निदेशक (मा.सं.)	02594088
श्री कैशर शमीम	स्वतंत्र निदेशक	03560915

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुरूप) व्यवसाय दायित्व नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

9 सिद्धांत (पी1 से पी9 तक), सिद्धांतों के व्यापक क्षेत्रों का संक्षेप में नीचे विवरण दिया गया है:

सिद्धांत 1 : नीतिशास्त्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही

सिद्धांत 2 : वस्तुएं एवं सेवाएं जो सुरक्षित हैं और उनके संपूर्ण जीवन चक्र में स्थिरता का योगदान करती हैं।

सिद्धांत 3 : कर्मचारियों का कल्याण

सिद्धांत 4 : सभी पणधारियों की संवेदनशीलता

सिद्धांत 5 : मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना

सिद्धांत 6 : पर्यावरण की सुरक्षा करना

सिद्धांत 7 : जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सार्वजनिक और विनियामक नीति के लिए प्रभावकारिता

सिद्धांत 8 : समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को समर्थन

सिद्धांत 9 : ग्राहकों को मूल्य उपलब्ध करवाना

उपर्युक्त 9 सिद्धांतों (पी 1 से पी9 तक) के स्नम्भ में प्रत्युत्तर नीचे दिया गया है

क्रम सं.	प्रश्न	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	क्या आपके पास 9एनवीजी सिद्धांतों के लिए नीति/नीतियां हैं?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	क्या नीति को संगत पणधारियों के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से पुष्ट होती है? यदि हां, विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, क्या इस पर प्र.नि/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक ने हस्ताक्षर किये हैं?	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	N
5.	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्यन की देखरेख के लिए बोर्ड की विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी हैं?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	ऑनलाइन समीक्षा की जाने वाली नीति हेतु लिंक का उल्लेख करें?"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	क्या नीति की औपचारिक सूचना सभी संगत आंतरिक और बाहरी पणधारियों को दी जाती है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए इन–हाउस संरचना है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9ण	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित पणधारियों की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निपटारा तंत्र है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के कामकाज की आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

उपर्युक्त क्रम सं. 3 के संदर्भ में, कर्मचारियों के कल्याण और मानवाधिकारों के प्रोत्साहन के लिए एसए8000 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली मानदंड, पर्यावरण के लिए आईएसओ 14001 और ग्राहक मूल्य (गुणवत्ता प्रबंधन) के लिए आईएसओ 9001 मानदंड हैं।

**

एनवीजी सिद्धांत	नीतियों के वेब–लिंक
सिद्धांत 1: नीति शास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही	1. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यवसाय आचरण और नीतिशास्त्र संहिता 2. घोटाला रोकथाम नीति 3. भ्रष्टाचार विरोधी नीति उक्त सभी नीतियां http://www.nalcoindia.com/policies.aspx पर उपलब्ध हैं।
सिद्धांत 2: उत्पाद के जीवनचक्र में स्थिरता	1. पर्यावरण नीति: http://www.nalcoindia.com/policies.aspx
सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण	1. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं संरक्षा नीति 2. सामाजिक उत्तरदायित्व नीति http://www.nalcoindia.com/policies.aspx पर उपलब्ध हैं।
सिद्धांत 4: पणधारी संलग्नता	1. नालको इन्ट्रानेट http://www.nalcoinsight/downloads/corpplan%202020.pdf में कारपोरेट योजना 2020 में अंशतः संबोधित
सिद्धात 5: मानवाधिकार प्रोत्साहन	1. सामाजिक जवाबदेही नीति http://www.nalcoindia.com/policies.aspx पर और अंशतः मा.सं. मैनुअल: http://www.nalcoinsight/hrmanual में उपलब्ध है।
सिद्धांत 6: पर्यावरण संरक्षण	1. पर्यावरण नीति http://www.nalcoindia.com/policies.aspx पर उपलब्ध हैं।
सिद्धांत 7: जिम्मेदार सार्वजनिक नीति एडवोकेसी	1. मा.सं. मैनुअल: http://www.nalcoinsight/hrmanual अंशतः शामिल: 2. कारपोरेट योजना 2020% http://www.nalcoinsight/downloads/corpplan%202020.pdf
सिद्धांत 8: समावेशी विकास	1. नालको फाउण्डेशन विजन एवं मिशन www.nalcoindia.com/NALCO_FOUNDATION.pdf
सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य	1. गुणवत्ता नीति: www.nalcoindia.com/policies.aspx

2क. यदि क्रम सं. 1 में किसी भी सिद्धांत के तहत उत्तर नहीं में है, तो कृपया उल्लेख करें कि क्यों है: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्रम सं.	प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2.	कंपनी इस चरण में नहीं है जहां यह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय या मानवशक्ति संसाधन नहीं हैं।			लागू नहीं						
4.	इसके अगले 6 माह के किये जाने की योजना है।									
5.	इसके अगले 1 वर्ष में किये जाने की योजना है।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

3. व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन

3.1 अंतराल को इंगित करें जिसमें निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। ;3 माह के भीतर, 3–6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक)

वर्ष में एक बार। वर्ष 2012–13 के दौरान, बोर्ड की समिति की एक बार 22 फरवरी 2013 को सीएसआर और एसडी गतिविधियों की समीक्षा हेतु बैठक हुई।

3.2 क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?

संगठन की पहली प्रकाशित स्थाई विकास रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट एनवीजी सिद्धांतों पर आधारित थी। वर्ष 2011–12 के लिए प्रकाशित स्थिरता रिपोर्ट के लिए वेब–लिंक निम्नानुसार है: http://www.nalcoindia.com/download/Sustainable_development_Report_2011-12.pdf

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए सेबी के दिशानिर्देशों पर आधारित दायित्व रिपोर्ट हमारी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के तौर पर प्रकाशित की जा रही है, जो कि वेबलिंक पर उपलब्ध है।

जीआरआई जी3.1 दिशानिर्देशों पर आधारित वर्ष 2012–13 के लिए एक विस्तृत स्थाई विकास रिपोर्ट भी इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2013–14 के दौरान प्रकाशित किये जाने की योजना है।

खण्ड ङ: सिद्धांत–वार कार्य–निष्पादन

सिद्धांत 1: नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही

1.1 क्या नीतिशास्त्र, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओज/अन्यों के लिये विस्तारित किया है?

i. हम यह मानते हैं कि कारपोरेट अभिशासन सुप्रबंधन का अभिन्न अंग है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी विरोधी नीति पर आचार संहिता और नीतिशास्त्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

ये नालकों में सभी स्तरों पर और ग्रेडों में कार्यरत सभी कार्मिकों, निदेशकों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, चाहे स्थाई, या अनुबंध पर, परामर्शदाता, के तौर पर हों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, पणधारियों पर लागू होते हैं, जहां कहीं नालको की धनराशि इस्तेमाल की जाती है। नीति सूची में नीतिगत व्यवसाय आचरण, संबंधित रिपोर्टिंग के लिए परिभाषाएं और दायरा दिया गया होता है।

ii. नालको के साथ व्यवसाय करने वाले सभी आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि भी संविदा की शर्तों के तहत आते हैं।

1.2 पिछले वित्तीय वर्ष में कितने पणधारियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान करने का प्रतिशत क्या था?

i. वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, 116 सतर्कता शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा 52 शिकायतें पिछले वर्ष से लंबित थीं। कुल 168 शिकायतों में से 122 को संतोषप्रद ढंग से हल कर दिया गया और 46 लंबित हैं।

ii. सतर्कता जांच के आधार पर 12 कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप स्थापित किये जा सके और 8 कर्मचारियों को अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोप ज्ञापन जारी किया है।

iii. अन्वेषणों के आधार पर प्रबंधन को बेहतर पारदर्शिता के लिए प्रणालीगत सुधारों के सुझाव दिये गये हैं।

iv. वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निवेशकों की शिकायतें 97 हैं, इन सभी को पूर्णरूपेण हल किया जा चुका है।

सिद्धांत 2: वस्तुएं और सेवाएं जो कि उनके संपूर्ण जीवनचक्र में स्थिरता के लिए सुरक्षित हैं और योगदान करती हैं।

2.1 अपने 3 उत्पादों या सेवाओं तक की सूची प्रस्तुत करें जिनके डिज़ाइनमें सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

पर्यावरणीय चिंताओं को उत्पाद डिज़ाइन चरण से ही ध्यान में रखा जाता है, और हमारे संयंत्रों की कमीशनिंग से ही, i) एल्यूमिना हाइड्रेट ii). अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना मानदंड के अनुरूप केलसीनेड एल्यूमिना, और iii) पी1020, विशिष्टताओं, लंदन धातु एक्सचेंज में पंजीकरण के लिए अपेक्षित, के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के सभी ठोस उपाय किये गये हैं।

साथ ही सतत रूप से गुणवत्ता के उत्पादों के उत्पादन और संगत पर्यावरण चिंताओं को दूर करने के वास्ते इकाइयों में अभिनव प्रक्रिया सुधार भी संचालित किये जाते हैं। हमारी इकाइयों में वर्ष के दौरान प्रत्येक उत्पाद से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं का चित्रांकन किया गया है और विपरीत प्रभावों को दूर करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं।

ये पर्यावरणीय चिंताएं, जोखिम, अवसरों का नीचे यूनिटवार विवरण दिया गया है :

यूनिट	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर
बॉक्साइट खानें	धूल, शोर	वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण	खनन कार्य के उपरांत बंजर क्षेत्र में वन्यीकरण
एल्युमिना रिफाइनरी स्पाइलेज	कॉस्टिक, लाल कीचड़, फ्लाई एश इस्तेमाल	कास्टिक स्पिलओवर, वायु प्रदूषण,	कचड़ा जैसे कि लाल कीचड़, फ्लाई एश का एश
स्मेल्टर	फ्लोराइड एमिशन, कचड़ा, जैसे कि पोटलाइन आदि	फ्लुओराइड दूषण	सीमेंट उद्योग में स्पेंट पोटलाइन उपयोग स्पेंट
केप्टिव पावर प्लांट का उपयोग	एश	वायु प्रदूषण, एश स्पाइलेज	ब्रिक मेकिंग, सीमेंट प्लांट आदि में फ्लाई एश

2.2 ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट संसाधन उपयोग के संबंध में (ऊर्जा, पानी, कच्ची सामग्री आदि) निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करवायें (विकल्प):

i) मूल्य श्रृंखला के अंदर पिछले वर्ष से हासिल सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण में कमी।

हां, इस वर्ष उत्पादन के दौरान विशिष्ट खपत, हासिल कमी के बारे में विवरण नीचे दिया गया है :

उत्पादन के प्रति यूनिट विनिर्दिष्ट खपत	पिछला वर्ष (वि.व 2011–12)	वर्तमान वर्ष (वि.व. 2012–13)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक खपत	127 ग्राम/ट	125 ग्राम/ट
एल्यूमिना संयंत्र में एचएफओ खपत	86.67 लीटर/मी.ट.	83.79 लीटर/मी.ट
स्मेलटर में डीसी ऊर्जा खपत	13527 केडब्ल्यूएच/मी.ट.	13394 केडब्ल्यूएच/एमटी
स्मेलटर में एसी ऊर्जा खपत		14801 केडब्ल्यूएच/मी.ट
14705केडब्ल्यूएच/मी.ट		
स्मेलटर में एचएफओ खपत	78 लीटर/मी.ट.	71 लीटर/मी.ट
स्मेलटर में एल्यूमिनियम फल्युराइड खपत	20.04 कि.ग्रा./मी.ट	18.5 कि.ग्रा./मी.ट

ii) उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) कमी पिछले वर्ष से हासिल की गई।

हमारी प्रक्रियाओं में सतत सुधार से केलसाइन्ड एल्यूमिना और विशिष्टताओं के अनुरूप अपेक्षित गुणवत्ता के एल्यूमिनियम के उत्पादन में सुधार हुआ है, इससे ग्राहकों के स्तर पर स्थिर प्रचालनों का योगदान और उनकी तरफ से समुचित ऊर्जा खपत में योगदान हुआ है।

2.3 क्या कंपनी के पास सतत सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं प्रचलन में हैं?

हां

एल्यूमिना रिफाइनरी हमारी अपनी बॉक्साइट खानों के बहुत निकट स्थित हैं और एल्यूमिना रिफाइनरी के प्रचालन के लिए बॉक्साइट की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है तथा एकल फ्लाइट लंबी दूरी केबल बेल्ट कन्वेयर द्वारा परिवहन के कारण न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव होता है। इसी तरह स्मेलटर के लिए केप्टिव पावर प्लांट कोयला पट्टी क्षेत्र में है और सड़क तथा रेल से अच्छी तरह जुड़ा है। एमसीएल की भरतपुर कोयला खानों और हमारे केप्टिव पावर प्लांट के बीच एक समर्पित मैरी गो राउंड (एमजीआर) केप्टिव रेल प्रणाली से विद्युत संयंत्र के लिए विश्वसनीय और लागत प्रभावी कोयला परिवहन सुनिश्चित होता है। सभी इनपुट सामग्रियां 100 प्रतिशत प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए प्रापण के साथ स्थाई तौर पर प्राप्त की जाती हैं। बॉक्साइट की एल्यूमिना रिफाइनरी को, स्मेलटर को एल्यूमिना और स्मेलटर को विद्युत की सतत आपूर्ति स्वयं की/केप्टिव खानों, रिफाइनरी और विद्युत संयंत्र के जरिए की जाती है। पानी कंपनी द्वारा आवश्यक अवसंरचना प्रबंधों के साथ यूनिटों के आसपास की नदियों और नालों से प्राप्त किया जाता है। केवल कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति समझौते के अनुरूप हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप सतत डिलीवरी (गुणवत्ता और मात्रा) के लिए समय–समय पर आपूर्तिकर्ता (मेसर्स एमसीएल) द्वारा पेश आने वाली विभिन्न कठिनाइओं के कारण प्रभावित होती है। हालांकि कोयले की आपूर्ति में होने वाली कमी को आयातों, लागत–लाभ विश्लेषण पर आधारित ई–नीलामी के जरिये पूरी की जाती है। सोर्सिंग की स्थिरता में सुधार के लिए स्थानीय वेंडर्स खड़े करके और भण्डारण एवं कच्चे माल के लिए सहायक विकास गतिविधियों के जरिए ठोस प्रयास किये जाते हैं।

2.4 क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटो वेंडर्स की क्षमता और सक्षमता में सुधार के वास्ते क्या कदम उठाए गए हैं?

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन देने और संगठन समर्थन, स्थानीय वेंडर्स को प्रोत्साहन और उनका विकास करने के लिए एक सुविकसित सहायक विकास नीति लागू की गई है। एमएसएमई सुविधा प्रकोष्ठ हमारी यूनिटों में खोले गये हैं, वे वेंडर्स को तकनीकी क्षेत्रों और वाणिज्यिक शर्तों एवं निबंधन में निर्देशन प्रदान करते हैं। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की सूची नालको वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है जो कि एमएसईज से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा एसएंडपी परिसर के बाहर यूनिटों द्वारा अपेक्षित सामग्रियां और साथ में महत्वपूर्ण सूचनाएं अर्थात तकनीकी विशिष्टताएं, वार्षिक आवश्यकता, स्थानीय और छोटे वेंडर्स की सूचना के लिए पिछले क्रय आदेश में मूल्य आदि को प्रदर्शित किया जाता है। स्थानीय वेंडर्स द्वारा पेश आ रहे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए दोनों यूनिटों में राज्य सरकार और स्थानीय उद्यमियों को शालि करते हुए उप–संयंत्र स्तर परामर्शी समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2.5 क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचड़े के शोधन की व्यवस्था है? यदि हां तो उत्पादों और कचड़े के शोधन का क्या प्रतिशत है।

नालको एक एकीकृत एल्यूमिनियम उत्पादक है, पुनःशोधित एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कोई संभावना नहीं है। लेकिन संगठन ने प्रचालनों में उपयोग की गई सामग्री की रिकवरी और पुनः उपयोग के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं।

यूनिट	उपयोग	प्रतिशतता
बॉक्साइट खानें	खनन किये गये क्षेत्रों के लिए रिक्लेमेशन हेतु अधिक दबाव का इस्तेमाल किया जाता है	100 प्रतिशत
एल्यूमिना रिफाइनरी	लाल कीचड़ से कास्टिक सोडा को पुनः–शोधित किया जाता है	5–10 प्रतिशत
	एश उपयोग	29.76 प्रतिशत
स्मेलटर	एल्यूमिनियम ड्रोस को प्रक्रिया की इनपुट के तौर पर पुनःशोधित किया जाता है	>10 प्रतिशत
सीपीपी	एश उपयोग	66.07 प्रतिशत

सिद्धांत 3ः कर्मचारियों का कल्याण

3.1 कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें:

31.3.2013 को कर्मचारियों की कुल संख्या 7555 है।

3.2 31.3.13 को अस्थाई/अनुबंध/कैजुअल आधार पर रखे गये कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें:

यूनिटों में अस्पतालें और सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में कुल 6 व्यक्ति अनुबंध आधार पर नियुक्त किये गये। आतिथ्य, अनुरक्षण, स्वच्छता और परियोजना गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में जॉब कान्ट्रैक्टर्स नियुक्त किये जाते हैं। जॉब कान्ट्रैक्टर्स ने अपने अनुबंधात्मक दायित्वों के निवर्हन के लिए 10708 कामगारों को नियुक्त किया है।

3.3 कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें:

31.3.2013 को स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 353 है।

3.4 कृपया निःशक्त स्थाई कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें:

31.3.13 को स्थाई नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 79 है।

3.5 क्या आपके यहां कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन से मान्यता प्राप्त है।

हां, संगठन में विभिन्न उत्पादन इकाइयों और कार्यालयों में बहुत सी पंजीकृत यूनियनें हैं। प्रत्येक यूनिट में बहुमत की सदस्यता रखने वाली यूनियनों को मान्यता प्राप्त यूनियनों का दर्ज़ा भी दिया गया है।

3.6 इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन आपके स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का प्रतिशत क्या है?

करीब, 100 प्रतिशत कर्मचारी पंजीकृत यूनियनों के सदस्य हैं। जहां तक मान्यता प्राप्त यूनियनों का संबंध है, 46.4 प्रतिशत यूनियनीकृत कर्मचारी इन यूनियनों के सदस्य हैं।

3.7 कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बंधुआ श्रमिकों, अनिच्छुक श्रमिकों, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत में इनमें से लंबित की संख्या का उल्लेख करें।

स्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज़ की गई शिकायतें	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/जबरन श्रम/अनिच्छुक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	01	01
3.	भेदभावपूर्ण रोज़गार	शून्य	शून्य

3.8 आपके नीचे वर्णित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में संरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया?
–स्थाई कर्मचारी, स्थाई महिला कर्मचारी, कैजुअल/अस्थाई/अनुबंधित कर्मचारी, निःशक्त कर्मचारी
स्थिति नीचे दी गई है:

कर्मचारियों की श्रेणी	वर्तमान संख्या	व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने संरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त किया	प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थाई कर्मचारी	7555	2331	30.85 प्रतिशत
स्थाई महिला कर्मचारी	353	41	11.61 प्रतिशत
निःशक्त कर्मचारी	79	3	3.79 प्रतिशत
कैजुअल/अस्थाई/अनुबंधित कर्मचारी	6	शून्य	शून्य

जॉब कान्ट्रैक्टर्स द्वारा रखे गये कर्मचारियों के लिए संरक्षा प्रशिक्षण ज्यादातर विभाग स्तर पर शॉप फ्लोर्स में भी संचालित किये जाते हैं और वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे प्रशिक्षण में कुल 3717 कर्मचारियों को शामिल किया गया जिसका कुल संख्या का प्रतिशत 34.7 है।

सिद्धांत 4: सभी पणधारियों के प्रति संवेदनशीलता

4.1 क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी पणधारियों को मानचित्रीकरण किया है?

हां, संगठन ने नीचे श्रेणीबद्ध किये अनुसार प्रमुख पणधारियों के साथ संपर्क हेतु उपयुक्त तंत्र कायम किया है।

पणधारी समूहः

i) ग्राहक

ii) शेयरधारक और वित्तीय संस्थान

iii) सरकार और अन्य प्रतिनिधि तथा समितियां

iv) विनियामक प्राधिकरण

v) उद्योग एसोसिएशन

vi) स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज संगठन

vii) कर्मचारी

viii) सेवा प्रदाता और जॉब कान्ट्रैक्ट वर्कर

ix) वेंडर्स

उपर्युक्त पणधारी ज्यादातर मामलों में औपचारिक गठित प्रक्रिया के जरिए संलग्न हैं। पणधारियों के संबंध में सूचनाएं औपचारिक अथवा अनौपचारिक सम्प्रेषण चैनल के जरिए आवधिक रूप से अद्यतन की जाती हैं।

इसके अलावा हमने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों के संबंध में भी पर्याप्त कदम उठाए हैं। तदनुसार नालको ने एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है जो कि पणधारियों द्वारा मांगी गई सूचना के सही और समय पर उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में कुल 227 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 198 पर कार्रवाई की जा चुकी है और शेष प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में हैं।

हमारी सीएसआर गतिविधियों के मूल्यांकन की आवश्यकता के संबंध में, हमने अपने बाहरी पणधारियों का भी मानचित्रीकरण किया है। बाहरी पणधारी दामनजोड़ी और अंगुैल में नालको की खानों और संयंत्रों के 15 कि.मी. के दायरे में स्थिति ग्रामीण बस्तियों और अंगुैल, कोरापुट, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में प्रस्तावित खनन क्षेत्रों से हैं।

4.2 उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमज़ोर और सीमांत पणधारियों की पहचान की है?

सीएसआर के प्रचालन क्षेत्रों में समुदाय मुख्यतः समाचार के आर्थिक रूप से कमज़ोर, वंचित और सीमांत समूह से संबंधित हैं।

4.3 क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों को नियुक्त करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं?

सीएसआर परियोजनाएं मुख्यतः आजीविका सृजन आदि पर गतिविधियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित होती हैं। हमारी उत्पादन इकाइयों के निकटवर्ती दूरदराज के क्षेत्रों में सीमांत समुदायों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वंचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों की स्थानीय समुदाय में आजीविका प्रावधान के जरिए आय सृजन बढ़ाने के वास्ते, विशेष गतिविधियां जैसे कि बैकयार्ड पोल्ट्री ट्रेनिंग आदि संचालित की जाती हैं। आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बताने के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर और मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक आदि भी संचालित किये जाते हैं। इसके अलावा हमारे पणधारियों के लाभ के लिए आसपास में कई विकास गतिविधियां जैसे कि अवसंरचना निर्माण, स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि भी संचालित किये जाते हैं।

सिद्धांत 5: मानवाधिकार को प्रोत्साहन

5.1 क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी के लिए लागू है अथवा समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओज/अन्य के लि विस्तारित की गई है?

मानवाधिकार संबंधी चिंताएं एसए8000 नीति एवं प्रबंधन प्रणाली, आचार संहिता के साथ–साथ भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के कानूनों के अनुरूप मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों के तहत दूर की जाती हैं। इसे आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए लागू स्क्रीनिंग एवं मूल्यांकन करते हुए मूल्य श्रृंखला के लिए विस्तारित की गई है।

5.2 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पणधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से हल किये जाने का क्या प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान केवल एक यौन उत्पीड़न की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका 31.3.13 के अनुसार, अभी समाधान किया जाना बाकी है ?

सिद्धांत 6: पर्यावरण की संरक्षा

6.1 क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनीको कवर करती है अथवा इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओज/अन्यों के लिए विस्तारित किया गया ह ?

कारपोरेट पर्यावरण नीति सभी इकाइयों के लिए विस्तारित की जाती है। इकाइयों ने उनके प्रचालनों की प्रकृति और पहलुओं के अनुरूप यथा लागू प्रत्येक यूनिट के लिए संचालित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ कारपोरेट नीति का कार्यान्वयन किया है। इसे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि के लिए विस्तारित नहीं किया गया है।

6.2 क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गर्मी आदि के समाधान के लिए कोई रणनीति/पहले हैं? हां/नही, यदि हां, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंग आदि दें।

हां। कंपनी ने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गर्मी आदि के समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

i) वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड जो जकड़ने के लिए सीपीपी में कार्बन सिकवेस्ट्रेशन पर एक प्रायोगिक परियोजना।

ii) नवीकरणीय ऊर्जा

- गांडिकोटा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेवा पवन विद्युत परियोजना पूरी और प्रचालन में है।
- जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेवा पवन विद्युत परियोजना के लिए परियोजना गतिविधियां आरंभ।
- भविष्य में कारपोरेट और यूनिटों में छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना है।

iii) पीएटी योजनाः नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी (एनएमईईई) के अधीन, विद्युत मंत्रालय ने नोडल संस्था के के तौर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ –परफार्म, अचीव एंड ट्रेड– शीर्षक से ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन हेतु एक बाजार आधारित तंत्र शुरू किया है। योजना के अधीन, 8 ऊजा सघन क्षेत्रों (एल्यूमिनियम सहित) की पहचान की गई है और इन क्षेत्रों से उद्योगों को ऊर्जा दक्षता (वृहत) लक्ष्य प्रदान किये गये हैं। पीएटी योजना के अधीन स्मेलटर एंड पावर काम्पलेक्स और एमएंडआर काम्पलेक्स की रिफाइनरी को क्रमशः 5.024 प्रतिशत और 5.54 प्रतिशत के सुधार लक्ष्यों की औसत ऊर्जा तीव्रता दी गई है। ये लक्ष्य 3 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत तक हासिल किये जाने हैं। जैसा कि ऊपर ii में संदर्भित है यूनिटों में इसके लिए ऊर्जा संरक्षण पर विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जाती हैं।

6.3 क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है?

हां। खनन उद्योग के प्रचालनों की प्रकृति ऐसी है कि इसका पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। पर्यावरणीय, संरक्षा और ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट की नियमित सुधारात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप कई कदम उठाए गए हैं। हमारी सभी विनिर्माण इकाइयां आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस18001 प्रमाणित हैं। हम सभी लागू विनियमों की अनुपालना करते हैं और हम अपने कार्यनिष्पादन में अनुपालना से भी ऊपर रहने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उत्पाद जीवनचक्र पर जोखिमों की पहचान की जाती है और उपर्युक 2.1 में विवरण दिया गया है।

6.4 क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दायर की गई है।

दो प्रायोगिक सीडीएम परियोजनाएं शुरू की गई हैं (एक सीपीपी में और दूसरी एल्यूमिना (रिफाइनरी) में)

i. सीपीपी में एक, सतत ब्लो डाउन रिकवरी प्रणाली है, जिसके लिए कान्ट्रैक्टिड डेजिगनेटिड ऑपरेशनल एंटिटी (डीओई) अर्थात मै. टीयूवी इंडिया लिमि., टीयूवी एनओआरडी, एसेन, जर्मनी की एक सहायक कंपनी द्वारा वैधीकरण रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और वैधीकरण रिपोर्ट एसेन, जर्मनी में तकनीकी समीक्षाधीन है। बायलर सिलिका सामग्री बनाए रखने के वास्ते सामान्यतः बायलर ड्रम पानी के लगातार ब्लो डाउन की अनुमति दी जाती है। इस प्रक्रिया में, ब्लो डाउन पानी द्वारा संचालित हीट एनर्जी की काफी हानि होती है। सीबीडी–सीडीएम परियोजना सतत ब्लो डाउन प्रक्रिया से हीट हानि को रिकवर करने के उद्देश्य के लिए है और इसका बायलर्स में स्टीम को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया को जब यूनिट 1 से यूनिट 6 तक कार्यान्वित किया गया, प्रति वर्ष ताप ऊर्जा के 54013 जीडब्ल्यूएचआर की कोयला खपत में अच्छी कमी और प्रति वर्ष 19680 टन के कार्बन डाईऑक्साइड के समकक्ष उत्सर्जन में कमी आई है। परंतु ये प्रायोगिक सीडीएम परियोजना को सीडीएम तंत्र के अधीन अभी पंजीकृत किया जाना है।

ii) एल्यूमिना रिफाइनरी में परियोजना ऊर्जा के संरक्षण के लिए वेरिएबल फ्रीकवेन्सी ड्राईव्स (वीएफडी) की संस्थापना के संबंध में है। 31.3.13 को 23 ड्राईव्स को 709.432 मेवा वाट–घण्टा/वर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ चालू किया गया है। 31.3.2013 को, चूंकि डीओई द्वारा वैधीकरण रिपोर्ट हेतु इनपुट्स उपलब्ध करवाने के लिए बेसलाइन डाटा उपलब्ध नहीं करवाया गया है, परियोजना भी सीडीएम परियोजना के तौर पर पंजीकरण के चरण में नहीं है।

6.5 क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा पर कोई अन्य कदम उठाए हैं? यदि हां तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंग आदि दें।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, सीपीपी में एलकेई द्वारा कार्बन सिक्वेसट्रेशन हेतु एक विशिष्ट पायलट स्केल परियोजना चालू की गई है। ये हाल का प्रौद्योगिकीय विकास है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लु गैस से सीधे सोख लिया जाता है और एलगेई के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलगेई उत्पाद कार्बन सिकवेस्ट्रेशन दक्षता के मूल्यांकन के लिए रिकवरड बायोमास में बायोमास विशेषताएं अर्थात प्रतिशत फैट कंटेंट आदि तय करने के लिए परीक्षणाधीन हैं।

ऊर्जा दक्षता के लिए उठाये गये कदमों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध करवाये गये हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में उठाये गये कदम हैः गांडिकोटा, आंध्र प्रदेश में एक 50.4 मेवा पवन विद्युत संयंत्र चालू किया गया है और जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेवा की अन्य पवन विद्युत परियोजना के लिए परियोजना गतिविधियां आरंभ की गई हैं।

चूंकि कोई विशिष्ट वेबसाइट नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में सूचना http://www.nalcoindia.com/Press-Brief.aspx पर उपलब्ध है।

6.6 क्या कंपनी द्वारा सृजित कचड़ा/उत्सर्जन रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबीद्वारा दी गई अनुमतेय सीमाओं के भीतर हैं?

हां, भारतीय विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित अनिवार्य रिपोर्टिंग दायर कर दी गई है। रिपोर्टिंग अवधि में उक्त के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई आर्थिक (या अन्य) प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं।

6.7 सीपीसीबी/एससीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हैं (अर्थात संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है)

कोई नहीं, रिपोर्टिंग अवधि में उक्त के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई आर्थिक (या अन्य) प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं।

सिद्धांत 7ः जनता पर प्रभाव डालना और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से विनियामक नीति

7.1 क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बतायें जिनसे आपका व्यापारिक कारोबार होता हैः

हां। प्रमुख संस्थाओं के नाम नीचे दिये गये हैं :

कम सं.	संगठन
1.	लोक उद्यमों का स्थाई सम्मेलन, नई दिल्ली
2.	भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (फिमि), नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय संरक्षा परिषद, मुंबई
4.	भारतीय उद्योग परिसंघ–सीआईआई
5.	भारतीय एल्यूमिनियम एसोसिएशन, बंगलौर

7.2 क्या आपने उक्त एसोसिएशनों के जरिए जनता की भलाई या सुधार हेतु सिफारिश/लॉबिंग की है? यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें (जैसे कि शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा, सतत बिजनेस सिद्धांत, अन्य)

हमारा संगठन उद्योग के विकास से संबंधित सार्वजनिक नीति के समर्थन हेतु सामूहिक मंचों अर्थात एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिमी, सीआईआई आदि का इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करती है और पूर्णरूपेण एल्यूमिनियम खनन, एल्यूमिना रिफाइनिंग और विद्युत क्षेत्रों तथा हमारे प्रचालन क्षेत्रों में समन विकास हेतु समावेशी विकास नीतियों के लिए काम करती है।

सिद्धांत 8.: समावेशी वृद्धि और समान विकास के लिए समर्थन करना

8.1 क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुरूप कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया है? यदि हां तो उसका विवरण दें।

शुरूआत से ही समावेशी विकास हमारी कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान पर है और स्थानीय तथा सीमांत समुदायों के लाभ के लिए सतत और सीएसआर पहलों पर फ़ोकस किया गया है। कंपनी ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सहायक विकास नीति भी विकसित की है जिससे समावेशी विकास में योगदान हो रहा है।

स्थाई विकास क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं खानों और सीपीपी में वर्षा जल संचयन, स्मेलटर में शोधित जल की रीसाइक्लिंग, सीपीपी में कार्बन सिकवेस्ट्रेशन पर प्रायोगिक परियोजना के क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान संगठन द्वारा सीएसआर मोर्चे पर संचालित कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैंः

i) दामनजोडी और अंगुल में 7 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां तैनात करते हुए मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

ii) दामनजोडी के आसपास में 18 जनजातीय बहुल गांवों से 401 बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु प्रायोजित किया गया।

iii) दामनजोडी में आसपास के पांच गांवों में 150–स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए सुधार विद्यालय

iv) विशाखापत्तनम के निकट गुंडम कोटा विधि मण्डल के 7 गांवों में समुदाय प्रबंधित ग्रेविटी फैड वाटर सप्लाई सिस्टम्स के जरिए पेयजल की व्यवस्था।

v) दामनजोडी के निकट पुत्राघाटी में पेयजल सुविधा का प्रावधान

vi) बोडापाडु गांव में वर्तमान समुदाय जल संरचना का नवीनीकरण और पटांगी के निकट आवासी स्कूल में पेयजल की व्यवस्था।

vii) दामनजोडी में भीतरगढ़ और कासिपुट में बकरी पालन के जरिए आर्थिक विकास

viii) दामनजोडी में सौर लालटेनों के वितरण से ग्रामीण आवासों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन

ix) अंगुल के निकट गांवों में सड़कों, स्कूल भवनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण

x) अंगुल के निकट गांवों में तालाबों, जलाशयों पेयजल सुविधाओं की बहाली/नवीनीकरण

xi) अंगुल के निकट गांवों में पशु स्वास्थ्य शिवरों का आयोजन

xii) अग्नि पीड़ितों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करवाना

xiii) अंगुल के निकट गांवों में निःशक्त व्यक्तियों को सहायक उपकरणों का वितरण।

xiv) दामनजोडी के निकट आसपास के गांवों में किसानों के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण और अंगुल के निकट बैकयार्ड पोल्ट्री ट्रेनिंग

8.2 क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं इन–हाउस टीम/स्वयं के फाउण्डेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी संगठनों/कोई अन्य संगठन द्वारा संचालित किये जाते हैं?

कंपनीद्वारा परियोजना पर सीएसआर गतिविधियां एनजीओज और सरकारी संगठनों के साथ मिलकर नाल्को फाउण्डेशन के जरिए संचालित की जाती हैं।

8.3 क्या आपने अपनी पहलों का प्रभाव मूल्यांकन किया है?

हां, कोरापुट में केंद्रीय विश्वविद्यालय ओड़ीशा द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन संचालित किया गया।

8.4 सामुदायिक विकास परियोजना में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष योगदान है–भारतीय रूपये में राशि और संचालित परियोजनाओं का विवरण।

कंपनी ने समावेशी विकास केअनुक्रम में सीएसआर परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया :

- शिक्षा को प्रोत्साहन
- आजीविका और आय सृजन पर गतिविधियों से गरीबी उन्मूलन
- स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रोत्साहन
- पर्यावरण, जल और ऊर्जा संबंधी परियोजनाएं
- स्थिरता को प्रोत्साहन
- समुदाय अवसंरचना का निर्माण
- विपदाओं, आपदाओं के निराकरण के लिए राहत उपाय करना
- व्यावसायिक कौशल में वृद्धि
- स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन
- समाज के सीमांत, निःशक्त व्यक्तियों तक पहुंचना

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सीएसआर हेतु सीधा अंशदान रू 30.99 करोड़ था।

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है?

परियोजनाएं समुदाय की जरूरत का मूल्यांकन करने के उपरांत तैयार की जाती हैं। आवश्यकता मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान समुदाय, स्थानीय सरकार और जिला प्राधिकारियों की राय को भी ध्यान में रखा जाता है। परियोजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन आंतरिक दल द्वारा कीजाती है और वहां बाहरी एजेंसी द्वारा भी वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन संचालित किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के जरिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सामुदायिक विकास पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाये।

सिद्धांत 9: ग्राहकों को मूल्य प्रदान करना

9.1 वित्त वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च 2013 को ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?

ग्राहक शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट	
31.3.12 को लंबित शिकायतें	7
वित्तीय वर्ष 12–13 के दौरान प्राप्त शिकायतें	26
वित्तीय वर्ष 12–13 के दौरान निपटाई गई शिकायतें 27	
31.3.13 को लंबित शिकायतें	6
31 मार्च 2013 को लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	18.18 प्रतिशत

6 लंबित शिकायतों में से, 4 शिकायतें मार्च, 2013 माह के दौरान प्राप्त हुई थी।

किसी भी उत्पाद क्षेत्र में हमारे किसी भी ग्राहक ने किसी अदालत में कोई उपभोक्ता मामला/कानूनी मामला दायर नहीं किया है।

9.2 क्या कंपनी स्थानीय कानूनों से ऊवा जाकर उत्पाद लेबल पर उत्पाद सूचना को प्रदर्शित करती है?

नहीं

एल्यूमिनियम धातु के मामले में उत्पाद ग्रेड, स्टेक नं., बंडल नं., निवलवजन उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित किया जाताहै। रोल्ड उत्पादों के मामले में कंपनी और उत्पादन इकाई तथा स्थान के नाम, कोइल नं., ग्रेड, आकार (मोटाई एवं चौड़ाई(एमएम में, निवलवजन (कि.ग्रा. में), निरीक्षण प्राधिकारी के हसताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सब–स्टेक्स की संख्या और प्रति पैकेट शीटों की कुल सं. (केवल रोल्ड शीटों के लिए) उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित की जाती हैं।

9.3 क्या कंपनी के विरूद्ध किसी भी पणधारी ने अनुचित व्यापार व्यवहारों, गैरजिम्मेदाराना विज्ञापनऔर/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहकार के बारे में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है। यदि हां तो उसका विवरण उपलब्ध करवाएं।

नहीं

9.4 क्या आपकी कंपनीकोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रूझानों का सर्वे संचालित करती है?

हां, कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार अर्थात सितंबर और मार्च के अंत में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक की गणना हेतु उपभोक्ता सर्वेक्षण संचालित करती है और ग्राहकों की फीडबैक लेती है।

अनुलग्नक–II

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1)(ई) और इसके तहत बनाए गए नियमों के विशेष विवरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की विभिन्न इकाइयों में ऊर्जा संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल के लिए किये गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं :

ग्रहीत विद्युत संयंत्र

1. आईएसओ 50001 के तहत ऊर्जा प्रबंधन प्रमाण पत्र : सीपीपी को 13–02–2013 को आईएसओ 50001 के तहत प्रमाणित किया गया और दो वर्षों तक वैध है। प्रमाण लेखा परीक्षा 04–01–2013 को मैसर्स डीएनवी के माध्यम से की गई।
2. कार्बन सीक्वेंसिंग प्रॉजेक्टः सीपीपी एलगै द्वारा कार्बन सीक्वेंसिंग के लिए चलाई जा रही प्रायोगिक परियोजना है। यह फ्लू गैस से सीधे सीओ 2 अवशोषित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी है तथा एलगै की वृद्धि के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा जो इसके बाद बायो–डीजल, पशुओं के लिए उच्च प्रोटीन भोजन या बॉयलर्स में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हैं उक्त परियोजना की प्रक्रिया ओएसपीसीबी के सदस्य सचिव ने 29.10.2012 को प्रारंभ की। पर्यावरण पर हाउस कमिटि की उप–समिति III की टीम ने 07.02.2013 को सीपीपी का भ्रमण किया और कार्बन सुपरविजन प्रॉजेक्ट के इस भ्रमण के दौरान पर्यावरण में कार्बन की कटौती की दिशा में प्रयासों के लिए नाल्को की अत्यधिक सराहना की गई।
3. एफ़लुअन्ट का उपयोग (एश पोंड): वर्ष के दौरान एश पोंड से 1,87,64,710 एम3 एश वाटर का पुनर्चक्रण किया गया।
4. तृतीय पास के साथ ईएसपी की रिट्रोफिटिंगः मैसर्स एनएएसएल द्वारा मौजूदा ईएसपीज में अतिरिक्त पास के संस्थापन के जरिए ईएसपीज की रिट्रोफिटिंग की परियोजना यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 के लिए रु. 135.53 करोड़ की लागत से प्रगति पर है। यूनिट–5 और 6 की ईएसपी की रिट्रोफिटिंग पूरी हो गई है। रिट्रोफिटिंग का सम्पूर्ण कार्य जुलाई 2014 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।
5. प्लांट के अंदर विभिन्न स्थानों पर 2x40 वाट फिटिंग के स्थान पर 2x28 वाट 5 ट्यूब लाइट फिटिंग(1000), कॉपर चोक्स के स्थान पर 2500 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब लाइट चोक्स और 125W HPMV फिटिंग्स के स्थान पर 70 70 W HPSV की 1250 फिटिंग्स जैसी ऊर्जा की बचत करने वाली ल्यूमिनरीज लगाई गई हैं।
6. 900 KW के पुराने किस्म के PA फैन मोटर के स्थान पर नए डिजाइन के मोटर : यूनिट#1 से यूनिट#5 के मोटर पुराने किस्म के हैं और 2009–10 में बहुत बार ये नाकाम हो जाते थे। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इनके स्थान पर बीएचइएल मेक के नए डिजाइन के PA फैन मोटर लगाने का फैसला किया गया। अंततः 6 मोटर खरीदे गए। यूनिट : 1 PA fan-A, यूनिट : 3 PA fan-A एवं B और यूनिट : 4 PA fan-B की लोकेशन पर 4 मोटर बदले जा चुके हैं। अन्य दो मोटर नियत समय में बदल दिए जाएंगे।
7. यूनिट # 7 और यूनिट # 8 का ऊर्जा ऑडिट : यूनिट # 7 का ऊर्जा ऑडिट मैसर्स श्नाइडर ने जुलाई–2012 के दौरान तथा पुनः अक्तूबर–2012 के दौरान यूनिट # 8 का किया। उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां ऊर्जा की बचत की संभावना है जैसे फ्लाई एश और बॉटम एश में बिना जली कार्बन की कटौती, LPH-3 और HPH -6 के प्रदर्शन में सुधार, एयर प्री हीटर में रिसाव में कमी।

प्रदावक :

1. प्रदावक में विशिष्ट डीसी ऊर्जा उपभोग घटकर अब तक के बेहतरीन 13394 केडब्ल्यूएचआर / एमटी पर पहुंच गया है जो एएलपीएसवाईएस एडवांस्ड रेग्युलेशन सिस्टम के साथ बाथ ड्रॉप के नियंत्रण, अनोडिक समस्याओं को कम करके, ग्रेफिटाइज्ड कैथोड ब्लॉक के उपयोग, दो पोटलाइन्स में स्लॉटिड एनोड्स के उपयोग (433 पॉट्स), सभी रनिंग पॉट्स में एनोब स्टब होल और पिन लेंथ बढ़ाने के जरिए हासिल किया जा सका है। इन गतिविधियों से समग्र करंट दक्षता 2011–12 में 93.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 94.32 प्रतिशत हो गई है।
   - विद्युत ऊर्जा की वार्षिक बचत 63,411,192 केडब्ल्यूएचआर है।
   - वर्ष के लिए वित्तीय लाभ 1826.24 लाख / ₹ 3.10 चमत केडब्ल्यूएचआर हैं।
2. विशिष्ट ईंधन ऑयल उपभोग भी विभिन्न नियंत्रण उपायों के जरिए अब तक का बेहतरीन 71एलटी / एमटी हासिल किया गया है। इन उपायों में शामिल हैं – फर्नेस इडलिंग समय में कटौती, एचएफओ लाइन में चुम्बकीय रेजोनेटर को समाविष्ट करना और श्रेष्ठ फायरिंग के लिए पीआईडी कंट्रोलर के साथ सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग जिसके फलस्वरूप रॉलिंग प्लांट के फर्नेसेज में समुचित ऑटोमाइजेशन और दहन हुआ।
   - ईंधन तेल (तापीय ऊर्जा) की वार्षिक बचत :– 2016.920 केएल
   - वर्ष के लिए वित्तीय लाभ ₹ 822.70 लाख / ₹ 40,790 प्रति केएल हैं ।
3. दिया गया पीएटी लक्ष्य हासिल करने के लिए दस पीएटी परियोजनाओं (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) के प्रदावक लिए गए हैं। इन दस परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जो विशिष्ट ऊर्जा उपभोग में उक्त कटौती में योगदान दे रही हैं।
4. आरपीओ दायित्व के अनुपालन में नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए सोलर पीवी सेल्स की व्यवहार्यता का अध्ययन बाहरी परामर्श के जरिए कराया जा रहा है तथा अंतिम रिपोर्ट सितंबर, 2013 के आखिर तक प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर, प्रदावक संयंत्र की 13वीं इमारत की छत और टाउनशिप की छत के कुल 7500एम2 क्षेत्र पर सोलर पीवी सेल्स का संस्थापन निर्भर करेगा। पीक अवर्स के दौरान 1.17 एमडब्ल्यू सोलर क्षमता के सृजन का आकलन किया गया है।

रिफाइनरी

1. रिफाइनरी और एसपीपी की विभिन्न लोकेशन पर 23 ड्राइव्स में वीवीएफडी के संस्थापन के फलस्वरूप 87 केडब्ल्यू बिजली की बचत
2. नई किस्म की कपलिंग अर्थात मैग्नाड्राइव कपलिंग को कनवेयर–6ए में सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है जो चुम्बकीय इंडक्शन के सिद्धांत के इस्तेमाल से टॉर्क प्रेषित करती है। टॉर्क प्रेषण की इस अनोखी खूबी के साथ मैग्नाड्राइव कपलिंग के पारंपरिक फ्लुइड कपलिंग की तुलना में अनेक फायदे हैं जैसे 4 प्रतिशत तक विद्युत ऊर्जा बचत, कंपन दूर करना, मिसअलाइनमेंट सहनशीलता, शॉक लोड सहनशीलता इत्यादि।
3. बीएफपी (बॉयलर फीड पम्प) वार्म अप लाइन से फीड वाटर लॉस को दूर करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया। इसके फलस्वरूप तापीय ऊर्जा और डीएम वाटर की पुनःप्राप्ति हुई।
4. क्रशर और ड्राइव्स में उपकरणों की आइडल रनिंग में कटौती कार्यान्वित की गई। आइसोलेटिड टैंक्स में एजिटेटर्स की रनिंग का 5 मिनट रोजाना तक मानकीकरण किया गया तथा 10 मिनट रोजाना के लिए ड्राइव्स के ट्रायल रन का मानकीरण किया गया। इसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा में बचत हुई।
5. पुराने वैपोरेटस में सीडब्ल्यू पम्प की रनिंग को बेहतर बनाने के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा में बचत हुई और 6–6 मोड में इवेपोरेटर चलाने के फलस्वरूप भाप के उपभोग में कमी हुई।

पंचपाटमाली बॉक्साइट खान

1. पहले संस्थापित किए जा चुके चालीस (40) ऊर्जा मीटरों को मौजूदा एलएएन नेटवर्क और समर्पित सर्वर्स के इस्तेमाल से ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के साथ लटकाया गया है। इस प्रणाली को बेहतर किया गया और अब वह ऊर्जा उपभोग प्रारूपों के लिए विविध विश्लेषण रिपोर्ट बनाने में सक्षम है।
2. मैसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने विस्तृत ऊर्जा ऑडिट पूरा कर लिया है। खानों में ऊर्जा की भारी बचत की संभावना के साथ उसकी 13 सिफारिशों में से एक कार्यान्वित की गई है जबकि बाकी के लिए खरीद और कार्यान्वयन कार्रवाई प्रगति पर है।

फार्म–ए

ऊर्जा संरक्षण संबंधी विवरण

क. विद्युत एवं ईंधन की खपत

		ग्रहीत विद्युत संयंत्र		एल्यूमिना परिशोधन		प्रदावक संयंत्र	
		चालू वर्ष 2012-13	गत वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	गत वर्ष 2011-12	चालू वर्ष 2012-13	गत वर्ष 2011-12
1.	1.1 विद्युत					लागू नहीं	
	(अ) ग्रिडको से खरीद						
	युनिट (मिलियन किलोवॉट घंटा)	106.297	139.362	74.306	66.103		
	कुल राशि (₹ लाख में)	7,334.52	9,332	5,312.91	4,281.32		
	दर/युनिट (₹/किलोवाट घंटा)	6.90	6.70	7.15	6.48		
	(ब) निजी सृजन						
	i) डीजल जेनरेटर से	(i) लागू नहीं		लागू नहीं			
	युनिट						
	युनिट प्रति लीटर डीजल ऑयल						
	लागत/ मूल्य						
	ii) वाष्प टरबाइन / जेनरेटर से						
	युनिट (सकल)/मिलियन कि.वा.घंटा	6855.271MU	6983.33	363.722	365.038		
	ईंधन ऑयल/गैस की यूनिट प्रति लीटर	एनए	284.40	-	-		
	लागत/युनिट (कि.वा. घंटा)	₹ 310.68	2.82	-	-		
2.	**कोयला (गुणवत्ता एवं उपयोग क्षेत्र का उल्लेख)**						
	(क्वालिटी ग्रेड – एफ एण्ड जी, आयात)						
	विद्युत और भाप के अपने सृजन के लिए प्रयुक्त गुणवत्ता (टन)						
	मात्रा (टन में)	5,709,496	5,622,764	1,153,566	1,105,716		
	कुल लागत (₹/लाख में)	1,04,090.94	93,857.86	29,071.41	23,312.80		
	औसत दर (₹/टन में)	1,823.11	1,669.25	2520.15	2,108.39		
3.	**भट्ठी तेल**						
	मात्रा (कि.ली.)	19,823.701	24,555	147,696.5	144,722	28,639	32,157
	कुल राशि (/लाख में)	8,986.27	9,704.06	59,587.24	53,155.08	11,681.93	11,606.88
	औसत दर (टन में)	45,330	39,520	39,667	36,729	40,790	36,094
4.	**अन्य / आन्तरिक सृजन**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	मात्रा						
	कुल लागत						
	दर/ इकाई						

ख. उत्पादन की प्रति युनिट खपत

	उत्पाद (विवरण सहित)	इकाई	मानक (यदि कोई हो)	चालू वित्त वर्ष 2012–13	पिछला वित्त वर्ष 2011–2012
1.	**एल्यूमिना**				
	(क) बिजली	(केडब्ल्यूएच/एमटी)	335	349.28	341.68
	(ख) निस्तापन हेतु ईंधन ऑयल	(लीटर/एमटी)	77	77.56	76.95
	(ग) वाष्प के लिए कोयला	(किलोग्राम/एमटी)	620	640	652
	(घ) वाष्प के लिए ऑयल	(लीटर/एमटी)	4	6.09	8.73
2.	**एल्यूमिनियम**				
	(क) ए.सी. बिजली	(केडब्ल्यूएच/एमटी)	14,800	14,708	14,801
	(ख) ईंधन ऑयल	(लीटर/एमटी)	90	71	77
	अन्य	-	-	-	-

फार्म–बी
प्रौद्योगिकी अवशोषण अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के बारे में विवरण का प्रस्तुतीकरण

1. कंपनी ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की हैं, वे निम्नानुसार हैं:

(क) इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

एल्यूमिना संयंत्र

1. लाइम के विभिन्न स्रोतों से सीएओ की साल्युबिलिटी स्थापित करने के लिए अध्ययन (पूर्ण)
2. प्री डेसिलिकेशन टैंक में हीटिंग बंडल्स की संस्थापना (एक टैंक पूर्ण–प्रदर्शन संतोषजनक)
3. प्रॉसैस लिकर से वेंडियम स्लज निकालना (जारी है)
4. सिरेमिक उपयोग के लिए लो सोडा अल्फा स्पेशल एल्यूमिना तैयार करने के लिए चक्रीय भट्टी का परिशोधन (परियोजना जारी है)
5. विभिन्न फ्लोक्युलेंट्स के आपूर्तिकर्ताओं के साथ उच्च दर थिकनर्स और नए स्ट्रीम के गहरे कोन वाशर्स में उपयोग के लिए प्रयोगशाला पैमाना अध्ययन संचालित किया गया।

प्रदावक संयंत्र

1. बेकड एनोड का नियमित करेक्ट्राईजेशन और उसकी गुणवत्ता की निगरानी
2. कार्बन संयंत्र के कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अध्ययन
3. एनोड गुणवत्ता सुधार के लिए एनोड बेंच स्केल अध्ययन
4. गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कास्ट प्रॉडक्ट्स का नियमित मेटलोग्रॉफिक अध्ययन
5. उत्पादन और स्लॉटेड एनोड्स तथा पॉटलाइन में उच्च स्टब होल गहराई वाले एनोड्स के इस्तेमाल का प्रारम्भ
6. ईंधन ऑयल की बचत के लिए कॉस्ट हाउस भट्ठियों में मैगनेटिक रसोनेटर्स परीक्षण के आधार पर लगाए गए हैं
7. स्पेंड पॉट लाइनिंग के कार्बन अंग के इस्तेमाल की बुनियाद डालने के लिए बेसिक स्केल जांच की गई
8. कास्ट हाउस फर्नेसिस में मेल्ट लॉस की मानीटरिंग
9. एनोड्स में आयरन तत्व में कमी लाने के लिए प्रॉसैस की निगरानी की गई
10. फ्लक्स के अनुप्रयोग कर ड्रॉस जेनरेशन में कमी लाने के लिए ट्रायल किया गया
11. कॉस्ट प्रॉडक्ट्स में ग्रेन रिफाइंनिंग के लिए टिबोर रॉड्स के नियमित मेटाग्राफिक अध्ययन का इस्तेमाल किया गया
12. रोल्ड एल्यूमीनियम शीट/से नए उत्पादों के विकास के लिए ट्रायल किया गया
13. लगाने के बाद पहली बार पॉटलाइंस में पीएससी आकलन किया गया
14. एसीडी आकलन और ऑप्टीमाइजेशन के लिए मॉडल और टूल विकसित करने की परियोजना प्रगति पर है
15. पॉटलाइन्स में एनोड शिफ्ट साइकिल पर एक मॉडल का विकास किया गया
16. नुमालीगढ़ रिफायनी से प्राप्त सी.पी. कोक की गुणवत्ता के पुनर्आकलन की तुलना में एनोड की गुणवत्ता के विषय में किया गया संयंत्र स्केल अध्ययन
17. एनोड की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सी.पी. कोक की सम्पत्तियों को संशोधित करने के लिए आपूर्तिकर्ता के यहां किया गया प्रारम्भिक अध्ययन

बी) सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

कुछ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्यों में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

1. आईएमएमटी, बीबीएसआर–के साथ सहयोग में पिग/कास्ट आयरन और एल्यूमिना रिच स्लैग के उत्पादन के लिए लाल मिट्टी की प्लाज्मा स्मेल्टिंग पूरी हो गई है।
2. विषाक्त साइनाइड के विनाश के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का विकास और मूल्यवान चीजों (स्पेंट पॉट–लाइनिंग्स सामग्रियों से सोडियम, फ्लुओराइड्स, इत्यादि की पुन–प्राप्ति– पूरी हो चुकी है।
3. वेस्ट एल्यूमिनियम ड्रॉस से लो फेरिक एल्यूम की तैयारी – पूरी हो चुकी है।
4. लाल मिट्टी से हल्क एग्रीगेट्स का विकास– पूरा हो चुका है।
5. लाल मिट्टी से ग्लास सेरामिक्स के विकास के लिए बेंच स्केल अध्ययन– पूरे हो चुके हैं।
6. आईएमएमटी, बीबीएसआर द्वारा उत्प्रेरक के इस्तेमाल से एल्यूमिना ट्रि–हाइड्रेट उत्पादकता पर लैब स्केल अध्ययन– पूरा हो चुका है।
7. आईआईटी, खडगपुर के सहयोग में फ्लाई एश से सेरामिक टाइल्स का विकास और लैब स्केल कार्य पूरा हो चुका है।
8. आईएमएमटी, भुबनेश्वर के साथ मेटल मैट्रिक्स काम्पोजिटफस का विकास– जारी है।
9. इलेक्ट्रोलिटिक बाथ का लिक्विडस तापमान निर्धारण के लिए जांच का विकास– पूरा हो गया है।
10. मेल्ट लोस की कटौती के लिए मेल्ट लोस जनरेशन और डिराइव सॉल्यूशन में विस्तृत अध्ययन – पूरा हो गया है।
11. भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के लिए हाई स्पीड एक्सट्रूशन अलॉय का विकास – जारी है।
12. जेएनएआरडीडीसी, नागपुर में इन्फ्रा रेड थर्मोग्राफी अध्ययन– अध्ययन का दूसरा जारी है।
13. इलेक्ट्रोलाइट बाथ की विलेयता पर एल्यूमिना क्वालिटी के प्रभाव का अध्ययन– जारी है।
14. डीसी कास्ट ए ए 6063 अलॉय में बिलेट क्वालिटी का आकलन – जारी है।
15. हाइड्रोजन प्लाज्मा के जरिए बॉक्साइट के उपचार का निरीक्षण –एनआईटी, राउरकेला में हाल ही में शुरू हुआ है।

16. सिलिका की बायो लीचिंग के जरिए नाल्को फ्लाई एश में एल्यूमिना का उन्नयन और पाइरो/हाइड्रोमेटालर्जिकल माध्यमों के जरिए एल्यूमिना की अनुवर्ती – पुनःप्राप्ति आईएमएमटीए भुबनेश्वर में हाल ही में शुरू हुई है।

2. उक्त अनुसंधान एवं विकास (इन–हाउस और सहयोगात्मक) के फलस्वरूप प्राप्त लाभ

1. जांच से पता चला है कि चूने का विशिष्ट स्रोत उपयोग करते समय लिकर में सीएओ की विलेयता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। परिचालन विभाग को उत्पाद में सीएओ बनाए रखने के लिए अन्य स्रोत से चूने के साथ विशेष स्रोत से चूने का मिश्रण करने की सिफारिश की गई है।
2. प्रोसेस लिकर में कन्डेन्सेट सांद्रण का उन्मूलन, इसलिए भाप की बचत और वाष्पन के लिए अपेक्षित ऊर्जा की बचत।
3. वैनेडियम स्लज मूल्य वर्धित उत्पाद है। लिकर से नमक निकालने से पाइप्स और उपकरणों में स्केलिंग को दूर रखने में मदद मिलती है तथा लाइम उपभोग में भी कमी होती है।
4. कम सोडा उच्च एल्फा स्पेशॅल एल्युमिना मूल्य वर्धित उत्पाद है।
5. नई उत्पादन प्रणाली शुरू करने से पहले विविध फलोक्युलैंट्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन।
6. नए उत्पाद के रूप में चेक्वेरेड शीट की शुरुआत के फलस्वरूप विविधता आई और प्रॉडक्ट मिक्स उपलब्ध हुआ तथा अतिरिक्त राजस्व के जरिए स्मेल्टर प्लांट को फायदा हुआ।
7. समावेशन विश्लेषण और मेटलोग्राफिक अध्ययनों से उत्पाद की क्वालिटी सुधारने में मदद मिली है।
8. बेक्ड एनोड्स के नियमित विश्लेषण से एनोड की क्वालिटी सुधारने में मदद मिली है।
9. कास्ट हाउस फर्नेसेज में मेल्ट लोस के बेस लाइट डाटा के लिए प्रयास किया गया है।
10. पॉटलाइन्स में स्लोटेड एनोड्स और हायर स्टब होल गहराई वाले एनोड्स के इस्तेमाल के फलस्वरूप ऊर्जा उपभोग में कमी के कारण महत्वपूर्ण बचत हुई।
11. अनुसंधान एवं विकास प्रयास के कारण ग्रीन एनोड प्लांट में अच्छी क्वालिटी को कोक इस्तेमाल किया गया है। ग्रीन एनोड घनत्व और बेक्ड एनोड घनत्व दोनों में सुधार देखा गया। बेहतर क्वालिटी के एनोड के कारण पोटलाइन प्रदर्शन में भी सुधार हुआ।
12. पोटलाइन के नॉन–वेटिंग कास्टेबल टैपिंग लैडल्स के परीक्षण के फलस्वरूप औसत लैडल लाइफ 5.5 महीने से बढ़कर एक वर्ष हो गई। अनुमानित वार्षिक बचत लंगभग ₹ 7.95 लाख
13. स्मेल्टर प्लांट ड्रोस से फेरिक एल्युम के उत्पादन के लिए प्रक्रिया विकसित की गई है।
14. एसपीएल के कार्बन अंश में से मूल्यवान चीजों की पुनः प्राप्ति के लिए स्पेंट पॉटलाइन्स की अनुवर्ती संभाल के लिए स्पेंट पाटलाइन के साइनाइड को निकालने की प्रक्रिया विकसित की गई है।

3. भविष्य की कार्रवाई योजना तथा नई परियोजनाएं

1. दोनों साइट्स पर आर एंड डी केंद्रों के पुनर्निर्माण सहित भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय नाल्को अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना
2. कुछ आर एंड डी प्रॉसैसिज का वाणिज्यिकरण
3. फ्लाई ऐश का सेरेमिक टाइल्स के निर्माण में उपयोग, औद्योगिक जांच
4. फ्लाई ऐश से एल्यूमिना के एक्सट्रैक्शन के प्रॉसैस नो हाओ का विकास
5. उत्पाद में सीएओ के समावेश से संबंधित अध्ययन
6. विपणन के लिए सॉल्ट को ग्रीन लिकर से अलग करने के लिए ओक्सालेट रिमूवल यूनिट/जियोलाइट प्लांट में मौजूद सुविधाओं का उपयोग
7. प्रॉसैस पैरामीटर्स को उपयुक्त बनाने के लिए रिएक्शन किनेटिक्स का अध्ययन
8. न्यूनतम अशुद्धता अवरोध के साथ उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए अवक्षेपन के रिएक्शन किनेटिक्स का अध्ययन
9. विविध नयी प्रौद्योगिकियों को अपनाना और कॉस्ट हाउस में मेल्ट हानि घटाने के उपाय करना
10. प्रदावक संयंत्र की विविध सब–प्रॉसैसिज के माडलिंग अनुभव
11. स्पेंट पॉट लाइनिंग कार्बन पोर्शन से कीमती तत्वों की बरामदगी के लिए बेंच स्केल प्रॉसैस का विकास
12. ड्रॉस प्रॉसैसिंग के लिए उचित प्रॉसैस का चयन
13. एनोड की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बेंच स्केल/पायलट स्केल अध्ययन
14. मूल्य वर्धन एवं नए उत्पादों का विकास
15. प्रदावक संयंत्र के प्रॉसैस और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित परियोजनाएं/अध्ययन
16. एनोड्स के ऑक्सीडेशन बिहेव्यिर में सुधार के संबंध में अध्ययन
17. मैसर्स ऑबाइट इंक, कनाडा के सहयोग से बॉक्साइट/लाल मिट्टी आदि से एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन

मिशनः

कंपनी के विज़न और मिशन के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए

1. सीपीपी सहित विभिन्न इकाइयों में दक्षता में सुधार, लागत में कटौती हेतु बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम स्मैल्टिंग से संबंधित प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों और इसकी साइट्स पर सुविधाओं का सृजन
2. बेहतर कच्चे माल, नए उत्पाद, बेहतर गुणवत्ता, अपशिष्ट उपयोग और विश्लेषणात्मक इनोवेशन के लिए नियमित रूप से कार्य करना।
3. साइट आरएंडडी के साथ मिलकर सभी उत्पादन इकाइयों को नियमित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

लक्ष्यों और उद्देश्यों का निरूपण करने वाले मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है :

अधिकतम उत्पादन के लिए एक्सट्रैक्शन कारगरता और उत्पादकता बढ़ाना

बॉक्साइट, पॉवर, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादन की लागत में कटौती करना

नए एल्यूमिनियम एलॉय्स और मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास

अपशिष्ट को उपयोग में लाना एवं निस्तारण तथा

संदर्भ मानकों के विकास के साथ विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता हासिल करना

स्थलों पर अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के विवरण के साथ संशोधित रोडमैप तैयार किया गया है। संशोधित रोडमैप प्रौद्योगिकी समिति ने बनाया और बाद में बोर्ड ने उसे मंजूरी प्रदान की।

कंपनी में इन–हाउस या सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों के जरिए विकसित नो–हाउ प्रक्रिया की पेंटेंटिंग पर बल दिया गया है। अब तक 22 पेटेंट्स दाखिल करने के लिए भेजे गए हैं जिनमें 3 पेटेंट वर्तमान वित्तीय वर्ष में दायर किए गए हैं। कम्पनी की विभिन्न इकाइयों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन सहित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और उनसे प्रक्रिया एवं उत्पादकता में आगे सुधार के लिए सृजित लाभों की समीक्षा के लिए बोर्ड स्तरीय प्रौद्योगिकी समिति की तीन महीने में एक बार बैठक हो रही है। इसके अलावा डीपीई के दिशानिर्देषों के अनुरूप एक स्वतंत्र समिति आरएसएसी (अनुसंधान एवं वैज्ञानिक सलाहकार समिति) द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं से संबद्ध सहमति पत्रों की समीक्षा की गई।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

(₹ in lakhs)

		2012-13	2011-12
(क)	पूंजी	**1,226**	416
(ख)	रेकरिंग	**666**	699
(ग)	योग	**1,892**	1,115
(घ)	कुल आर एण्ड डी पर व्यय कुल कारोबार का % :	**0.26**	0.16

5. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूल एवं नवाचार :

(क)एमएंडआर कॉम्पलेक्स, दामनजोड़ी :

क्रम सं.	सुधार का विवरण	उसके लाभ
1	प्रेसिपिटेटर्स में स्पिल्ट फीडिंग	सोडे की अशुद्धता घटी
2	उच्च दर सेटलिंग टेक्नोलॉजी	एल्यूमिना की हानि में फिर से कमी, सोडा और ताप हानि, फुट प्रिंट एरिया और कैपेक्स में कमी
3	टीसीए का फिल्टर एड के तौर पर उपयोग	विशिष्ट फिल्ट्रेशन दर में सुधार हुआ
4	केली फिल्टर्स के स्थान पर उन्नत वर्टिकल डायस्टर फिल्टर्स	प्रवाह दर बढ़ी और कैपेक्स में कमी आई। वॉसिंग की जरूरत नहीं रही, सर्किट के हल्केपन में कमी आई इस प्रकार वाष्पीकरण की लागत में कमी आई
5	वर्तमान 3 स्टेज पीएचई में दो स्टेज पीएचई एलिमिनेटिंग	उच्चतर ताप वसूली
6	सोडा में सीड ग्राइंडर शामिल करना और सीड पार्टिकल का औसत आकार नियमित आधार पर 45 से 10–12 प्रतिशत कम रखना	लिकर उत्पादकता में सुधार और उत्पाद में 200 पीपीएम तक कटौती

(ख) प्रदावक संयंत्र, अंगुल :

क्रम सं.	सुधार का विवरण	उसके लाभ
1	स्टब होल की गहराई 90 एमएम से 110 एमएम तक बढ़ाई गई	• पॉटलाइन में डीसी विद्युत की खपत में कमी आई
2	कॉस्ट हाउस ए में पेंडेंट कंट्रोल के अलावा 2 ईओटी क्रेन्स के लिए रेडियो रिमोट कंट्रोल की स्थापना की गई एवं इस्तेमाल किया गया	• आसान और सुरक्षित • परिचालन
3	2.2 के.डब्ल्यू लेरॉय सोमर मेक (आयातित मूल) ईसीएल 2 केबिन सीटी मोटर को सीएच–ए में स्वदेशी तकनीक से निर्मित (सीजीएल मेक) से बदला गया।	• आयात का स्थानापन्न • लागत में कटौती

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण :

(अ) एमएंडआर कॉम्पलेक्स, दामनजोडी :

आयातित प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह आत्मसात की गई है?	यदि पूरी तरह आत्मसात नहीं गई है, तो वे क्षेत्र जहां इसे नहीं अपनाया गया, उसके कारण और भावी कार्य योजनाएं
टाइट्रेशन आधारित विश्लेषण के स्थान पर सोडा और डिजोल्वड एल्यूमिना के लिए बेयर लीकर का प्रोटेंशियोमीटर विश्लेषण	2008-09	पूरी तरह आत्मसात की गई है	–
माइक्रो फाइन्ड हाइड्रेट की वृद्धि के जरिए सीड ग्रेन साइज कंट्रोल	2008-09	पूरी तरह आत्मसात की गई है	–
फ्लोराइड, ऑक्सलेट आदि के विश्लेषण के लिए आयन प्रोमाटोग्राफ	2008-09	पूरी तरह आत्मसात की गई है	–
पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए ऑटो एनालाइजर	2010-11	–	मूल्यांकन जारी है
फर्नेसिस और वैद्युत स्विचयार्ड उपस्करों में हॉट स्पॉटस का पता लगाने के स्टडीज			जेएनएआरडीडीसी के साथ लिए गए सहयोगी परियोजना के अधीन प्राक्कलन किए गए। आईआर थर्मोग्राफी थर्मोग्राफी की मानक पद्धति को अंजाम देने के लिए थर्मोग्रॉफी कैमरा अधिमूल्यन की प्रक्रिया में है

(ब) प्रदावक संयंत्र, अनमुल :

आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह आत्मसात की गई है?	यदि पूरी तरह आत्मसात नहीं गई है, तो वे क्षेत्र जहां इसे नहीं अपनायाा गया, उसके कारण और भावी कार्य योजनाएं
टी–इनगॉट्स के उत्पादन के लिए हार्टविच इंजीनियरिंग, ऑस्ट्रिया द्वारा स्थापित निरंतर ऑटोमेटिड हॉरिजेंटल डायरेक्ट चिल (एचडीसी) कॉस्टिंग मशीन ओपन टॉप मॉल्ड कास्ट इनगॉट्स की तुलना में टी–इनगॉट्स बेहतर गुणवत्ता और रंगरूप वाले हैं	2010-11	हाँ	
पॉटलाइन में एएलपीएसवाईएस पॉट रेगुलेशन सिस्टम लागू किया गया है नीचे दी गई पुरानी प्रणाली की तुलना में एएलपीएसवाईएस सिस्टम के कार्यान्वयन के लाभ काफी महत्वपूर्ण हैं • वर्तमान कारगरता को अधिकतम बनाना • एनोड इफैक्ट फ्रीक्वेंसी, पीएफसी जेनरेशन, ऊर्जा की खपत में कमी लाना • ऑटोमेटिड रॉबोटिक स्किमर सिस्टम चालू कर दिया गया है और कास्ट हाउस–ए के आईसीएम–1 में सेवा में लगाया गया है। इससे उत्पादकता में सुधार होगा।	2012-13	हाँ	
ईसीएल–1 मैन हॉयस्ट और अक्स। हॉयस्ट ड्राइव्स को कास्ट हाउस–बी की नवीनतम प्रौद्योगिकी रॉकवैल ऑटोमेशन 755 पॉवर फ्लैक्स ड्राइव से अद्यतन किया गया है	2012-13	हाँ	सिस्टम विचाराधीन है
160एमटीईसीएल क्रेन पॉटलाइन में चालू कर दी गई है	2012-13	हाँ	

6. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी की विदेशी मुद्रा आय वर्ष 2011–12 में ₹ 2,558 करोड़ के मुकाबले 2012–13 में ₹ 3378 करोड़ था।

आपकी कंपनी की विदेशी मुद्रा व्यय पिछले वर्ष में ₹ 328 करोड़ के मुकाबले रिपोर्टाधीन वर्ष में ₹ 287 करोड़ था।

अनुलग्नक–3

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) और कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अनुसार वक्तव्य

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम (श्री / श्रीमती)	कर्मचारी का पद	प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक (₹)	योग्यता एवं अनुभव (वर्ष में)	रोजगार शुरू होने की तारीख	आयु 31.03.2013 के अनुसार	कम्पनी से जुड़ने से पहले कहां कार्यरत थे
1	2	3	4	5	6	7	8
पूरे वित्त वर्ष के दौरान कार्यरत रहे और प्राप्त होने वाला कुल पारिश्रमिक साल के लिए 60,00,000/ से कम न था।							
				शून्य			
वित्त वर्ष 2012–13 के किसी हिस्से के दौरान कार्यरत रहे और प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक 50,000/ प्रतिमाह से कम न था।							
01.	जी.एस. महापात्रा	एएम (सतर्कता)	5,24,862.00	बीए, इलैक्ट्रीकल में डिप्लोमा / रेडियो / कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 40 साल	10 / 06 / 1989	60 वर्ष 11 महीनें	इंडियन एयर लाइन्स
02.	एच.के. प्रताप	एजीएम (समन्वयन)	26,25,610.00	एमए, एलएलबी, पीजीडीएमएम 36 वर्ष	28 / 03 / 1984	60 वर्ष 10 महीनें	एएलआईएमसीओ
03.	एस.सी. पटनायक	एजीएम (एचआरडी)	18,44,999.00	बीएससी, एलएलबी, एमएलएस, पीजीडीआईआरपीएम 39 वर्ष	29 / 09 / 1982	60 वर्ष 08 महीनें	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
04.	जॉय वर्गीज	डी (पी एंड ए)	32,70,991.00	एमएसडब्ल्यू, एमबीए 35 वर्ष	01 / 10 / 2007	60 वर्ष 07 महीनें	के.आईओसीएल

नोट्स

1. पारिश्रमिक में एलटीसी और मेडिकल प्रतिपूर्ति शामिल नहीं होगी और इसमें भविष्य निधि का योगदान शामिल होगा।
2. सभी नियुक्तियां नियमित आधार पर है।
3. सेवा शर्तें कंपनी के नियमों के अनुसार है।
4. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और कार्यवाहक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है एवं उनके कार्यकाल अनुबंध के आधार पर है।
5. आलोच्य वर्ष में कम्पनी में कर्मचारियों की इक्विटी का प्रतिषत शून्य है।
6. उपरोक्त में से कोई कर्मचारी का कम्पनी के किसी भी निदेशक से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

अनुलग्नक–IV

कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1.0 धारणा

कार्पोरेट अभिशासन सभी पणधारियों के हितों के दायित्व, समन्वय और देखरेख के लिए उचित निरीक्षणों और संतुलनों के साथ एक सांस्थानिक ढांचा है। प्रत्येक संगठन दो स्तरीय प्रणाली अर्थात निदेशक मण्डल और प्रबंधन के साथ संचालित होती है। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि संगठन के भीतर और बाहर व्यवहारों में मूल्य, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और निष्पक्षता की मजबूत संस्कृति के साथ कंपनी के कार्यनिष्पादन और लाभपरकता के वास्ते श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। अतः कारपोरेट अभिशासन उच्च स्तर की जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को निदेशित करने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली और संरचना स्थापित करता है जो कि सभी पणधारियों में विश्वास और भरोसा निर्माण पर केंद्रित होता है।

एक संगठन के तौर पर नालको मजबूत प्रबंधन, पारदर्शिता और अपने पणधारियों के साथ सभी संबंधित सूचना के आदानप्रदान में विश्वास करता है। सूचीयन समझौते के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, कंपनी समय–समय पर लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों का पालन भी करता है।

2.0 निदेशक मण्डल

कंपनी के एक कानूनी स्वरूप होने के नाते, निदेशक मण्डल पर कार्यनीतियां और नीतियां तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। जबकि पूर्णकालिक निदेशक अपने पदानुक्रम के जरिए अर्थात प्रबंधन, रोज़मर्रा की गतिविधियों की देखरेख सुनिश्चित करते हैं और दीर्घावधि योजनाएं तैयार करते हैं जबकि अंशकालिक सरकारी और गैर सरकारी निदेशक नीति निर्धारण और कार्यनीतियों में अपनी बुद्धिमत्ता और विशेषज्ञता का योगदान करते हैं। अतः कार्पोरेट अभिशासन व्यवहार बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का मिश्रण है।

2.1 बोर्ड का आकार

कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार, बोर्ड में निदेशकों की संख्या चार से कम और अठारह से अधिक नहीं होगी। एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार है:

i अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक निदेशक

ii दो पूर्णकालिक सरकारी निदेशक, मूलतः भारत सरकार से नामित निदेशक

iii आठ अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक जिन्हें भारत सरकार एक खोज़ समिति के जरिए नियुक्त करती है।

2.2 संयोजन

सोलह निदेशकों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध, 31 मार्च, 2013 को बोर्ड के 15 निदेशक थे जिनमें दो गैर कार्यपालक सरकारी निदेशक और आठ गैर–कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक हैं। सूचीयन समझौते और कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में यह शर्त है कि बोर्ड के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। बोर्ड स्तरीय स्थति बनाव सूचीयन समझौते और कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाएं नीचे दी गई हैं:–

अवधि	पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशकों का संयोजन	स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या
01.04.2012 से 29.04.2012 तक	6	6	6
30.04.2012 से 30.05.2012 तक	7	7	6
31.05.2012 से 09.07.2012 तक	6	6	6
10.07.2012 से 30.08.2012 तक	6	6	8
31.08.2012 से 23.09.2012 तक	5	5	8
24.09.2012 से 19.12.2012 तक	6	6	8
20.12.2012 से 31.03.2013 तक	7	7	8

30.04.2012 से 30.05.2012 तक की लघु अवधि के लिए बोर्ड के संयोजन में अनुपालन नहीं हुआ था। लेकिन रिक्तियों को सूचीयन समझौते की धारा 49 में यथाविनिर्दिष्ट 180 दिनों के भीतर भर लिया गया था।

2.3 निदेशकों का विवरण

क्रमानुसार सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों का संक्षिप्त विवरण और नियुक्ति चाहने वाले अतिरिक्त निदेशकों, विनिर्दिष्ट संकार्य क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति सहित, कंपनियों के नाम जिनमें वे बोर्ड/समितियों में निदेशक और सदस्यता/अध्यक्षता धारण कर रहे हैं, वार्षिक आम बैठक बुलाए जाने की सूचना के साथ संलग्न हैं।

2.4 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यावधि

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। सभी कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति, कार्यभार लेने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार हेतु ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है। उन्हें सामान्यतः भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की कार्यावधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक खान मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे खान मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर बोर्ड का निदेशक नहीं बने रहते हैं।

2.5 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत कम से कम सात दिनों की अग्रिम सूचना देते हुए आयोजित की जाती हैं। तात्कालिकता और महत्ता के मामले में प्रस्ताव परिचालन के जरिए भी पारित किये जाते हैं जिन्हें बाद में पुष्टि हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

सूचीयन समझौते की अपेक्षाओं के अनुसार दो बोर्ड बैठकों के बीच चार माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष के दौरान एक बार ऐसा मौका आया जब दो बोर्ड बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अंतर था।

वर्ष के दौरान 21.05.2012, 21.08.2012, 25.10.2012, 15.12.2012 और 20.03.2013 को पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिक समय अंतर क्रमशः 51 दिन और 94 दिन था। बोर्ड बैठकों और बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

बोर्ड की बैठक की संख्या व दिनाँक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
261/21.05.2012	13	12
262/21.08.2012	14	13
263/25.10.2012	14	12
264/15.12.2012	14	13
265/20.03.2013	15	13

बोर्ड बैठकों का विवरण जिनमें निदेशक उपस्थित हुए, पिछले वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यता की संख्या नीचे दी गई है:

अ. पूर्णकालिक निदेशक

नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकें		14.08.2012 को हुई 31वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशकता की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता'	
	अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री अंशुमान दास निदेशक (कामर्शियल) एवं सीएमडी(1)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी एल बागरा निदेशक (वित्त) (2)	5	5	हाँ	2	1	–
श्री एस एस महापात्र, निदेशक (उत्पादन)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन आर महान्ति निदेशक (पीएंडटी)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस सी पाढी निदेशक (मा.सं.) (20.12.2012 से)	1	1	लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए के श्रीवास्तव, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (3)	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जॉय वर्गीज, निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) (31.08.2012 तक)	2	2	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य

ब. (i) अंशकालिक सरकारी निदेशक (गैर–स्वतंत्र)

सुश्री गौरी कुमार, आईएएस (24.09.2012 से)	3	2	ला.न.	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दुर्गाशंकर मिश्र, आईएएस (26.02.2013 से)	1	1	ला.न	2	2	शून्य
श्री अरूण कुमार, आईएएस (30.04.2012 से 26.02.2013 तक)	4	3	नहीं	1	शून्य	1
श्री एस के श्रीवास्तव, आईएएस (31.05.2012 तक)	1	–	ला.न.	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वेद कुमार जैन	5	5	हां	5	5	3
श्री पी सी शर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त)	5	5	नहीं	2	1	1
श्री जी पी जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	5	5	नहीं	3	1	शून्य
श्री एस एस खुराना	5	4	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री मधुकर गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त)	5	4	नहीं	1	–	–
श्री जी एच अमिन	5	4	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री कैसर शमीम (10.07.2012 से)	4	3	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजीव बत्रा (10.07.2012 से)	4	4	नहीं	3	2	शून्य

* सूचीयन समझौते के अनुसार केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति में सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया जाता है।

(1) 29.08.2012 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किये हुए हैं।

(2) 27.02.2011 28.08.2012 तक अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण किया।

(3) 26.02.2012 से निलंबनाधीन थे। बाद में उनकी सेवाएं भारत सरकार ने 11.12.2012 को समाप्त कर दीं।

2.6 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

सूचीयन समझौते के उपबंध 49 के अधीन यथा निर्धारित सूचना नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। कंपनी के भीतर बोर्ड को सभी सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से भेजी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित शामिल है:–

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना
- पूंजीगत बजट और कोई अन्य अद्यतन सूचना
- तिमाही वित्तीय परिणाम और व्यवसाय प्रखण्ड
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों के कार्यवृत्त
- जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
- वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट आदि
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य सामग्रीगत समस्या या प्रदूषण समस्याएं आदि
- प्रचालन संबंधी मुख्य बातें और कंपनी द्वारा बेचे गए सामानों के लिए भौतिक ग़ैर भुगतान
- प्रमुख निवेश, सहयोग, संयुक्त उद्यमों, कार्यनीतिक गठबंधन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आदि।
- बड़े मूल्य के अनुबंध प्रदान
- निदेशकता के बारे में निदेशों की रूचि प्रकटीकरण और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा हासिल समिति पद
- लघु अवधि जमाओं और निवेशों पर रिपोर्ट
- नामांकन आधार पर प्रदत्त संविदा पर तिमाही रिपोर्ट
- शेयर पूंजी लेखा परीक्षा की पुनर्मिलान तिमाही रिपोर्ट, सूचीयन समझौते के प्रावधानों के अनुरूप शेयर अंतरण पर अर्द्धवार्षिक प्रमाण–पत्र
- विभिन्न कानूनों की अनुपालन पर रिपोर्ट
- औद्योगिक संबंध जैसे कि वेतन समझौते, कर्मचारी कल्याण योजनाओं आदि से संबंधित मामले।
- किसी विनियामक, वैधानिक या सूचीयन अपेक्षाओं की अनुपालन न होना और शेयर धारक सेवाएं जैसे कि लाभांश का भुगतान न होना, शेयर अंतरण में देरी आदि
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना
- सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
- बोर्ड के समक्ष या अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई अन्य अपेक्षित सूचना

2.6.1 बैठक उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई

बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णयों को संबंधित विभागों को अनुपालन और कार्रवाई के लिए, यदि कोई है, त्वरित रूप से सूचित किया जाता है। पूर्व की बैठकों के निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट आगामी बैठक में बोर्ड के सदस्यों की सूचना के लिए रखी जाती है। बोर्ड प्रक्रियाओं की तत्परता के साथ अनुपालना सुनिश्चित करने में कंपनी सचिव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे विभिन्न विधियों के अधीन लागू सभी कानूनों और विनियमों की अनुपालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंपनी बोर्ड बैठकें, आम बैठकें और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित बैठकों के कार्यवृत्तों में सचिवालयी मानदंडों की अनुपालन करते हैं।

3.0 बोर्ड समितियां

बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का विवरण निम्नानुसार है

क. लेखा परीक्षा समिति (शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाती है)

ख. मानव संसाधन समिति

ग. पारिश्रमिक समिति

घ. प्रौद्योगिकी समिति

ङ. गैर लेखा परीक्षित परिणामों पर विचार के लिए निदेशकों की समिति शेयर हस्तांतरण समिति

च. आचार एवं कार्पोरेट अभिशासन समिति

ठ. जोखिम प्रबंधन समिति

ड. सीएसआर एवं सतत विकास समिति

ढ. परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

3.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सम्मिलित है।

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन की देखरेख ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन
3. वार्षिक वित्तीय परिणामों को विशेष संदर्भ के साथ, बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ इनकी समीक्षा करना
   - क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धरा 217 के उप अनुच्छेद (2एए) की शर्तों के अनुरूप बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाली निदेशकों के दायित्व स्टेटमेंट में शामिल किए जाने वाले मामले।
   - ख. लेखा नीतियों और व्यवहारों में परिवर्तन, यदि कोई है और उनके कारण।
   - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय अनुपालन पर आधारित अनुमानों से जुड़ी प्रमुख लेखा प्रविष्टियां
   - घ. लेखा परीक्षा निष्कर्षों के कारण उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
   - ड़. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन।
   - च. अन्य संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटन
   - छ. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं
4. तिमाही वित्तीय परिणामों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ उनकी समीक्षा।
5. प्रबंधन के साथ उपयोगों के विवरण/एक इश्यू (सार्वजनिक इश्यू, राइट इश्यू, वरीयतन इश्यू आदि) के जरिए जुटाई गई राशि के अनुप्रयोग, ऑफर दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में वर्णित के अलावा उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई गई धन–राशियों के विवरण तथा सार्वजनिक या राइट्स इश्यू के आगमों के उपयोग की निगरानी हेतु बनाई गई निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा इस मामले में बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की अनुशंसा करना।
6. वैधानिक और आंतरिक्ष लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों, यदि कोई है, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना सहित, विभाग का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की फ्रिक्वीन्सी की संवीक्षा।
8. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विचारविमर्श और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई
9. उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां कोई घोटाला या अनियमितता या पदार्थ प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता हुई है और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को करना।
10. वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा परीक्षा की प्रकृति और संभावना पर विचारविमर्श तथा कोई चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट–ऑटिड चर्चा।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर होडर्ल्स, शेयर धारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में सतत चूक के कारणों की देखरेख।
12. भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना।
13. लेखा परीक्षा समिति की कार्य की शर्तों में यथा वर्णित कोई अन्य कार्यों की समीक्षा करना।

लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:

1. इसकी कार्य की शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।
2. किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना।

3. निदेशक मण्डल के अनुमोदन के विषयाधीन बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक परामर्श प्राप्त करना।
4. संगत विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों को बुलाना, यदि वह आवश्यक समझे।
5. भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की संरक्षा करना।

लेखा परीक्षा समिति के संकार्यों में निम्नलिखित भी शामिल हैः

क. यह जांच करना कि क्या नियंत्रण प्रचालनों के आकार के समानुरूप है।
ख. उन क्षेत्रों का अध्ययन करना जहां आय को बढ़ाया जा सकता है और वह क्षेत्र जहां लागत कम की जा सकती है।
ग. उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली

लेखा परीक्षा समिति में 31 मार्च, 2013 को निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः–

1. श्री वी के जैन – स्वतंत्रत निदेशक
2. श्री पी सी शर्मा – स्वतंत्रत निदेशक
3. श्री जी पी जोशी – स्वतंत्रत निदेशक
4. श्री कैशर शमीम – स्वतंत्रत निदेशक

श्री वी के जैन समिति के अध्यक्ष हैं। सभी सदस्यों को वित्तीय/लेखाकरण का ज्ञान है। संयोजन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए, सूचीयन समझौते के उपबंध 49 और सीपीएसईज के लिए कार्पोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाएं पूरी करता है।

निदेशक(वित्त), वैधानिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और लागत लेखा परीक्षकों को सदस्यों के साथ विचारविमर्श हेतु होने वाली बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा जब भी अपेक्षित होता है, कार्यकारी अधिशासियों और वरिष्ठ कार्यकारी अधिशासियों को भी बैठक में बुलाया जाता है।

कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के तौर पर काम करते हैं।

<u>लेखा परीक्षा बैठकें और उपस्थिति</u>

लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 6 बार बैठकें होती हैं। कोई भी दो लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 72 दिन था। बैठकों की तिथियां और साथ में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की तिथियां					
		21.05.12	21.07.12	13.08.12	25.10.12	14.12.12	31.01.13
1.	श्री वी के जैन	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	श्री पी सी शर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	श्री जी पी जोशी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	श्री कैशर शमीम	✓	✓	✓	✓	✓	✓

श्री वी के जैन, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति ने 14.08.2012 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भाग लिया।

3.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

लेखा परीक्षा समिति को शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। समिति शेयर ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, लाभांश/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, शेयरों का अभौतिकीकरण और पुनः भौतिकीकरण, पते, बैंक विवरण में परिवर्तन और अन्य विविध मामलों के बारे में निवेशकों/शेयरधारकों की शिकायतों/समस्याओं का निपटारा करती है।

श्री के एन रवीन्द्र कंपनी सचिव सूचीयन समझौते के उपबंध 47 के अनुरूप अनुपालन अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान उन मामलों को छोड़कर जहां कानूनी पेचिदगियां शामिल हैं, कंपनी ने तीव्रता के साथ शिकायतों को दूर किया है। विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विवरण और कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा निवेशकों की संतोषजनक ढंग से हल की गई शिकायतों की संख्या नीचे दी गई हैः–

शिकायतों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या
लाभांश प्राप्त न होना	81
वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना	07
विभाजित और शेयरों के बोनस इश्यू	03
डिबेंचर्स पर ब्याज प्राप्त न होना	03
शेयरों का अंतरण	02
कम लाभांश की प्राप्ति	01
कुल	**97**

66,000 हजार से अधिक के शेयरधारक आधार के विरूद्ध कंपनी को वर्ष के दौरान केवल 97 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त, हल की गईं और लंबित शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	हल	लंबित
स्कोर्स–सेबी	शून्य	05	05	शून्य
व्यक्तिशः एवं संस्थान	शून्य	88	88	शून्य
शेयर बाज़ार	शून्य	04	04	शून्य
कुल		97	97	शून्य

3.3 मानव संसाधन समिति

मा.सं. समिति के कार्य की शर्तों में सम्मिलित है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावों का अध्ययन करना और अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास भेजना।

i) कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नियमों और विनियमों को तैयार करना, उनके अलावा जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और जो सीएमडी को सौंपे गए हैं।

ii) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन ढांचा और वेतनमान तथा उनमें कोई परिवर्तन

iii) मानवशक्ति नियोजन सहित संगठनिक चार्ट

iv) बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रस्तुत कोई अन्य संदर्भ

31मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार मा.सं. समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1. श्री पी सी शर्मा – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री एस एस खुराना – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री जी एच अमिन – स्वतंत्र निदेशक
4. श्री एस एस महापात्रा – निदेशक (उत्पादन)
5. श्री एस.सी पाढ़ी – निदेशक (मानव संसाधन)

श्री पी सी शर्मा, स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं।

बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान मा.सं. समिति की चार बैठकें हुईं। बैठकों की तिथियों और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की तिथियां			
		08.05.12	13.08.12	27.12.12	29.01.13
1.	श्री पी सी शर्मा	✓	✓	✓	✓
2.	श्री एस एस खुराना	✓	✓	✓	×
3.	श्री जी एच अमिन	✓	✓	✓	×
4.	श्री एस एस महापात्रा निदेशक (उत्पादन)	✓	✓	✓	✓
5.	श्री एस सी पाढी, निदेशक (मा.सं.) (20.12.2012 से)	-	-	✓	✓
6.	श्री जॉय वर्गीज, निदेशक (पीएंडए) (31.08.2012 तक)	✓	✓	-	-

3.4 पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप अधिशासियों और गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमाओं के भीतर वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति का फैसला करने के वास्ते किया गया है। 31 मार्च, 2013 को पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

1. श्री मधुकर गुप्ता– स्वतंत्र निदेशक
2. श्री पी सी शर्मा– स्वतंत्र निदेशक
3. श्री संजीव बत्रा– स्वतंत्र निदेशक

सदस्यों की वर्ष के दौरान दो बार बैठक होती है। बैठकों की तिथियां और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	सदस्यों का नाम	बैठकों की तिथियां	
		04.04.12	20.03.13
1.	श्री मधुकर गुप्ता	✓	×
2.	श्री पी सी शर्मा	✓	✓
3.	श्री संजीव बत्रा (21.08.12 से)	-	✓
4.	श्री वीके जैन (21.08.12 तक)	✓	-

निदेशकों के पारिश्रमिक

(क) पूर्णकालिक निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्य अवधि और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पूर्णकालिक सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान किये गये पारिश्रमिक भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	वर्ष 2012–13 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व अर्थात वेतन, पीएफ अंशदान, पेन्शन, ग्रेच्युटि आदि	अन्य लाभ*	कुल
श्री अंशुमान दास निदेशक (वाणिज्य) एवं सीएमडी	नहीं	38,53,461	1,48,827	40,02,288
श्री बी एल बागड़ा, निदेशक (वित्त)	नहीं	46,21,311	69,353	46,90,664
श्री एस एस महापात्र, निदेशक (उत्पादन)	नहीं	33,76,710	1,36,762	35,13,472
श्री एन आर मोहंती, निदेशक (पीएंडटी)	नहीं	37,15,870	1,76,184	38,92,054
श्री एस सी पाढी, निदेशक (मा.सं.) (20.12.2012 से)	नहीं	5,99,083	6,25,961	26,878
श्री जॉय वर्गीज, निदेशक (पीएंडए) (31.08.2012 तक)	नहीं	32,67,843	1,88,265	34,56,108
श्री ए.के. श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (11.12.2012 तक)	नहीं	19,04,537	12,226	19,16,763

*अन्य लाभों में चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश यात्रा रियायत, आवास, बिजली एवं पानी प्रभार, रखरखाव भत्ता, मनोरंजन भत्ता, उत्पादकता और कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

कंपनीने 2012–13 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(ख) अंश–कालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक फीस का भुगतान कंपनीअधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित सीमा के तहत किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिये रु. 20,000/– का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	बैठक फीस (₹)		
	बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	कुल (₹)
श्री वेद कुमार जैन	1,00,000	2,40,000	3,40,000
श्री पी सी शर्मा	1,00,000	2,40,000	3,40,000
श्री जी पी जोशी	1,00,000	2,00,000	3,00,000
श्री एस एस खुराना	80,000	80,000	1,60,000
श्री मधुकर गुप्ता	80,000	60,000	1,40,000
श्री जी एच अमिन	80,000	80,000	1,60,000
श्री केशर शमीम	60,000	80,000	1,40,000
श्री संजीव बत्रा	80,000	60,000	1,40,000

* लागू कर के विषयाधीन

(ग) अंशकालिक निदेशक

31 मार्च, 2013 को कंपनी के बोर्ड में दो अंशकालिक सरकारी निदेशक थे। अंश–कालिक अधिकारिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया।

किसी भी श्रेणी के निदेशकों को विच्छेद शुल्क के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

3.5 प्रौद्योगिकी समिति

प्रौद्योगिकी समिति कंपनी की स्वयं की प्रौद्योगिकी की स्थिति के मूल्यांकन, कंपनी को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण और आत्मसात करने, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत मज़बूत बनाए रखने के लिए स्वयं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और स्मेलटर, रिफाइनरी आदि से संबंधित विशिष्ट खपत नियमों का निर्धारण/समीक्षा करने के प्रति विशेष ध्यान देती है।

समिति में 31 मार्च, 2013 की स्थिति अनुसार निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1. श्री एस एस खुराना – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री जी पीजोशी – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री संजीव बत्रा – स्वतंत्र निदेशक
4. श्री एस एस महापात्र – निदेशक (उत्पादन)
5. श्री एन आर महान्ति – निदेशक (परि.वतक.)

समिति की अध्यक्षता श्री एसएस खुराना, स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

वर्ष के दौरान सदस्यों की एक बार 25.02.2013 को बैठक हुई।

3.6 गैर लेखापरीक्षित परिणामों पर विचार के लिए निदेशकों की समिति

जब कभीबोर्ड की बैठक को बुलाना सुविधाजनक नहीं होता है तो समिति सूचीयन समझौते के उपबंध 41(II) की शर्तों के अनुरूप तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार करती है और उसको रिकार्ड में लेती है। बैठक के कार्यवृत्त बाद में सूचना के लिए बोर्ड की बैठक में रखे जाते हैं।

समिति में 31.03.2013 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक
2. निदेशक (वित्त)
3. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
4. अंशकालिक सरकारी निदेशक
5. श्री मधुकर गुप्ता–स्वतंत्र निदेशक

समिति की वर्ष के दौरान 14.08.2012 और 30.01.2013 को दो बार बैठक हुई है।

3.7 नीति शास्त्र और निगम अभिशासन समिति

समिति के कार्य की शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(i) सभी स्तरों पर निगम अभिशासन के व्यवहार और जहां कहीं आवश्यक है सुधारात्मक उपाय सुझाना।
(ii) मीडिया के समक्ष सही तस्वीर प्रस्तुत करना ताकि कंपनी की छवि और स्टैंडिंग की संरक्षा हो सके।
(iii) निवेशकों, संस्थानों और जनता को बड़े पैमाने पर सही तथ्यात्मक सूचना का प्रदान करना।
(iv) वर्तमान और संभावित एफआईआई और रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ संपर्क
(v) कंपनी की ओर से परामर्शदाताओं/सलाहकारों की सहायता से, यदि आवश्यक हुआ, महत्वपूर्ण कार्पोरेट कम्युनिकेशन पर निरीक्षण की स्थापना करना।
(vi) पूरी कंपनी में उच्चस्तरीय अनुशासन की सुविधा के लिए आंतरिक सम्प्रेषण के मानकीकृत चैनलों का संस्थापन।
(vii) सेबी और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन निम्नानुसार तैयार की गई है।
    - क) वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
    - ख) आंतरिक व्यापार नियमन
    - ग) संबंधित पक्ष लेनदेन
    - घ) सतर्कता संबंधी मुद्दे
    - ड़) भ्रष्टाचार विरोधी नीति

समिति में 31.03.2013 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. श्री जी एच अमिन– स्वतंत्र निदेशक
2. श्री केसर शमीम–स्वतंत्र निदेशक
3. श्री बी एल बागरा–निदेशक (वित्त)
4. श्री एस सी पाढी– निदेशक (मा.सं.)

श्री जी एच अमिन समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की वर्ष के दौरान एक बार 21.05.2012 को बैठक हुई।

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

कार्य की शर्तों में निम्नलिखित शामिल है।

- प्रचालन, रणनीतिक और बाहरी वातारण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और शमन के संबंध में जिम्मेदारियों की देखरेख में निदेशकों के बोर्ड की सहायता करना।
- कंपनी की जोखिम नीतियों और संबद्ध व्यवहारों की निगरानी और अनुमोदन के लिए ओवरऑल जिम्मेदारी
- किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरण की समीक्षा और अनुमोदन

31.03.2013 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. श्री एस एस खुराना – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री मधुकर गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री जी एच अमिन – स्वतंत्र निदेशक
4. श्री बीएल बागड़ा – निदेशक (वित्त)
5. श्री एस एस महापात्र – निदेशक (उत्पादन)

श्री एस एस खुराना समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.9 सीएसआर और स्थाई विकास समिति

कार्य की शर्तों में शामिल है:

i) संबंधित पुनर्वास परिधीय विकास सलाहकार समितियों (आरपीडीएसी) तथा एमएमडीआर बिल के तहत के जरिए कंपनी द्वारा संचालित और प्रस्तावित परिधीय विकास गतिविधियों की देखरेख करना।

ii) नालको फाउण्डेशन

iii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण

समिति में 31.03.2013 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. श्री संजीव बत्रा, – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री केसर शमीम – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री एस एस महापात्र – निदेशक (उत्पादन)
4. श्री एस सी पाढी – निदेशक (मानव संसाधन)

श्री संजीव बत्रा समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की वर्ष के दौरान 22.02.2013 को एक बैठक हुई है।

3.10 परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

कार्य की शर्तों में शामिल है:

क) नई परियोजनाओं को डीपीआर तैयार किये जाने सहित विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का मूल्यांकन और अनुमोदन

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक रु. 10 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्तावों का अध्ययन और बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक रु. 100 करोड़ से ऊपर की पूंजीगत परियोजनाओं के दर्ज़े की समीक्षा करना।

समिति में 31.03.2013 को निम्नलिखित सदस्य थे:

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (वाणिज्य)
4. निदेशक (परि.व तक.)
5. अंश–कालिक सरकारी निदेशक
6. श्री वी के जैन–स्वतंत्र निदेशक
7. श्री जी पी जोशी–स्वतंत्र निदेशक
8. श्री मधुकर गुप्ता–स्वतंत्र निदेशक

समिति की वर्ष के दौरान 21.07.2012, 14.12.2012 और 30.01.2013 को तीन बैठकें हुईं।

3.11 अन्य समितियां

बोर्ड द्वारा गठित उक्त पदनामित समितियों के अलावा, विशेष उद्देश्यों के लिए आंतरिक निदेशकों से सम्मिलित कुछेक अन्य समितियां हैं। ये समितियां हैं:–

क. निवेश समिति
ख. बिक्री हेतु निदेशकों की समिति
ग. प्रापण हेतु निदेशकों की समिति
घ. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति को छोड़कर, जहां सीएमडी सदस्य नहीं है, इन समितियों के सदस्यों में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित केवल कार्यकारी निदेशक हैं।

ये समितियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित दायरे के भीतर कुछेक नियमित गतिविधियों का संचालन करती हैं।

4.0 कार्यकारी निदेशकों की जवाबदेही

कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात खान मंत्रालय के साथ वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों में लक्ष्यों के निर्धारण के लिए वार्षिक आधार पर समझौता ज्ञापन करती है। समझौता ज्ञापन के संबंध में कार्य–निष्पादन की अर्द्धवार्षिक आधार पर मंत्रालय समीक्षा करता है।

5.0 वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स सी के पृष्टि एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर और मैसर्स अगस्ति एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कंपनी के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक थे।

वर्ष 2012–13 के लिए संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों को देय/भुगतान की गई फीस रु 16 लाख थी।

मैसर्स एस धन एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कंपनी के लागतलेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

मैसस डी एस मिश्र एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कंपनीके सचिवालयीन लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

6.0 शेयरधारकों की आम बैठक

पिछले 3 वर्षों के दौरान शेयरधारकों की आयोजित आम बैठकों का विवरण

वार्षिक साधारण बैठकें :

वर्ष	2010	2011	2012
तिथि/समय	30.09.2010/प्रातः 11.00 बजे	29.09.2011/प्रातः 11.00 बजे	14.08.2012/प्रातः 11.00 बजे
स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061
विशेष संकलप	शून्य	शून्य	शून्य

असाधारण आम बैठक

वर्ष	2010	2011	2012
तिथि/समय	–	05.03.2011/प्रातः 10.00 बजे	–
स्थान	–	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061	––
विशेष संकलप	शून्य	1. संस्थान के अंतर्नियमों में संशोधन 2. ईएसओपी के अधीन कर्मचारियों को शेयरों का प्रस्ताव	शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। आगामी वार्षिक आम बैठक में पोस्टल बैलेट अपेक्षित कोई विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

7.0 प्रकटीकरण

सामग्री अनुबंध/संबंधित पक्ष का लेनदेन

ऐसा कोई हक़ीक़त में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है जिसकी व्यापक स्तर पर कंपनी के हित के साथ टकराव की आशंका हो। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के लेखा मानक (एएस)–18 के अनुरूप संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण लेखा टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 43 में घोषित किया गया है।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित सूचना संलग्न है:

1. लेखा बहियों में अंतरित व्यय की मदें, जो व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं – शून्य
2. ऐसे व्यय जो कि व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मण्डल तथा सर्वोच्च प्रबंध पर किया गया व्यय – शून्य
3. कुल खर्चों के प्रतिशत के तौर पर प्रशासनिक और कार्यालय व्यय नीचे दिया गया है :

(₹लाख में)

विवरण	2012-13	2011-12
प्रशासनिक और कार्यालय ख़र्च	93.47	100.34
कुल ख़र्च	6,522.49	5,933.59
कुल खर्चों के : के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय ख़र्च	1.43	1.69

वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय खर्च रु. 7.45 करोड़ (पिछले वर्ष –रु. 0.87 लाख) है, जिसका : कुल खर्चों की तुलना में नगण्य है।

अनुपालन

पूंजीगत बाजारों या सूचीयन समझौते से संबंधित किसी भी मामले में, निदेशक मण्डल के संयोजन पर आंतरायिक अननुपालन को छोड़कर, कंपनी द्वारा किसी तरह की अननुपालना की कोई घटना नहीं है। निदेशक मण्डल के संयोजन की अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर किसी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग, भारत

सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं की अनुपालन की है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्पोरेट अभिशासन पर निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालन पर तिमाही स्वयं मूल्यांकित रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करती है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्रदान किया गया है। कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी राष्ट्रपति के सभी निर्देशों के अनुपालन किया है।

8.0 कार्पोरेट आचार संहिता

आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता

समय–समय पर यथा–संशोधित सेबी (आंतरिक व्यापार की रोकथाम) विनियमन, 1992 के अनुरूप, कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदन सूचना के आधार पर किसी आंतरिक व्यक्ति द्वारा कंपनी के शेयरों में व्यापार की रोकथाम के उद्देश्य से ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता' तैयार की है। सभी व्यापार खिड़की बंद हो जाती है सभी आंतरिक व्यक्तियों अर्थात निदेशकों, अधिकारियों, पदनामित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कंपनी के शेयरों में कारोबार करने से निषेध किया जाता है। विनिर्दिष्ट सीमा से बाहर कंपनी की प्रतिभूतियों के कारोबार के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति अपेक्षित होती है। सभी निदेशकों/अधिकारियों/पदनामित कर्मचारियों के लिये सहिता के अनुरूप आवधिक रूप से अपनी धारिता को घोषित करना भी अपेक्षित होता है और इसे शेयर बाजारों को अग्रेषित कर दिया जायेगा।

आचार संहिता

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित व्यापक व्यापार आचार संहिता को अपनाया है। इस आचार संहिता को बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रबंधन कार्मिकों को संचारित किया जाता है और उनके द्वारा वार्षिक रूप से अनुपालन की पुष्टि की जाती है।

आदर्श व्यवसाय आचार संहिता कंपनी की वेबसाइटः www.nalcoindia.com पर प्रकाशित की गई है।

इस संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई हैः

''मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों (प्रमुख कार्यपालकों) से यह अभिपुष्टि प्राप्त कर ली है कि उन्होंने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता की वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनुपालन किया है।''

हस्ता/–
(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49 के अनुरूप यथा अपेक्षित कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रणों का वार्षिक प्रमाणन निदेशक मण्डल की 27.05.2013 की बैठक में प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सूचीयन समझौते के उपबंध 41 के अनुरूप गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को विचार हेतु बोर्ड/निदेशकों की समिति के समकक्ष तिमाही परिणाम प्रस्तुत करते समय भी प्रमाणन देते हैं।

9.0 संवाद के माध्यम

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम

– तिमाही वित्तीय परिणाम निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये :

समाचार पत्र	को समाप्त तिमाही के लिए गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन			
	30.06.2012	**30.09.2012**	**31.12.2012**	**31.03.2013**
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (ई)	15.08.2012			
दैनिक जागरण (एच)	15.08.2012			
प्रगतिवादी (ओ)	15.08.2012			
बिजनेस लाइन (ई)		27.10.2012		
नवभारत टाइम्स (एच)		27.10.2012		
संवाद (ओ)		26.10.2012		
बिजनेस स्टैंडर्ड (ई)			31.01.2013	
समय (ओ)			31.01.2013	
दैनिक भास्कर (एच)			31.01.2013	
दि इकोनोमिक टाइम्स (ई)				28.05.2013
हिंदुस्तान (एच)				28.05.2013
सूर्यप्रभा (ओ)				28.05.2013
धरित्री (ओ)				28.05.2013

ई–अंग्रेज़ी, एच–हिंदी, ओ–उड़िया

- तिमाही/अर्द्ध–वार्षिक परिणाम तत्काल बीएसई और एनएसई को फैक्स किए जाते हैं जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होते हैं।
- सूचीयन समझौते के उपबंध 52 के अधीन परिणाम कार्पोरेट फाइलिंग एंड डिसेमिनेशन सिस्टम (सीएफडीएस) पोर्टल पर भी अपलोड किये जाते हैं। परिणामों को कंपनी की वेबसाइट में भी अपलोड किया जाता है।
- तिमाही शेयर धारिता पद्धति और कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट भी एनएसई इलेक्ट्रनिक अनुप्रयोग प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) पर इलेक्ट्रानिकी रूप में भरी जाती है।

प्रेस विज्ञप्तियां, प्रस्तुतियाँ

सांस्थानिक निवेशकों, विश्लेषकों को किये गये प्रस्तुति को कंपनी की वेबसाइटः www.nalcoindia.com पर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे प्रस्तुतियों को बीएसई और एनएसई को भी भेजा जाता है।

वेबसाइट

सूचीयन समझौते के नए अनुच्छेद 54 के अनुरूप कंपनी एक समर्पित वेबसाइट www.nalcoindia.com का अनुरक्षण करती है जिसमें बिजनेस, वित्तीय सूचना, शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट शासन के अनुपालन, कंपनी के पदनामित अधिकारियों से संपर्क की सूचना, जो निवेशको ंकी सहायता और उनकी शिकायतें देखने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, का विवरण दिया जाता है। वेबसाइट को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये हरित प्रयासों का एक अंश के रूप में वार्षिक रिपोर्टें और एनईसीएस सूचना पत्र अब शेयरधारकों को ई–मेल किये जाते हैं जिनके ई–मेल पते डिपाजिटरीज और कंपनी के साथ पंजीकृत होते हैं। शेयरधारकों को तिमाही वित्तीय परिणाम और अन्य सूचना मेल के जरिए भेजने के प्रयास किये जा रहे हैं। वार्षिक रिपोर्टें और ऐसे सभी पत्र वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड किये जाते हैं।

अध्यक्ष के भाषण

अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रति वार्षिक आम बैठक और असाधारण सभा की बैठक में सभी शेयरधारकों के बीच वितरित की जाती है। इसे कंपनी की वेबसाइट में निवेशकों के पेज में भी अपलोड किया जाता है।

10.0 शेयरधारको के लिए सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक :

दिनांकः 27 सितंबर, 2013

समयः प्रातः 11 बजे

स्थान : नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061

(ii) वर्ष 2012–13 के लिए वित्तीय कैलेण्डर

घटनाक्रम	संभावित तिथि
पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही के बंद होने के 45 दिनों के भीतर
चौथी तिमाही के परिणामों सहित वर्ष के लिए गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष बंद होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक	सितंबर, 2014 तक

(iii) खाते बंद होने की तारीख

खाते बंदी/रिकार्ड तिथि	उद्देश्य
28 मार्च, 2013	2012–13 के लिए / ₹ 0.75 प्रति शेयर अंतरिम लाभांश
24 सितंबर, 2013 से 27 सितंबर, 2013 तक	2012–13 के लिए / ₹ 0.50 प्रति शेयर अंतिम लाभांश

(iv) लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने 30.03.2013 को भुगतान किये गये अंतरिम लाभांश रु. 0.75 प्रति शेयर (रु. 193.29 करोड़) के अलावा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए रु. 0.50 प्रति शेयर (रु. 128.86 करोड़) के अंतिम लाभंश की अनुशंसा की है।

पिछले पांच वर्षों में भुगतान किये गये लाभांश का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	कुल इक्विटी शेयर	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)
2008-2009*	5.0	64,43,09,628	322.15
2009-2010*	2.5	64,43,09,628	161.07
2010-2011*	2.5	257,72,38,512 #	257.72
2011-2012*	1.0	- वही-	257.72
2012-13 (अंतरिम)	0.75	-वही-	193.29
2012-13 (अंतिम)##	0.50	-वही-	128.86

* अंतरिम लाभांश समेत

विभाजित एवं बोनस इश्यू के बाद

अनुशंसित

कंपनी ने इसकी शुरूआत से अब तक ₹ 4390.31 करोड़ (अंतिम अनुशंसित लाभांश के अलावा) लाभांश के तौर पर भुगतान किये हैं।

(v) संदेह खाते में इक्विटी शेयर

रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए, सूचीयन समझौते के उपबंध 5क(I) की शर्तों के अनुरूप संदेह खाते में कोई इक्विटी शेयर मौजूद नहीं है।

(vi) भारत सरकार द्वारा शेयरों का विनिवेश

भारत के राष्ट्रपति ने बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) के जरिए सेकेंडरी मार्किट में रु. 628.53 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के 6.09प्रतिशत के 15,69,38,918 इक्विटी शेयरों को बेच दिया। इस ओएफएस के बाद नालको में भारत के राष्ट्रपति की वर्तमान धारिता 81.06 प्रतिशत है।

(vii) अदत्त/दावारहित लाभांश का आईईपीएफ को अंतरण

कंपनी सभी शेयरधारकों को भौतिक और इलेक्ट्रानिक दोनों प्रकार से अनुस्मारक भेजती है जिन्होंने अपने लाभांश वारंटों का दावा नहीं किया है अथवा नकदीकरण नहीं कराया है। शेयर धारकों की सूचना के लिए अदत्त/दावारहित लाभांशों का विवरण खाते वार समय–समय पर कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में निम्नलिखित अदत्त/बेदावा लाभांशों को अंतरित कर दिया गया :

वित्तिय वर्ष	भुगतान की प्रकृति	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
2004-05	अंतिम लाभांश	4,22,231	18.10.2012
2005-06	अंतरिम लाभांश	3,76,570	29.01.2013

(viii) शेयर बाजारों के साथ सूचीयन

शेयर बाजारों में नालको शेयरों की सूचीयन स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	शेयर बाजार जहां सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमि.
स्क्रिप कोड	532234	नेशनलम
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	आईएनइ 139A01034	आईएनइ 139A01034
2013–14 के लिए सूचीयन फीस का भुगतान	20.04.2013	20.04.2013

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक कस्टडी फीस का भुगतान दोनों डिपाजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल को क्रमशः 03.05.2013 और 18.04.2013 को कर दिया गया था।

(ix) बाज़ार मूल्य विवरण

माह	शेयर मूल्य (बीएसई)			शेयर मूल्य (एनएसई)		
	उच्चतम	निम्नतम	औसत दैनिक कारोबार	उच्चतम	निम्नतम	औसत दैनिक कारोबार
अप्रैल, 2012	62.90	54.30	159783	62.95	54.65	574184
मई	63.80	56.00	66241	63.90	50.55	159984
जून	62.45	56.90	28275	62.50	56.90	92415
जुलाई	63.65	51.20	86655	64.75	51.25	202348
अगस्त	56.15	49.20	41307	56.20	49.00	92436
सितम्बर	59.40	49.20	69404	56.50	49.15	214201
अक्टूबर	52.40	45.40	76174	52.40	45.25	232689
नवम्बर	48.50	44.00	59809	48.10	44.05	173239
दिसम्बर	51.70	46.30	81577	51.80	46.20	185618
जनवरी, 2013	52.00	46.45	96501	52.00	46.50	224889
फरवरी	49.70	44.00	33373	50.20	44.00	87189
मार्च	47.45	32.95	402799	47.70	33.00	1089779

उ.–उच्चतम, न्यू–निम्नतम, स्रोतः बीएसई और एनएसई की वेबसाइटें

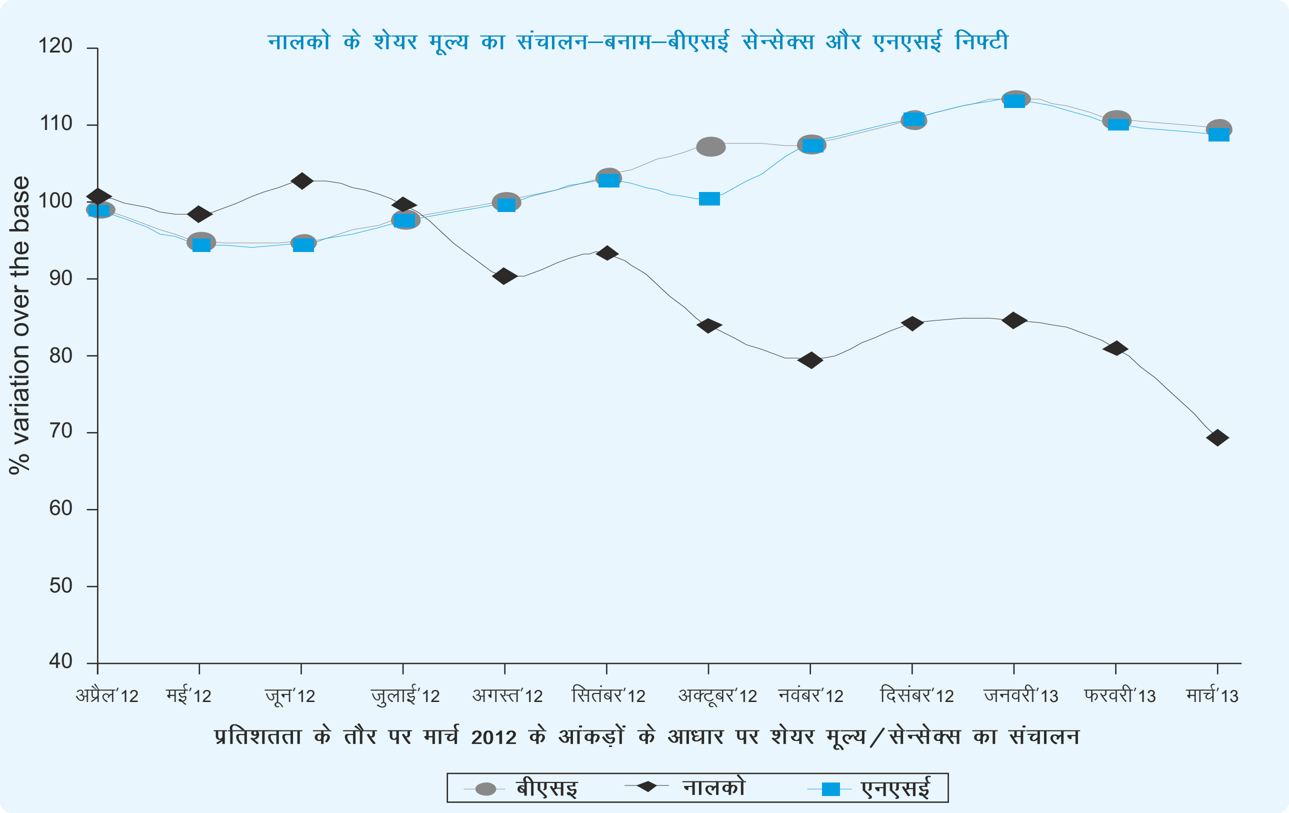

(ग) शेयर पूंजी का पुनर्मिलान

एक योग्य एवं कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ कुल प्रवेशित पूंजी और कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी का पुनर्मिलान करने के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा पुष्टि करती है कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी भौतिक स्वरूप में कुल शेयरों की संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा धारित कुल डिमेटीरियलाइज्ड शेयरों की संख्या के अनुरूप है।

सूचीयन समझौते के उपबंध 47–सी के अनुरूप कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर अंतरण औपचारिकताओं की अनुपालन पर अर्द्ध–वार्षिकी प्रमाण–पत्र समय पर शेयर बाजारों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

11.0 गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

कंपनी ने सूचीयन समझौते के उपबंध 49 के निम्नलिखित गैर–अनिवार्य प्रावधानों को अनुकूलित किया है:

पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने अपने कार्यपालकों और गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए, निर्धारित सीमाओं के भीतर, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति का फैसला करने के वास्ते एक पाश्रिमिक समिति का गठन किया है। उस हैसियत से पारिश्रमिक समिति का गठन करना केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन अनिवार्य है।

लेखाकरण मानदंड

कंपनी पिछले 14 वर्षों से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से "शून्य" टिप्पणी प्राप्त कर रही है जो बिना शर्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को इंगित करता है।

भ्रष्टाचार विरोधी नीति

कंपनी ने कंपनी में अनैतिक/गैरकानूनी व्यवहार या गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र कायम किया है। भ्रष्टाचार विरोधी नीति कर्मचारियों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखी है जिससे कि वे किसी अनैतिक व्यवहार, आचरण के उल्लंघन, वास्तविक और संदिग्ध घोटाले की रिपोर्ट कर सकें जिसका कंपनी के कामकाज पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। नीति कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है।

कंपनी दृढ़तापूर्वक पुष्टि करती है कि उसने अनुपालन अधिकारी, नामित समिति या लेखा परीक्षा समिति तक किसी कार्मिक की पहुंच से इन्कार नहीं किया है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

स्वतंत्र निदेशकों को स्कोप, लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है जिससे कि वे निदेशकों आदि के तौर पर कर्तव्य के निवर्हन, कार्पोरेट अभिशासन में नवीनतम परिवर्तनों/अद्यतनों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

12.0 रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट्स

कंपनी भौतिक और इलेक्ट्रानिक दोनों प्रकार से निवेशक संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए घरेलू शेयर रजिस्ट्री रखती है। शेयर रजिस्ट्री का विवरण अर्थात पता, संपर्क नं., ई–मेल पता नीचे दिया गया है:–

नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि.
शेयर रजिस्ट्री
नालको भवन,
प्लाट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751 061 (ओड़ीशा)
टेली: 0674-2303197
0674-2301988 to 2301999 (12 लाइनें) (EPABX)
(विस्तार– 2585-87)
फैक्स : 0674-2300677
ई–मेल पता : i) knravindra@nalcoindia.co.in
ii) nkmohanty@nalcoindia.co.in
iv) bharatsahu@nalcoindia.co.in

31.03.2013 को शेयरधारण पद्धति

कम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	प्रमोटर्स (भारत सरकार)	1	208,90,59,622	81.06
2.	म्युचुअल फण्ड	18	2,72,202	0.01
3.	बैंक/वित्तीय संस्थान	40	8,86,18,735	3.44
4.	बीमा कंपनियां	7	17,80,36,102	6.91
5.	वित्तीय संस्थान	78	10,74,33,219	4.17
6.	कार्पोरेट संस्थाएं	1,197	8,08,12,072	3.13
7.	भारतीय जनता	62,880	2,92,65,109	1.14
8.	अन्य	2,271	37,41,451	0.14
	कुल	**66,492**	**257,72,38,512**	**100.00**

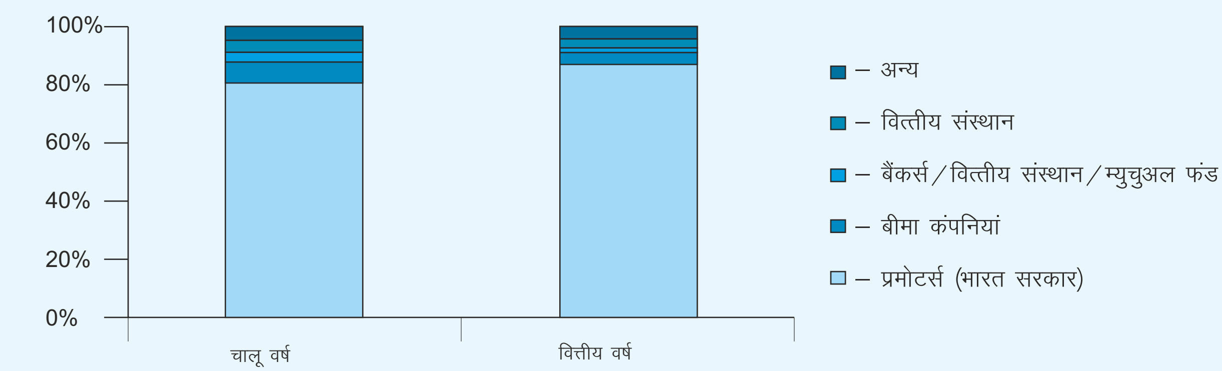

शेयरधारिता की वितरण अनुसूची

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारित शेयर पूंजी (₹)	शेयर पूंजी प्रतिशतता
1-200	40,028	1,97,76,680	0.15
201-500	14,835	2,81,42,810	0.22
501-1000	6,076	2,46,60,925	0.19
1001-50000	5,411	10,05,61,975	0.78
50001-100000	61	2,16,63,525	0.17
100001 एवं इससे ऊपर	81	12,69,13,86,645	98.49

31.03.2013 को प्रमुख शेयर धारक

31.03.2013 को प्रमुख शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	208,90,59,622	81.06
भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य	18,23,65,523	7.08
फ्रेंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट फंडस	6,60,50,239	2.56
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमि.	2,86,67,404	1.11

सूचीबद्ध शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन/रीमेटीरियलाइजेशन एवं लिक्विडिटी

नालको शेयरों को अनिवार्य डिमेटीरियलाइज्ड खण्ड में व्यापारित किया जाता है। कंपनी ने शेयरधारकों को डिपोजिटरी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए दोनों डिपोजिटरीज अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। कंपनी की 99.90 प्रतिशत शेयर पूंजी 31 मार्च 2013 को डिमेटीरियलाइज्ड़ हो चुकी है। सीमित संख्या में शेयर भौतिक स्वरूप में बच गए हैं। भौतिक शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने में घटते रूझान को नीचे ग्राफ के तौर पर दर्शाया गया है।

शेयरों के भौतिक अंतरण में घटता रूझान

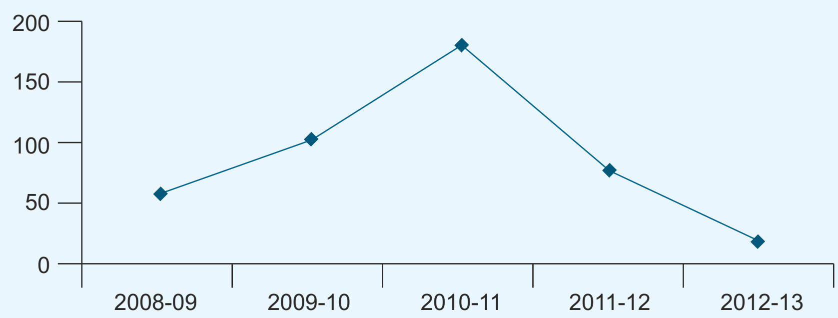

भौतिक और डिमेटीरियलाइज्ड स्वरूप में धारित कुल शेयरों की संख्या नीचे दी गई है:

	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डिमेट शेयर	250,81,58,922	97.32
सीडीएसएल के साथ डिमेट शेयर	6,65,27,411	2.58
भौतिक स्वरूप में शेयर	25,22,179	0.10

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 शेयरों के लिए केवल एक रीमेटीरियलाइजेशन अनुरोध को पुष्ट किया है और शेयरधारक को समय पर भौतिक शेयर प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया।

13.0 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय इंस्ट्रयुमेंट, कन्वर्जन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी को कोई जीडीआर/एडीआर जारी नहीं किया है और न ही आज की तिथि को काई बकाया परिवर्तनीय इंस्ट्रयुमेंट है।

14.0 कंपनी के संयंत्रों के स्थान

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नालको भवन प्लाट नं. पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर–751 061 (ओड़िशा)	**स्मेल्टर संयंत्र** नालको नगर अनगुल – 759 122 (ओड़िशा)
खान एवं परिशोधन खान एवं परिशोधन संकुल दामनजोड़ी – 763 008 जिला – कोरापुट (ओड़िशा)	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र** अनगुल – 759 122 (ओड़िशा)

पत्तन सुविधाएं ओर हैंडलिंग कॉम्पलेक्स के पीछे पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम – 530 035 (आंध्रप्रदेश)	**इत्कल ई–कोल ब्लॉक** एसएंडपी कॉम्पलेक्स नालको नगर अनगुल–759145 (ओड़िशा)
जैसलमेर 47.6 मेवा पवन विद्युत संयंत्र **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** गांव–लुडारवा, कहेला, खाडेरो–की–ढाणी तवारिया, चातरेल डिवीजन/तालुक/जिला–जैसलमेर राजस्थान–345 001	**गंडिकोटा 50.4 मेवा पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव–गांडिकोटा डिवीजन–प्रोडातुर तालुका–जमालमाडुगु जिला–कडप्पा आंध्र प्रदेश–516 434

—— * ——

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

हमने **नेशनल एल्यूमीनियन कंपनी लिमिटेड** द्वारा इस कंपनी के शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण समझौते के अनुच्छेद 49 में नियत अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालन की स्थितियों की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट अभिशासन की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा आत्मसात की गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरण पर न तो लेखा परीक्षा है और न ही उस पर किसी राय का प्रकटन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकरी के अनुरूप तथा हमें दी गई व्याख्या, और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित के विषयाधीन ऊपर वर्णित सूचीयन समझौते में यथा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालन की है।

कंपनी के पास उसके बोर्ड में 30.04.2012 से 30.05.2012 तक अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हमारा आगे कथन है कि ऐसा अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की वहनीयता के अनुसार आश्वासन है और न ही ऐसी कार्यक्षमता या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं।

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 323220ई

(सीए सी.के. पृष्टि)
साझेदार
सदस्यता सं, 057318

कृते अगस्ति एण्ड एसोसिएट्स
चार्टड एकाउंटेंट
एफआरएन 313043ई

(सीए पी.आर. दास)
साझेदार
सदस्यता सं, 060597

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 5 जुलाई, 2013

परिशिष्ट-अ

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन
पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर

हमने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित सभी रजिस्टरों, रिकार्डों और दस्तावेजों की जांच की है:–

- कंपनी अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए नियम
- डिपाजिटरीज अधिनियम, 1996 और डिपाजिटरीज के बिजनेस नियम
- भारतीय प्रतिपूर्ति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित विभिन्न विनियम और दिशानिर्देश
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ इक्विटी सूचीयन समझौता

हमारी जांच, रिकार्ड, दस्तावेजों के सत्यापन तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्या के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. वैधानिक रिकार्ड का अनुरक्षण

कंपनी अधिनियम, 1956, डिपाजिटरी अधिनियम, 1996 और इनके तहत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत यथा निर्धारित वैधानिक रजिस्टरों और अन्य रजिस्टरों में की गई सभी प्रविष्टियों के रिकार्ड उपयुक्त रूप में रखा गया है एवं इसका सही अनुरक्षण किया गया है। सदस्यों के रजिस्टर की बंदी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

2. वैधानिक रिटर्न दाखिल करना

कंपनी रजिस्ट्रार और अन्य वैधानिक प्राधिकारियों के पास विभिन्न फार्मों और रिटर्न के समय पर दायर किए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और अन्य विधियों का विधिवत अनुपालन किया गया है। विभिन्न विधियों/सूचीयन समझौतों/बिजनेस नियमों के तहत सभी दस्तावेजों/सूचनाओं को देय तिथियों के भी स्टॉक एक्सचेंजों और डिपाजिटरीज (एनएसडीएल और सीडीएसएल) के पास नियमित रूप से दायर किया गया।

3. बोर्ड का संयोजन

सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49 के तहत अपेक्षित है कि यदि कंपनी का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है तो बोर्ड के निदेशकों में आधे से अधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। जहां तक बोर्ड के संयोजन से संबंधित सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49 के अनुपालन का संबंध है, कंपनी ने 30.04.2012 से 30.05. 2012 तक की अवधि को छोड़कर, प्रावधानों का अनुपालन किया है।

4. बोर्ड बैठकें

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की और लगातार दो बैठकों के बीच अधिकतम 94 दिनों का अंतराल था, साथ में सभी बैठकों में उपस्थिति का वैध कोरम भी था। कंपनी ने कार्यवृत्त पुस्तिका में परिपत्र प्रस्तावों सहित बोर्ड बैठकों की सूचना देने, बैठकों की सभी कार्यवाहियों को दर्ज करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. इन–हाउस शेयर रजिस्ट्री

कंपनी की स्वयं की इन–हाउस रजिस्ट्री है जो कि इसके पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751061 में स्थित है। इसने सेबी परिपत्र सं0 डीएंडसीसी/एफआईटीटीसी/सीआईआर–15/2002 दिनांक 27.12.2002 के अनुपालन में सभी शेयर संबंधी गतिविधियों (भौतिक और इलेक्ट्रानिक दोनों) की देखरेख की है।

6. शेयर अंतरण समिति

निदेशक मण्डल द्वारा गठित शेयर अंतरण समिति शेयरों के कटने–फटने/विकृत/विरूपित/गुम/पुनः भौतिकरण होने के मामले में विचार और नए शेयर प्रमाण–पत्र जारी करने का अनुमोदन करने के अलावा शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन पर विचार और अनुमोदन करती है। अनुरोध के तुरंत निपटारे के लिए बोर्ड ने शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन पर विचार करने के लिए कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयर ट्रांसफर समिति के जरिए शेयर अंतरण/ट्रांसमिशन सहित कटने–फटने/विकृत/विरूपित/गुम/पुनः

भौतिकीकरण के फलस्वरूप नए शेयर प्रमाण–पत्र जारी करने का 6 बार अनुमोदन किया गया तथा कंपनी सचिव ने सिर्फ 19 बार शेयर अंतरण/ट्रांसमिशन का अनुमोदन किया।

7. निवेशकों की शिकायतों का समाधान

शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, शेयरों की डीमैट/रीमैट, डुप्लीकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान इत्यादि संबंधी सभी शिकायतों/समस्याओं को न सिर्फ सुना गया बल्कि उनकी प्राप्ति के 2 से 3 दिन के भीतर समाधान भी किया गया। इन शिकायतों/समस्याओं, शेयर ट्रांसफर, शेयरों की इलेक्ट्रानिक होल्डिंग (एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों) का विवरण लेखा परीक्षा की प्रत्येक बैठक में रखा गया (लेखा परीक्षा समिति का भी निवेशकों की शिकायतों के समाधान को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है)

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को सेबी द्वारा शुरू की गई वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली स्कोर्स के जरिए दायर 5 शिकायतों सहित कुल 97 शिकायतें प्राप्त हुई। सभी शिकायतों का विधिवत निपटान कर दिया गया।

8. सूचीबद्ध और चुकता पूंजी का समाधान

भौतिक और डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों का मिलान कंपनी द्वारा कुल जारी शेयरों के साथ दैनिक आधार पर संचालित किया जाता है। उपर्युक्त मिलान संचालित करने के लिए पर्याप्त पारदर्शी प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। कंपनी ने डीमैटीरियलाइज्ड सिक्यूरिटीज के रिकार्ड की कंपनी द्वारा जारी सभी सिक्यूरिटीज के साथ मिलान के संबंध में डिपाजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए उप नियमों के अनुपालन किया है।

9. डीमैटीरियलाइजेशन/रीमैटीरियलाइजेशन

डिपाजिटरीज (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से प्राप्त अनुरोधों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। अनुरोधों की पुष्टि डिपाजिटरीज द्वारा निर्धारित प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों और सेबी द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत अनुरोधों की अपलोडिंग की तिथि से 21 दिनों के मुकाबले 8–10 दिनों में कर दी जाती है। कंपनी द्वारा सिक्यूरिटीज के डीमैटीरियलाइजेशन/रीमैटीरियलाइजेशन के संबंध में डिपाजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों की विधिवत अनुपालन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नालको के डीपी प्रचालनों की जांच एनएसडीएल और सीडीएसएल के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा 26.02.2013 को की गई। सीडीएसएल से निरीक्षण के उपरांत कोई टिप्पणी/अभ्युक्तियां प्राप्त नहीं हुई। एनएसडीएल की प्रचालन तरफ भी कोई अभ्युक्ति नहीं है।

10. शेयरधारकों को कार्पोरेट नकद लाभों का भुगतान

घोषणा के उपरांत समय पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है और जहां कहीं आवश्यक है, लाभांश के अधिकारों को शेयरों के लंबित पंजीकरण/विधिक मामलों के लंबित निपटान के अधीन स्थगित रखा जाता है। कंपनी ने 30.03.2013 को प्रति शेयर रु. 5 के फेस वेल्यू पर रु. 0.75 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए रु. 0.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है तथा इस प्रकार उसने इसे कुल रु. 1.25 प्रति शेयर कर दिया है।

11. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष का स्थानांतरण

घोषणा/भुगतान की तिथि से 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी नियम, 1956 की धारा 205क तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूता एवं संरक्षण) नियम 2001 की शर्तों के तहत, कंपनी ने निम्नलिखित अदत्त/दावारहित ब्याज और लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया है:

अदत्त/दावारहित लाभांश का अंतरण

वित्तीय वर्ष	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
2004-2005 (अंतिम लाभांश)	4,22,231/-	18.10.2012
2005-2006 (अंतरिम लाभांश)	3,76,570/-	29.01.2013

12. कार्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस आचार एवं नीति संहिता

निदेशक मण्डल ने लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण एवं नीति के लिए आदर्श बिजनेस संहिता पर दिशानिर्देशों को लागू किया है। बिजनेस आचरण की संहिता सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन को वित्तीय वर्ष की शुरूआत में संचारित की जाती है और उनके द्वारा इसकी वार्षिक तौर पर पुष्टि की जाती है।

13. भ्रष्टाचार विरोधी नीति

कंपनी ने कंपनी में अनैतिक/गैरकानूनी व्यवहार या गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र कायम किया है। भ्रष्टाचार विरोधी नीति कर्मचारियों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखती है जिससे कि वे किसी अनैतिक व्यवहार, आचरण के उल्लंघन, वास्तविक और संदिग्ध घोटाले की रिपोर्ट कर सकें जिसका कंपनी के कामकाज पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। नीति कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है।

14. आंतरिक ट्रेडिंग विनियम

कंपनी ने निदेशकों, अधिकारियों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा प्रकटन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 1992 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और इन विनियमों के तहत अपेक्षित रिकॉर्डस का रखरखाव किया है। विनियम के अनुरूप कंपनी ने आंतरिक प्रक्रियाएं और आचरण की संहिता भी तैयार की है।

15. कानूनी नोटिस

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सिक्यूरिटीज के कारोबार में किसी तरह की कमी/त्रुटि के लिए किसी भी वैधानिक प्राधिकरण जैसे कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी रजिस्ट्रार आदि से कोई भी कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

16. सार्वजनिक जमाएं

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनीज (जमाओं की स्वीकार्यता) नियम, 1975 के तहत किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी जीडीआर/एडीआर और कोई परिवर्तनीय इंस्ट्रयूमेंट जारी नहीं किया है।

17. भारत सरकार द्वारा शेयरों का विनिवेश।

भारत सरकार ने 15 मार्च, 2013 को बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) के जरिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 6.09 प्रतिशत के बराबर 15,69,38,918 शेयरों को बेच दिया है। ओएफएस के बाद सरकारी धारिता कम होकर कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 81.06 प्रतिशत हो गई है। कंपनी ने सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992, सेबी (एसएएसटी) विनियम, 2011 आदि के सभी लागू प्रावधानों की अनुपालन की है।

मैसर्स डी एस मिश्रा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

स्थानः भुवनेश्वर
तिथिः 19.06.2013

डी एस मिश्रा
(सी पी नं.–4002)

अनुलग्नक - VI

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना एवं विकास

वर्ष 2012 के दौरान, वैश्विक एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उद्योग विविध बहुमुखी आर्थिक, राजनीतिक, संरचनात्मक और आधारभूत कारणों से प्रभावित था, जो कि एल्यूमिनियम के मूल्य और एल्यूमिना में मूल्य निर्धारण के तंत्र के लिए महत्वपूर्ण था।

एल्यूमिना

एल्यूमिनियम मूल्यों में कमी के पृष्ठभूमि के तहत और नरम बाजार रूझानों से, एल्यूमिना के मूल्यों में भी गिरावट आई और बाजार स्थितियां नरम हैं। कम एल्यूमिना मूल्यों ने कुछ एल्यूमिना रिफाइनरीज को, मुख्यतः चीन में शंडोंग में, उत्पादन में कटौती करने के लिए प्रेरित किया। अलकोआ द्वारा कंपनी की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु अगले 15 महीनों में संभावित कटौती को लेकर स्मेलटिंग क्षमता इसके 460,000 टन प्रति वर्ष की समीक्षा की घोषणा भी एल्यूमिना की मांग पर असर डालेगी।

चीन के इस पूरे वर्ष के दौरान बॉक्साइट के भण्डार रखने और कुल बॉक्साइट स्टॉक्स 8 मि0 टन के करीब होने का अनुमान है और इस वर्ष चीन द्वारा लगभग 55.4 मिलियन टन बॉक्साइट के आयात किये जाने की आशा है।

चीन को छोड़कर विश्व का एल्यूमिना बाज़ार सरप्लस रहने की आशा है और 2013 की दूसरी तिमाही में लगभग 298,000 टन सरप्लस होने की आशा है। इसमें क्वीन्सलैंड एल्यूमिना लिमिटेड (क्यूएएल) और यारवुन एल्यूमिना रिफाइनरीज़, दोनों में नियमित एल्यूमिना उत्पादन की बहाली को शामिल किया जा सकता है, जिसमें इस वर्ष के शुरू में उत्पादन व्यवधान आए थे। इस वर्ष के शेष भाग में कुल मिलाकर सरप्लस होने की आशा है, जो संभावना को सीमित कर देगा जिसमें एल्यूमिना मूल्य बढ़ सकते हैं। वैश्विक एल्यूमिना सरप्लस के 2013 की दूसरी तिमाही में यथा वर्तमान संभावना अनुसार उच्च रहने से एल्यूमिना मांग में सुधार की कमी रिफाइनिंग कटौतियों में तीव्रता ला सकती है।

एल्यूमिनियम

विश्व एल्यूमिनियम उत्पादन और खपत 2012 में 4.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 47.78 और 47.258 मिलियन टन हो गई। एल्युमिनियम बाजार में एक और वर्ष में 0.46 टन का सरप्लस दर्ज़ किया गया। उत्पादन वृद्धि केवल एशिया में 11.8 प्रतिशत हुइ जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई। चीन में वृद्धि दर 14.1 प्रतिशत थी और चीन को छोड़कर विश्व में यह 2.5 प्रतिशत रही।

एशिया और उत्तरी अमरीका में खपत वृद्धि 8.3 प्रतिशत और 6 प्रतिशत रही। चीन में वृद्धि 10.4 प्रतिशत थी और चीन को छोड़कर बाकी विश्व में 1 प्रतिशत थी।

कमज़ोर स्थितियों और वैश्विक उथलपुथल ने पूरे वर्ष एल्यूमिनियम बाज़ार को लगातार प्रभावित किया। यूरोजोन में कमज़ोर आर्थिक गतिविधियों के कारण चीन को छोड़कर वैश्विक मांग की मंद गति बनी रही। । जापान की अर्थव्यवस्था भी इसके निर्यात क्षेत्र के बहुत कमज़ोर कार्य–निष्पादन की वजह से मंदी में थी।

चीन में 2012 के दौरान उत्पादन और खपत वृद्धि मज़बूत बनी रही क्योंकि उत्तर पश्चिम चीन में नई क्षमताएं चालू की गई थीं। वहां स्मेलटर संयंत्रों की बंदी या व्यवधान कम रहे क्योंकि सरकारी विद्युत सब्सिडी देती है, स्टेट रिजर्व ब्यूरो के धातु को खरीदने से स्मेलटर्स की उच्च कीमत बनाए रखने में मदद हुई। चीन में एल्यूमिनियम का उत्पादन और खपत 2012 के दौरान क्रमशः 22 और 21.479 मिलियन टन था।

2012 के दौरान एल्यूमिनियम के एलएमई मूल्य परिवर्तनशील रहे और औसत नकद मूल्य 1874 यमएसडी से 2086/ट तक की रेंज में ऊपर–नीचे होते रहे। 2012–13 के दौरान एल्युमिनियन के लिए औसत एलएमई नकद मूल्य 1975.60/ट अमरीकी डॉलर था। एल्यूमिनियम के मूल्य मंद मेक्रोइकोनोमिक डॉटा, नकारात्मक आर्थिक परिदृश्य और खराब बाजार आधारों से प्रभावित होते रहे। आपूर्ति मांग से आगे निकल गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदित और अप्रतिवेदित स्टॉक बढ़ गया। बाज़ार में अधिक मात्रा में आपूर्ति हो रही थी जिससे मूल्यों पर दबाव बढ़ा और धातु का एलएमई वेयरहाउसों में बढ़ा हुआ प्रवाह रहा तथा अप्रैल 12 के दौरान 5.01 मिलियन टन से बढ़कर मार्च, 13 के अंत में 5.24 मिलियन टन हो गया।

2. शक्तियां और खामियाँ

शक्तियां

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुशल और प्रतिबद्ध मानव शक्ति, अच्छी गुणवत्ता के बॉक्साइट रिजर्व, दक्ष प्रौद्योगिकी, विभिन्न सुनियोजित और आदर्श रूप में स्थित अवसंरचना सुविधांए, दक्ष प्रचालन, अच्छी गुणवत्ता के एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादों को प्रतिस्पर्धी लागत पर उत्पादन, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और प्रचालन के सभी पहलुओं में अच्छे कार्पोरेट अभिशासन व्यवहार आदि कुछेक बातें कंपनी की प्रमुख ताकते हैं और आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के सतत विकास के लिए इन ताकतों पर भरोसा है।

खामियाँ

कोयले की कमी, सीमित उत्पाद रेंज, श्रम सहित बढ़ती उत्पादन लागत, एलएमई मूल्यों के साथ साथ विनिमय दरों में उतार चढ़ाव आदि कुछेक खामियाँ हैं जो आपकी कंपनी की लाभप्रदता को लगातार प्रभावित कर रही हैं।

3. अवसर एवं खतरें

अवसर

दूसरे चरण के विस्तार के उपरांत कंपनी के पास सरप्लस एल्यूमिना की उपलब्धता ने कंपनी को एक लाभकारी स्थिति में ला दिया है और अन्य हरित क्षेत्र स्मेलटर और विद्युत संयंत्र के लिए आकर्षक अवसरों के लिए आकर्षित किया है।

खतरे

कोयले की लागत और इसकी सतत उपलब्धता ऊर्जा सघन एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एक समस्या है। नालको जैसे एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए इनपुट सामग्री लागत में बढ़ोतरी एक प्रमुख खतरा है।

कंपनी की खतरे की अवधारणाओं में एलएमई पर मूल्य अस्थिरता, लाभ अंतर में सिकुड़न और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा शामिल है। अनुभवी मानवशक्ति की पुनःप्राप्ति जो कि काफी समय से चुनौती बनी रही है। चहुं ओर लागत के साथ लाभ अंतर को बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती है।

अन्य खतरा अवधारणाओं में स्क्रैप आयातकों से प्रतिस्पर्धा, स्थानापन्न सामग्रियां, विशेषकर प्लास्टिक्स, शुद्ध, एल्यूमिनियम के स्कैप आयात के बीच 2.5 प्रतिशत टैरिफ अंतर, और कच्चे माल की बढ़ती लागत शामिल है।

एल्यूमिनियम बाज़ार के लिए दृष्टिकोण में कुछ हद तक नरमी आई है, क्योंकि एलएमई वेयरहाउसों में स्टॉक्स की प्रचुरता से अटकल खरीदारी को रोका है और इस तरह एलएमई नकद मूल्यों के 2013 में यूएसडी 2000–यूएसडी2,100 / ट के बीच की रेंज में बने रहने की आशा की जाती है। विश्लेषकों को आशा है कि 2013 में एल्यूमिनियम बाजार में करीब 1.0 मिलियन टन सरप्लस हो जाएगा।

2012 में कम मूल्यों की प्रचुरता के बावजूद चीन ने वास्तव में उत्पादन को बढ़ाया है। चीनी सरकार विद्युत सब्सिडी देती है जिससे एल्यूमिनियम स्मेलटर्स को हानि होने से बचने में मदद मिली और यहां तक कि ऐसी रिपोर्टें थी कि सब्सिडीज के कारण कुछ एल्यूमिनियम क्षमता पुनः चालू हो गईं। चीनी सरकार उद्योग को संचालित करना जारी रखने की इच्छुक है और अंतर दबावों पर आधारित कामगार बेकार अदक्ष क्षमता से अधिक नियुक्ति किये जाते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम के मूल्य कम रहे, आउटपुट कम मांग वृद्धि के बावजूद जारी रही जिसका प्रमुख धातु बाजार पर नकारात्मक प्रभाव था।

एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए विद्युत एक प्रमुख घटक है और यह उत्पादन लागत का करीब 40 प्रतिशत बैठता है। हाल के दिनों में कोयले की लागत में काफी वृद्धि ने भारत में एल्यूमिनियम उत्पादकों पर अतिरिक्त लागत दबाव डाला है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में स्मेलटर्स से कम लागत एल्यूमिनियम की उपलब्धता से भारतीय स्मेलटर्स के प्रभावित होने की आशा है, जहां तेल रिफाइनरीज से सस्ती गैस के कारण पिछले दशक में उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है जिसने क्षेत्र को एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए आदर्श स्वरूप बनाया दिया है।

हालांकि घरेलू बाजार में अवसर मौजूद हैं क्योंकि देश में एल्यूमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने की संभावना है और भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की खपत विश्व में सबसे कम अर्थात वैश्विक औसत 12.15 कि.ग्रा. की तुलना में केवल 1.3 कि.ग्रा. है। निर्यातकों के लिए पड़ोसी देशों को उनके कम उत्पादन स्तरों के कारण महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं।

4. क्षेत्रवार कार्य निष्पादन

क्षेत्रवार विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :

	रसायन (एल्यूमिना)		एल्यूमिनियम		विद्युत		आवंटनीय		कुल
	₹ करोड़ में	शेयर	₹ करोड़ में	शेयर	₹ करोड़ में	शेयर	₹ करोड़ में	शेयर	₹ करोड़ में
निवल बिक्री और परिचालन राजस्व	2,953	29.79%	5,016	50.60%	1,942	19.59%	3	0.00	6,809*
पीबीआईटी	561	61.51%	(34)	-3.73%	117	12.83%	272	29.82%	912
नियोजित पूंजी	2,847	22.18%	3,203	24.96%	1,395	10.87%	5,390#	41.99%	12,835
आरओसीई (%)		19.70%		-1.06%		8.39%		5.05%	7.11%
पीबीआईटी लाभ (%)		19.00%		-0.68%		6.02%			13.39%

#विस्तार इकाइयों के नकदी बकाया और प्रगति पर पूंजीगत कार्य सम्मिलित

*आंतरिक अंतरणें को हटा दिया गया है

प्रचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चाएं निदेशकों की रिपोर्ट में की गई हैं

5. भविष्य के लिए दृष्टिकोण

भविष्य की अपनी कार्यनीतिक विकास योजनाओं में कंपनी को कुछेक पूर्ववर्ती और आगामी एकीकरण के साथ खान, रिफाईनरी, स्मेलटर और केप्टिव विद्युत संयंत्रों में आगे क्षमता विस्तार के साथ अधिक प्रमुख सक्षमता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

प्रस्तावित रिफाइनरी (गुजरात) और दामनजोडी में 5वें स्ट्रीम विस्तार के साथ, कंपनी एक प्रमुख वैश्विक एल्यूमिना उत्पादक बनने को तैयार है। कंपनी की विद्युत के अन्य स्रोतों के प्रति विविधता, विशेषकर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में इसे पर्यावरण के लिए जिम्मेदार कार्पोरेट चिंतक के तौर पर नई पहचान दी है।

घरेलू बाजार दृष्टिकोण

भारत में एल्यूमिनियम धातु उत्पादन 2011–12 में 1.67 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 2012–13 के दौरान 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.72 मिलियन टन हो गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन स्मेलटर्स विद्युत अवरोधों से प्रभावित था। 2012–13 के दौरान प्रमुख उत्पादकों द्वारा घरेलू धातु बिक्री और निर्यात की वृद्धि क्रमशः 1 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी। विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में एल्यूमिनियम के उपयोग में वृद्धि और अन्य विकासशील देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने से एल्यूमिनियम की घरेलु खपत बढ़ने की संभावना है। इस वृद्धि के प्रमुख संचालक विद्युत उत्पादन एवं अन्तरण, भवन एवं निर्माण और आटोमोबाइल क्षेत्रों से होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

मुख्यतः चीन और अन्य एशियाई देशों से संचालित एल्यूमिनियम का विश्व उत्पादन 2013 में करीब 50 मिलियन टन होने की आशा है।

- हरित क्षेत्र परियोजना में सउदी अरब में 740000 टीपीवाई मेडन स्मेलटर , मलेशिया में 240 000 टीपीवाई सिमिलाजो स्मेलटर, भारत में 359000 टीपीवाई माहन स्मेलटर और रूस में 588 टीपीवाई बोगुचांस्की स्मेल्टर का पहला चरण 2013 में रैम्पिंग शुरू कर देगा।
- चीन में उत्तर पश्चिम प्रांत में 2013 में लगभग 3 से 4 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता विस्तार चालू होने की आशा है।
- एल्युमिनियम की वैश्विक मांग में वृद्धि बनी रहेगी और 6 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह मुख्यतः चीन, अन्य एशियाई देशों और अमरीका में संचालित होकर 49 मिलियन टन हो जाएगी।
- चीन में खपत कार उत्पादन, अवसंरचना निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में गृह उपकरणों के लिए राहत कायक्रम की पृष्ठभूमि में बढ़ेगी।
- अमरीकी खपत ऑटोमोटिव क्षेत्र के साथ–साथ भवन और निर्माण क्षेत्रों में बढ़ते क्षमता उपयोग से समर्थित होगी।
- ईसीबी द्वारा ऋण समस्या, बृहत बजट घाटा और पूंजी खर्चों में कटौती के समाधान के वास्ते किये गये प्रयासों के बावजूद 2013 के लिए एल्यूमिनियम की यूरोपीय खपत वृद्धि नकारात्मक बनी रही।

6. जोखिम और चिंताएं

अमरीकी डॉलर/यूरो में उतार–चढ़ाव, तेल और कोयला मूल्यों में वृद्धि, विद्युत की कमी और परंपरागत मज़बूत अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरी, ऋण संसर्ग, ब्याज दरों में वृद्धि, कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्रेडिट रेटिंग की घटना तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव आदि चिंता के कुछेक सामान्य कारण हैं।

एलएमई मूल्यों, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, तेल और कोयला के मूल्यों में वृद्धि, लिंकेज कोयले की सीमित उपलब्धता, अलाभकारी विद्युत खरीद कंपनी के लिए चिंता के कारण हैं।

एल्यूमिनियम, प्राथमिकता का क्षेत्र न होने के कारण, कोयले की लागत में वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित होगा। ग्रीनफील्ड स्मेल्टर की व्यवहार्यता के लिए केप्टिव कोयला ब्लॉक का आबंटन अनिवार्य बन गया है। भारत में ग्रीनफील्ड स्मेल्टर की स्थापना में देरी और चिन्हित की गई कोयला खान कंपनी की कोयला परियोजना में हाल की घटनाओं के कारण भी आपकी कंपनी की विकास योजनाओं के बारे में चिंता का एक कारण है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी जोखिम प्रबंधन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करती है जिनमें अन्य बातों के साथ यह निर्धारित है कि बोर्ड को कार्पोरेट और प्रधान उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण और अलाइनमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए तथा जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यवसाय व्यवहार के भाग के तौर पर न कि तय समय में एक अलग कार्य के तौर पर संचालित किया जाना चाहिए। जोखिम न्यूनीकरण उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यपालक प्रबंधन उचित परिभाषित फ्रेमवर्क के जरिए जोखिमों पर नियंत्रण करते हैं। पहचान किये गये जोखिमों के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में जोखिम रजिस्टरों का रखरखाव करते हैं। ऐसे जोखिम रजिस्टरों की कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा तीव्र अंतराल पर अंकेक्षित भी की जाती है और कमी, यदि कोई है, के बारे में लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन पर आवधिक रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंधन उप समिति के समक्ष रखी जाती है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि नालको ने इसकी प्रकृति और आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुस्थापित किया है। आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इसके वित्तीय और ग़ैर–वित्तीय लेनदेनों के उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए आठ प्रतिष्ठित और अनुभवी बाहरी चार्टर्ड एकाऊण्टेंट फार्मों को अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा है। लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर प्रथमतः कार्यकारी निदेशकों के स्तर पर चर्चा की जाती है और लेखा परीक्षा समिति को सामग्री टिप्पणियां उसकी समीक्षा, विश्लेषण और सभी सामग्री नियंत्रणों, वित्तीय नियंत्रणों और अनुपालन नियंत्रणों को शामिल करते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को और सुदृढ़ करने के लिए परामर्श देने के वास्ते प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर लेखा परीक्षा समिति की टिप्पणियों पर कार्रवाई रिपोर्ट नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

8. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधनों / औद्योगिक संबंधों में भौतिक विकास

मानव संसाधन

आपकी कंपनी की कुल मानव शक्ति पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को 7705 के मुकाबले 31.03.2013 को 7555 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम. सं.	पद*	31.03.2013 को	31.03.2012 को
क.	कार्यपालक	1,799	1,851
ख.	पर्यवेक्षक	863	860
ग.	कुशल/उच्च कुशल	3,951	4,014
घ.	अकुशल/अर्द्धकुशल	942	980
	कुल	**7,555**	**7,705**

* जीईटीज/एमटीज/एसओटीज/जेओटीज सहित

प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विकास आपकी कंपनी की सफलता की कुंजी है। इसे और निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, बहुल स्रोतों से कार्यात्मक और विकासात्मक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, प्रथमतः सक्षमता से संबंधित जरूरतें, दूसरी सांगठनिक अपेक्षाओं से उत्पन्न आवश्यकताओं और अंततः विभागीय/अनुभागीय अनिवार्यताओं के अनुरूप इनकी पहचान की जाती है। विशिष्ट पद संबंधी प्रशिक्षण जरूरतों पर ज़ोर दिया जाता है और यथा संभव कार्यक्रमों को अनुकूलित किया जाता है। कार्य से प्राप्त लाभों के मूल्यांकन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की अपेक्षा के अनुरूप प्रशिक्षण प्रभावकारिता मूल्यांकन भी संचालित किया जाता है।

वर्ष 2012–13 में प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

विवरण	व्यक्ति	मानव दिवस
कार्यपालक	2,128	8,570
गैर–कार्यपालक	3,875	12,635
कुल	6,003	21,205

09. कार्पोरेट योजना एवं बिजनेस विकास

निगम योजना

कंपनी ने धातु और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी बनने के लिए विजन 2020 लागू किया है। 2009 में बनी कार्पोरेट योजना में भारत और विदेश में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम क्षेत्रों में विस्तार करने, ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने और अन्य धातुओं में व्यापारिक अवसरों की तलाश करने की योजना का उल्लेख है। अपने बृहत दृष्टिकोण के साथ कंपनी भविष्य के विकास हेतु अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तीन प्रमुख दिशाओं में काम कर रही है:

- वैश्वीकरण
- विविधीकरण
- विकास

व्यापार विकास

पोटांगी बॉक्साइट खान

मई 2012 में ओड़िशा सरकार ने, कुछ नई शर्तों, जैसे कि सीएसआर व्यय में पीएटी का 1 प्रतिशता से 2 प्रतिशत अथवा रू 20 करोड़ की वृद्धि, जो भी उच्चतर हो, के साथ पोटांगी बॉक्साइट खान के आरक्षण के लिए सिद्धांत रूप में अपने अनुमोदन की सूचना दी जिसका जिओलॉजिकल रिजर्व 75 मिलियन टन है। इसके अलावा यह अंशदान अतिरिक्त लाभों से ऊपर होना चाहिए जो कि एमएमडीआर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के कारण और 01.04.2010 से हो सकता है। नालको ने शर्तों की स्वीकृति की सूचना ओड़िशा सरकार को नवंबर, 2012 में दी साथ ही खनिज रियायत प्रदान करने में तेज़ी लाने का अनुरोध किया।

एल्यूमिना रिफाइनरी में 5वां प्रवाह

पोटांगी खानों की उपलब्धता के विषयाधीन नालको को लाभ मीडियम प्रेशर डाइजेशन टेक्नालोजी पर आधारित 5वें स्ट्रीम रिफाइनरी के लिए योजना है। स्ट्रीम की क्षमता 1 मिलियन टन प्रति वर्ष है और निवेश लगभग रु. 4571 करोड़ होगा। मैसर्स एम एन दस्तुर एंड कंपनी से प्राप्त मसौदा डीपीआर अंतिम रूप दिये जाने के अधीन है।

गुजरात में एल्युमिना रिफाइनरी परियोजना

गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा अल्पसूचीबद्ध किये जाने के उपरांत नालको ने कच्छ बिजली, गुजरात में बाक्साइट भण्डारों पर आधारित 1.0 एमटीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी परियोजना की स्थापना के लिए बोली प्रस्तुत कर दी। एल्यूमिना रिफाईनरी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी के अधीन है। परियोजना समझौता और परियोजना के लिए कच्चे माल की सोर्सिंग हेतु अन्य समझौते अंतिम रूप दिये जाने के अधीन हैं।

न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. (एनपीसीआईएल) के साथ संयुक्त उद्यम में परमाणु विद्युत संयंत्र

काकरपार परमाणु विद्युत केंद्र 3–4 के विकास के लिए आपकी कंपनी और एनपीसीआई के बीच ''एनपीसीआईएल–नालको पावर कंपनी लिमि.'' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी मार्च, 2012 को अस्तित्व में आई है। भारत सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम पद्धति में परियोजना की स्थापना के लिए अनुमोदन तथा नालको द्वारा इक्विटी निवेश उच्चतम स्तर पर प्रक्रियाधीन है। मालूम पड़ा है कि संयुक्त उद्यम कंपनी हेतु प्रक्रिया में सुविधा के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में एक समग्र संशोधन भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। अब तक संयुक्त उद्यम कंपनी एनएनपीसीसल के निदेशक मण्डल की पांच बैठकें हुई हैं।

ओड़िशा में दूसरा स्मेलटर और सीपीपी

सुंदरगड़ जिला, ओड़ीशा में स्मेलटर और विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्ताव को सितंबर 2012 में ओड़िशा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय अनुमोदन प्राधिकरण ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। प्रस्तावित परियोजना के लिए स्थान चयन अध्ययन और प्रारंभिक भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। कंपनी उक्त परियोजना के लिए कायला खण्डों के आबंटन के मामले को सक्रियता से उठा रही है जो कि परियोजना की व्यवहार्यता के लिए ज़रूरी होगा।

आंध्र प्रदेश में खानें और रिफाइनरी

परियोजना के लिए खनन योजना तैयार की जा रही है। लेकिन सुरक्षा कारणों से योजना में अनुरूप प्रगति नहीं हो पाई है। गुंडेम खण्डों के निकटवर्ती गांवों में लघु सीएसआर गतिविधियां संचालित की गई हैं। भारत सरकार के परामर्श अनुसार परियोजना को इस समय अधिक कुशाग्रता के साथ आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

पवन ऊर्जा संयंत्र III

कंपनी दामनजोडी में अपने बॉक्साइट खान क्षेत्र में पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए भी योजना बना रही है जिसके लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। 14 मेवा पवन विद्युत परियोजना के लिए रु. 82 करोड़ के अनुमानित निवेश के लिए प्रशासनिक अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

कास्टिक सोडा परियोजना

कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना के लिए गुजरात अलकालिस एंड केमिकल्स लिमि. (जीएसीएल) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुरूप जीएसीएल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अन्य मुद्दे जैसे कि संयुक्त उद्यम समझौता, कासटिक सोडा, क्लोरीन आदि के वाणिज्यिक कारोबार हेतु संभावित शर्तों एवं निबंधन को दोनों पक्ष अंतिम रूप दे रहे हैं।

एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर प्लांट

एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉय इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमि. (पीजीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। टेक्नो इकोनोमिक संभाव्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

10. कम्प्यूटरीकरण गतिविधियां

आपकी कंपनी सभी कार्य क्षेत्रों में बिजनेस प्रक्रियाओं को सुदृढ़ और तेज़ करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर बहुत भरोसा करती है। 1982 में भू–सांख्यिकी और खान नियोजन अनुप्रयोग से शुरू करते हुए आपकी कंपनी ने अपने कार्यनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों में सहायता के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग किया है।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी ने सभी प्रमुख और छोटे मोटे कार्यों को उद्यम स्तर पर समर्थन के लिए मजबूत आई टी अवसंरचना बनाई है और साथ ही व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाने तथा समर्थ बनाने में मदद के लिए एक मजबूत ऑफिस ऑटोमेशन की शुरूआत की है। सर्वर हार्डवेयर, आपरेटिंग सिस्टम्स, डाटाबेसिस और डेवलपर टूल्स, नेटवर्किंग और सुरक्षा के क्षेत्रों में श्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए समय के साथ लगातार उद्यम समाधानों को उन्नत किया है। समय के साथ 2000 से रेमको ईआरपी आधारित अनुरक्षण प्रबंधन के तौर पर उभरे समाधानों का कार्यान्वयन किया गया है और इसके उपरांत सभी प्रमुख कार्यों में एसएपी ईआरपी को 2010 में शामिल किया गया। नालको ने बिक्री कार्यालयों सहित पूरे संगठन में अपने प्रमुख अनुप्रयोगों को एसएपी वातावरण में तबदील किया है। एसएपी कार्यान्वयन में मैटीरियल एंड कांन्ट्रैक्ट्स, बिक्री एवं वितरण, उत्पादन योजना–मॉडयूल उन्नत नियोजन एवं आप्टिमाइजेशन के साथ, गुणवत्ता, वित्त एवं नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन मॉडयूल्स शामिल हैं।

ईआरपी समाधान कार्पोरेट अत्याधुनिक डाटा सेंटर के साथ 24 x 7 कंडीशंड विद्युत आपूर्ति और एयर कंडीशनिंग से जुड़ा है साथ ही कार्पोरेट कार्यालय में सामान्य सुरक्षा उपाय और निगरानी प्रणालियां हैं जो कि कंपनी के एसएपी और अन्य सर्वरों तथा प्रमुख नेटवर्क के लिए स्थिर और विश्वसनीय हाउसिंग उपलब्ध करवाता है। इसे आपदा बहाली साइट के साथ आगे सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि आई टी आधारित प्रक्रियाओं के लिए बिजनेस निरन्तरता योजना का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। नालको ने निर्बाध डॉटा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए फाल्ट टालरेंट हाई बैंडविड्थ लिंक के साथ अपनी डाटा पाइपलाइनों को इंटरनेट और कार्य स्थलों दोनों के साथ सुदृढ़ किया है।

नई प्रौद्योगिकियां जैसे कि इन्टरप्राइज सेवाओं के लिए सर्वर विजुअलाइजेशन का कार्यान्वयन किया गया है जो कि प्रौद्योगिक फायदे पहुंचाने के अलावा महत्वपूर्ण हरि उपाय भी है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग को लोकप्रिय बनाया गया है और करीब 100 डेस्कटाप्स के साथ जोड़ा गया है तथा अवसंरचना को कान्फ्रेंसिंग के लिए उच्चतर उपलब्ध हेतु बढ़ाया जा रहा है ताकि वीडियो कान्फ्रेंसिंग को रोजमर्रा के कामकाज से जोड़ा जा सके।

ई–अभिशासन के क्षेत्र में, निविदा साइड और बोली साइड दोनों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र विशिष्टता के साथ एसएपी के एसआरएम 7 पर सामग्रियों में ई–निविदा की शुरूआत की गई है। पीकेआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्यात बिक्री के लिए इ–निविदा जारी है। आपकी कंपनी ने सरकार के हाल ही के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) का पूर्ण अनुपालन किया है जिसके द्वारा सभी निविदाओं और कंपनी के प्रदत्त ठेकों को सीपीपीपी साइट पर प्रकाशित किया जाता है। बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति साल्यूशन कुछ कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है और यूनिटों के लिए कार्यान्वयनाधीन है।

11. पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

गुणवत्ता प्रबंधन

पांच इकाइयों अर्थात् स्मेलटर, सीपीपी, एल्यूमिना रिफाईनरी, माइन्स और बंदरगाह सुविधा में गुणवत्ता प्रबंधन को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली जिसमें आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 शामिल है, से जोड़ा गया है। सभी पांचों इकाइयों ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली पर फरवरी 13 तक बाहरी लेखापरीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

आपकी कंपनी ने अप्रैल 2012 में ऑल–ओड़िशा गुणवत्ता सर्कल कन्वेन्शन का आयोजन किया। यह कन्वेन्शन राज्य के गुणवत्ता आंदोलन में एक प्रमुख घटना है जिसमें भागीदार के तौर पर राज्य के विभिन्न संगठनों की पच्चीस इकाइयों/संयंत्रों से गुणवत्ता सर्कल/टीपीएम सर्कल थे।

अक्तूबर, 12 के दौरान क्वालालम्पुर, मलेषिया में गुणवता नियंत्रण सर्कलों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्षन (आईसीक्यूसीसी) में स्मेलटर संयंत्र के गुणवत्ता सर्कल ''प्रेरणा'' ने भाग लिया। प्रत्येक यूनिट में संचालित परियोजनाओं में स्मेलटर के अतिरिक्त सीपीपी, एल्यूमिना रिफाईनरी एवं माइन्स में लियन सिक्स सिगमा पहले संचालित की गईं।

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली

इस वर्ष के दौरान, आईएसओ 50001 के अनुरूप ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को सीपीपी में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था। प्रमाणन संस्थान द्वारा बाहरी लेखा परीक्षा के उपरांत, सीपीपी को जनवरी, 13 में प्रमाणन के लिए अनुशंसित किया गया था। वर्ष के दौरान एल्युमिना रिफाइनरी और स्मेलटर में आईएसओ 50001 प्रणाली संस्थापित करने के लिए गतिविधियां संचालित की गईं।

12. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन में कार्य–निष्पादन संतोषजनक रहा है। शुरूआत से ही इसके सभी प्रचालन इकाइयों में सुरक्षित कार्य स्थितियों के संरक्षण को पूर्ण प्राथमिकता दी गई है और इनको पूर्णरूपेण संरक्षित रखा गया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी की रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान को घातक दुर्घटना नहीं हुई। आपकी कंपनी को सभी इकाइयों में स्थल पर ही आपातकालीन योजना उपलब्ध है तथा जांच प्रत्युत्तर के लिए वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यास कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए गए हैं। सभी इकाइयों में ओएचएसएएस–18001:2007 और एसए–8000:2008 के लिए आवधिक लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरे कर लिये गये हैं।

13. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित पर्यावरण को पूरा महत्व देती रही है। वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण/निगरानी के लिए विभिन्न आधुनिक प्रौद्योगिकियां लगाई गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कुछ उपलब्धियां हैं:–

- आपकी सभी प्रचालन इकाइयों ने अपने अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ–साथ मल जल प्रबंधन के संबंध में शून्य डिस्चार्ज व्यवस्था को लागू किया है। शोधित अपशिष्ट जल को पुनः शोधित करके प्रक्रिया/बागवानी के लिए पुनः प्रयोग में लाया गया।
- कूलिंग वाटर पंप हाउस को छत पर संचयन प्रणाली संस्थापित की गई है और मानसून के दौरान संग्रहीत पानी क्रमशः कूलिंग वाटर फोर–बे और फायर हाइड्रेंट फोरबे को प्रदान किया जाता है, जिससे सीपीपी में वाटर मेकअप में कमी आई है।
- अपशिष्ट जल गुणवत्ता, स्टेक उत्सर्जन, परिवेशी वायु गुणवत्ता, पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ–साथ निगरानी उपकरणों की संस्थापना की गई है। प्रदूषण संबंधी डॉटा के रियल टाइम पारेषण के लिए उपकरण लगाए गए हैं। सभी इकाइयों में स्वचालित मौसम निगरानी केंद्रों को स्थापित किया गया
- सीपीपी ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक सीडीएम (स्वच्छ विकास तंत्र) परियोजना शुरू की है। परियोजना का शीर्षक ''सीबीडी(नियमित ब्लो डाउन) से हीट रिकवरी और बायलर के डी–एरेटर्स में पुनः उपयोग'' है। पदनामित राष्ट्रीय प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और परियोजना युएनएफसीसीसी के साथ पंजीकृत करा दी गई है।
- सीपीपी ने शैवाल द्वारा कार्बन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। कार्बन डाई–आक्साइड को फ्ल्यू गैस से सीधे सोखने के लिए एक नवीनतम प्रौद्योगिकी है और इसे शैवाल के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा जिसे बायो–डीजल, मवेशियों के लिए उच्च प्रोटीनयुक्त भोजन के लिए पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है अथवा बायलरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वातावरण में कार्बन डाई–आक्साइड को कम करने के आपकी कंपनी के प्रयासों की सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रशंसा की गई है।
- वर्ष के दौरान कुल उड़न राख उपयोग एसपीपी, दामनजोडी में 29.76 प्रतिशत और सीपीपी, अनगुल में 66.7 प्रतिशत था। कंपनी बंद कोयला खानों की पुनः भराई की परियोजना के लिए लीन स्लरी मोड, जो कि प्रगति पर है, के अलावा उड़न राख के उपयोग को बढ़ाने के लिए निचले क्षेत्रों के भराव, परित्यक्त पत्थर खदानों को भरने, सड़कों और तटबंधों के निर्माण, ईंटों और ब्लाकों के विनिर्माण, आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रही है।
- आईआईएसई बंगलुरू की सिफारिश के अनुरूप पलायक उत्सर्जन से बचने के लिए और प्रायोगिक आधार पर प्राकृतिक वेजिटेशन के विकास हेतु दामनजोड़ी में लाल मिट्टी के तालाब के सूखे हिस्से की उड़न राख और मिट्टी से भरा जा रहा है।

14. अनुषंगी विकास

आपकी कंपनी अपने अनुषंगी विकास कार्यक्रमों के जरिए एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन देने और विशेष प्रोत्साहनों के जरिए इन इकाइयों को समर्थन देने के लिए शतत प्रयत्नशील है, 53 एमएसएमई इकाइयों को अनुषंगी दर्जा प्रदान किया गया है। एमएसएमईज को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर अनुषंगी दर्ज़ा प्रदान किया गया है। अनुषंगी इकाइयों को वर्ष 2012–13 के दौरान करीब 71.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 174.81 करोड़ के आर्डर जारी किये गये जबकि वर्ष 2011–12 में ये 101.99 करोड़ के थे। स्थानीय एमएसएमईज को प्रोत्साहन देने और अनुषंगी इकाइयों के लिए आर्डर्स में सुधार के लिए आपकी कंपनी ने लगातार प्रयास जारी रखा है। अनगुल और दामनजोडी में एसएसआई इकाइयों की भागीदारी की सुविधा के लिए राज्य/केंद्रीय सरकार एमएसएमई अधिकारियों और एसएसआई यूनिटों के साथ अलग–अलग संयंत्र स्तरीय उप समिति बैठकें आयोजित की गईं। उपर्युक्त के अलावा, भुवनेश्वर में संयंत्र स्तरीय परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने उद्योग के साथ संपर्क स्तर बढ़ाने के लिए राज्य/केंद्रीय सरकार के एमएसएमई विभाग और ओड़िशा को विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों द्वारा आयोजित विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लिया और एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए कंपनी की वचनबद्धता को प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में इच्छुक उद्यमियों के लिए खानों, रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र और स्मेलटर के लिए विभिन्न इनपुट्स प्रदर्शित किये जाते हैं जिन्हें एमएसएमईज द्वारा विकसित किया जा सकता है।

एमएसएमईज को ऋण प्रवाह पर 26वीं वार्षिक राज्य स्तरीय कन्वेन्शन और संगोष्ठी 12 अगस्त को ओड़िशा में आयोजित की गई और आपकी कंपनी को 'बेस्ट मदर प्लांट' पुरस्कार प्रदान किया गया।

कटक, ओड़िशा में नवंबर, 2012 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वेंडर विकास कार्यक्रम और वार्षिक प्रदर्शनी–सह–क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया और आपकी कंपनी ने 'बेस्ट डिस्प्ले' पुरस्कार प्राप्त किया।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को अक्षरशः कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.nalcoindia.com के आरटीआई खण्ड में अनुच्छेद 4(1)(बी) के तहत प्रकाशित सक्रिय खुलासों की आवधिक रूप से समीक्षा की और उन्हें अद्यतन किया तथा केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 19(8)ए) के तहत जारी दिशानिर्देशों को भी प्रकाशित किया।

वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त सूचना अनुरोधों और आईटीआई अधिनियम के तहत की गई अपीलों की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है :

सूचना अनुरोध/अपील	01.04.2012 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को अंतरित अनुरोधों की सं.	अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन अस्वीकृत अनुरोधों/प्रथम अपीलों की सं.	2012-13 के दौरान सर्विसड/निपटाई गई पहली और दूसरी अपीलों की सं.	31.03.2013 को निपटान हेतु लंबित अनुरोध/अपीलें
पीआईओ द्वारा प्राप्त	18	227	02	26	198	19
कंपनी के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील	शून्य	52	शून्य	1	51	शून्य
सीआईसी, नई दिल्ली के समक्ष द्वितीय अपील	01	09	लागू नहीं	लागू नहीं	09	01

— * —

अगस्ती एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
प्लाट नं. 97, भोईनगर
भुवनेश्वर–751 022
फोन नं. 0674–2542828
ई–मेलः agasti_associates@yahoo.com

सी के पृष्टि एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
10, राजारानी कालोनी
भुवनेश्वर–751 014
फोन नं. 0674–2433184
ई मेल : prusty.ck@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न समेकित तुलनपत्र की 31 मार्च, 2013 की और इनसे संबंधित उस वर्ष में समाप्त सम तारीख हेतु समेकित लाभ हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की यथास्थिति जांच की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जिसमें वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानदंडों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और सच्ची तस्वीर दी गई है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सत्य और मुक्त तथा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त, चाहे किसी घोटाले अथवा त्रुटि के कारण हो, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रकियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण में कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से प्राप्त सबूत हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और नीचे पैरा 1 में यथा उल्लिखित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की व्यक्तिगत रिपोर्टों पर विचार के आधार पर तथा नीचे पैरा 2 में यथा उल्लिखित अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं:

- क) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,
- ख) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि, लाभ के विवरण के मामले में,
- ग) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह के विवरण के मामले में।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1 अधिनियम की धारा 227 के उप अनुच्छेद 4ए के अनुरूप भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हम परिशिष्ट में आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) में यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमने उन सभी जानकारी और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे पूरे ज्ञान और विश्वास के लिए अपनी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक था।
- ख. हमारी राय में जहां तक बहियों को हमारे परीक्षण के लिए दिखाने की बात है, कंपनी के कानून के अनुसार जरूरी लेखा बही रखी गई है।
- ग. रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के समझौते में शामिल है।
- घ. हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण कंपनी कानून, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखा परीक्षण मानकों के अनुपालन में है।
- च. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कंपनी मामलों के विभाग, की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की शर्तों में सरकारी कंपनियों को कंपनी कानून, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

कृते अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फर्म पंजीकरण सं. –313043E

(सीए. एम. बन्दोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्य सं.. 050968)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2013

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं. –323220E

सीए. जी वी जयाबाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 015616

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में)

i) अचल परिसंपत्तियों के संबंध में

(क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अपनी अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित ज्यादातर मामलों में पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले समुचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) वर्ष के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म द्वारा सभी चल परिसंपत्यिों का भौतिक सत्यापन किया गया है। अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के अंतराल के बाद कराया गया है, जो कि हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को लेकर न्यायोचित है।

हमें दी गई सूचना के अनुसार बहियों के रिकार्ड और भौतिक परिसंपतियों के बीच कोई सामग्री विसंगतियां नजर में नहीं आई है।

ii) मालसूचियों के संबंध में

(क) हमें दी गई व्याख्या के अनुसार विस्तार परियोजना संबंधी स्टॉक, तृतीय पक्षों के स्टॉक और इन–ट्रांजिट किए गए स्टॉक के सिवाय सभी माल सूचियों का वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर प्रबंधन ने सत्यापन किया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन ने जिन प्रक्रियाओं का पालन किया है वे युक्तिसंगत हैं और कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति की दृष्टि में पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने अपनी माल सूचियों का समुचित रिकार्ड रखा है। भौतिक स्टॉक और कमी संबंधी बही रिकार्ड के बारे में मालूम हुई विसंगतियों से लेखा बहियों में निपटा गया है, जबकि तैयार माल के मामले के सिवाय अतिरिक्त की अनदेखी की गई है।

iii) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने कंपनी कानून, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 4 के उपबंध (iii) (क) से (ग) लागू नहीं हैं।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कंपनी के आकार और माल, अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सामान एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। अपनी लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी नाकामी का अवलोकन नहीं किया है।

v) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने किसी ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है जिसे कंपनी कानून, 1956 की धारा 301 के तहत रखे रजिस्टर में दर्ज़ करने की आवश्यकता हो। अतः आदेश के पैरा 4 के उपबंध (अ) (ख) लागू नहीं है।

vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी कानून, 1956 की धारा 58क, 58कक या किसी अन्य प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

vii) हमारी राय में कंपनी के पास इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

viii) हमने विनिर्मित गतिविधियों के संबंध में कंपनी कानून, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के तहत लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार के बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्ड की सीमित समीक्षा की है और ये राय व्यक्त करते हैं कि निर्धारित लागत रिकार्ड रखे गए हैं, हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत परीक्षण नहीं किया है कि क्या ये सटीक और संपूर्ण हैं।

ix) (क) कंपनी के बही खातों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, निवेशक, शिक्षा एवं संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवाएं, सीमा शुल्क, उत्पाद उपकर और विद्युत शुल्क सहित अविवादित वैधानिक देय सक्षम प्राधिकार के पास आमतौर पर नियमित रूप से जमा कराती है।

हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च, 2013 को देय तिथि से 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और कोई अन्य मटीरियल संबंधी अविवादित राशि देय नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार, निम्नलिखित विवादित वैधानिक देयता है जिसे 31 मार्च 2013 तक जमा नहीं किया गया है :

कानून का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा राशि (₹ करोड़ में)	मंच जहां विवाद लंबित हैं
बिक्री कर	बिक्री कर	187.37	31.11	आयुक्त
		183.64	53.73	अधिकरण
		162.77	30.29	उच्च न्यायालय
		533.78	**115.13**	
प्रवेश कर	प्रवेश कर	107.78	31.83	आयुक्त
		29.18	20.94	अधिकरण
		7.84	3.51	उच्च न्यायालय
		144.80	**56.28**	
केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	उत्पाद कर	12.38	2.51	आयुक्त
		26.51	0.62	अधिकरण
		59.26	0.00	उच्च न्यायालय
		98.15	**3.13**	
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	0.76	0.01	आयुक्त
		0.16	0.00	अधिकरण
		0.92	**0.01**	
आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	378.54	316.93	आयुक्त
		107.65	104.83	उच्च न्यायालय
		486.19	**421.76**	
	कुल	**1,263.84**	**596.31**	

x) कंपनी को वित्त वर्ष के आखिर में कोई संचित हानि नहीं है और हमारे लेखा परीक्षण में शामिल वित्त वर्ष के दौरान नकद हानि उपगत नहीं है।

xi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं और व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक या डिबेंचर होल्डर्स को देय चुकता करने में डिफाल्ट नहीं किया है।

xii) (हमें दिये गये रिकार्ड और सूचना और व्याख्याओं के आधार पर) कंपनी शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सुरक्षा के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करती है।

xiii) कंपनी चिट फंड / या निधि / म्युचुअल लाभ फंड / सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर आदेश के अनुच्छेद 4 के उपबंधक के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xiv) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती। इसलिए कंपनी पर आदेश के अनुच्छेद 4 धारा उपबंधक के प्रावधान लागू नहीं हैं)

xv) हमेंदी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से दूसरे के जरिए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमें दिये गये रिकार्ड और सूचना व व्याख्याओं के आधार पर, कंपनी ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कोई अवधि ऋण नहीं लिया है।

xvii) सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र के संपूर्ण परीक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के दीर्घावधि निवेश के लिए लघु अवधि आधार पर कोई फंड इस्तेमाल नहीं कियाा गया है।

xviii) हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने कंपनी कानून, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्म या अन्य पक्षों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

xix) हमें दिये गये रिकार्ड और सूचना एवं व्याख्याओं के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू के जरिए कोई धन नहीं जुटाया है।

xxi) अपने पूरे ज्ञान और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है या उसकी सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है।

कृते अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फर्म पंजीकरण सं. –313043ई

(सीए. एम. बन्दोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्य सं.. 050968)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2013

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–323220ई

सीए. जी वी जयाबाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 015616

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के खातों पर कंपनी कानून, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी कानून, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुरूप 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी कानून, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अपने पेशेवर निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित कंपनी कानून 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार है। यह उन्होंने दिनांक 27.05.2013 की अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में किया गया बताया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वित्तीय विवरणों का कंपनी कानून, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा परीक्षण रिकार्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया जिससे कंपनी कानून 1956 की धारा 619 (4) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की पूरक रिपोर्ट पर या उसके संबंध में किसी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी की जाए।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(नंदना मुन्शी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1
कोलकाता

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 25 जून, 2013

31.03.2013 को तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
इक्विटी और देनदारियाँ			
शेयरधारकों की निधियाँ			
शेयर पूँजी	1	1,288.62	1,288.62
आरक्षित और अधिशेष	2	10,643.83	10,426.46
गैर–चालू देनदारियाँ			
अस्थिगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	3	903.13	849.11
अन्य दीर्घावधि देनदारियाँ	4	70.82	41.41
लंबी अवधि के प्रावधानों	5	208.62	238.29
चालू देनदारियाँ			
व्यापार देय	6	503.56	425.90
अन्य चालू देनदारियाँ	7	2,545.70	2,206.01
लघु अवधि के प्रावधानों	8	162.67	44.98
कुल		**16,326.95**	**15,520.78**
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्ति			
मूर्त परिसंपत्ति	9	6,523.80	6,498.96
अमूर्त परिसंपत्ति	9	105.09	113.39
पूँजी कार्य–प्रगति पर	10	1,001.92	684.44
गैर चालू निवेश	11	161.04	1.02
लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	12	1,422.80	1,165.15
अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ	13	36.49	35.49
चालू पूँजी			
चालू निवेश	14	1,329.02	753.24
मालसूचियां	15	1,380.64	1,195.80
व्यापार प्राप्तियाँ	16	142.99	138.12
नकदी एवं बैंक जमा राशियाँ	17	3,504.38	4,168.35
लघु अवधि ऋण और अग्रिम	18	525.00	515.34
अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	193.78	251.48
योग		**16,326.95**	**15,520.78**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अनुसूचियां देखें 1 . 43

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(एस एस महापात्र)
निदेशक (उत्पादन)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–313043E

(सीए. एम. बन्दोपाध्याय)
पार्टनर सदस्य सं.. 050968)

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–323220E

(सीए. जी वी जयाबाल)
पार्टनर सदस्य सं. 015616

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2013

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का लेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े
प्रचालन से राजस्व	22	6,916.48	6,611.57
अन्य आय	23	511.05	541.67
कुल राजस्व		**7,427.53**	**7,153.24**
खर्चे :			
खपत सामग्री की लागत	24	1,167.83	1,030.78
बिजली और ईंधन	25	2,432.27	2,196.68
तैयार माल की सूची में परिवर्तन बिचौलिया और कार्य प्रगति पर	26	(64.25)	2.71
कर्मचारी लाभ खर्च	27	1,153.93	1,034.54
वित्त लागत	28	7.45	0.87
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	29	505.43	466.55
अन्य खर्चे	30	1,319.83	1,201.46
कुल खर्च		**6,522.49**	**5,933.59**
असाधारण वस्तु और कर पूर्व लाभ		905.04	1,219.65
असाधारण वस्तुएं	31	-	21.90
कर पूर्व लाभ		905.04	1,197.75
टेक्स खर्च			
(1) वर्तमान कर		263.30	237.94
(2) मेट क्रेडिट एनटाइटलमेंट		-	(39.89)
(3) स्थगित कर		54.02	155.65
(4) पहले के वर्षों		(5.11)	(5.45)
लाभ/(हानि) अवधि के लिए		592.83	849.50
प्रति शेयर आय			
(क) कर उपरांत लाभ		592.83	849.50
(ख) इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (फेस वेल्यू रू 5/– प्रत्येक)		2,577,238,512	2,577,238,512
प्रति शेयर आय (रू)–मूल (क/ख)		2.30	3.30
प्रति शेयर आय (रू)– मंदित (क/ख)		2.30	3.30

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अनुसूचियां देखें 1 . 43

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(एस एस महापात्र)
निदेशक (उत्पादन)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–313043E

(सीए. एम. बन्दोपाध्याय)
पार्टनर (सदस्य सं.. 050968)

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–323220E

(सीए. जी वी जयाबाल)
पार्टनर (सदस्य सं. 015616)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2013

वर्ष 2012–13 के दौरान नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के लिए आंकड़े	
क. संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
कर और असाधारण आय से पूर्व शुद्ध लाभ		**905.04**		**1,197.75**
के लिए समायोजन				
ह्रास	505.43		466.55	
ब्याज और वित्त पोषण प्रभार	7.45		0.87	
प्रावधान (निवल)	24.99		1.29	
दावा/पुनर्प्राप्त से लेखा	1.97		2.81	
स्टोर और पुर्जो से लेखा	11.88		16.30	
लाभांश आय	(73.10)		(98.47)	
सम्पत्ति की ब्रिकी पर हानि/लाभ (निवल)	0.17		0.21	
		478.79		**389.56**
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन करने से पहले प्रचालन लाभ		**1,383.83**		**1,587.31**
समायोजन के लिए				
इनवेन्टरीज	(205.25)		(162.91)	
व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ	(75.32)		(163.39)	
व्यापार और अन्य देय	208.02		(70.26)	
		(72.55)		**(396.56)**
संचालन से नकदी सृजन		**1,311.28**		**1,190.75**
प्रत्यक्ष करों का भुगतान		(435.11)		(304.05)
असाधारण मदों से पहले नकद प्रवाह		**876.17**		**886.70**
साधारण मदें		--		--
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		**876.17**		**886.70**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल संपत्ति की खरीद	(648.93)		(758.16)	
निवेशों की	(735.80)		577.41	
म्यूचुअल फण्ड से विभाजित आय	73.10		98.47	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		**(1,311.63)**		**(82.28)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
व्याज और वित्त पोषण प्रभार	(7.45)		(0.87)	
(भुगतान)/अल्पावधि उधार की आय	-		(14.88)	
कर सहित लाभांश का भुगतान किया	(221.06)		(415.55)	
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग में लाए गए शुद्ध नकद		**(228.51)**		**(431.30)**
घ. नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**(663.97)**		**373.12**
च. नकद और नकद समकक्ष –आदि शेष		**4,168.35**		**3,795.23**
छ. नकद और नकद समकक्ष इति शेष(घ+ड़)		**3,504.38**		**4,168.35**

नोटः

क) वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अनुसूची 17 पर नकदी एवं बैंक अधिशेष नकदी और नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नकद समकक्षता है। अतः लेखा मानक 3 के पैरा 42 के तहत अपेक्षित पुनर्मिलान विवरण अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख) नकदी और नकदी समतुल्य में 526.93 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष में 415.97 करोड़) बिजली शुल्क के रूप में, रू 37.36 करोड़ गैर भुगतान लाभांश (पूर्ववर्ती वर्ष रू 3.82 करोड़) के रूप में हैं, जो कि कंपनी के उपयोग के लिए मुक्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

ग) कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कैश आउटफ्लो/इन्कम, जो भी मामला हो, है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(एस एस महापात्र)
निदेशक (उत्पादन)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–313043E

(सीए. एम. बन्दोपाध्याय)
पार्टनर (सदस्य सं.. 050968)

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–323220E

(सीए. जी वी जयाबाल)
पार्टनर (सदस्य सं. 015616)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2013

संवर्गवार सूचनाएं

(₹ करोड़ में)

	रसायन		एल्यूमिनियम		विद्युत		गैर–आवंटित सामान्य		योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
व्यवसाय क्षेत्र										
क. राजस्व										
बाह्य बिक्री	1,783.83	1,531.09	5,016.39	4,968.05	6.59	1.13	2.64	-	6,809.45	6,500.27
अंतर–संवर्ग अंतरण	1,169.05	1,124.68	-	-	1,935.87	1,975.38	-	-	3,104.92	3,100.06
कुल राजस्व	2,952.88	2,655.77	5,016.39	4,968.05	1,942.46	1,976.51	2.64	-	9,914.37	9,600.33
कम : निकासी									(3,104.92)	(3,100.06)
शुद्ध राजस्व									6,809.45	6,500.27
ख. परिणाम										
संवर्ग परिणाम	561.20	590.11	(34.19)	(16.19)	116.61	286.83	(199.26)	(182.53)	444.36	678.22
व्याज से व्यय									7.45	0.87
व्याज से आय									468.13	520.40
आय कर									312.21	348.25
शुद्ध लाभ									592.83	849.50
ग. अन्य सूचनाएं										
संवर्ग परिसम्पत्तियाँ	3,351.82	3,190.72	3,716.83	3,723.70	3,055.41	2,969.18	6,202.89	5,637.18	16,326.95	15,520.78
संवर्ग देनदारियां	504.88	484.26	513.59	543.32	1,659.93	1,423.50	812.97	505.51	3,491.37	2,956.59
पूँजीगत व्यय	146.91	1,369.79	73.13	274.56	132.15	168.76	470.33	(965.67)	822.52	847.44
मूल्य ह्रास	177.33	143.07	194.56	189.27	125.00	128.85	8.54	5.36	505.43	466.55
गैर–नकदी व्यय (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	7.15	20.87	3.64	19.02	28.04	9.13	-	1.92	38.83	50.94

भौगोलिक संवर्ग	भारत		भारत से बाहर		योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व						
बाह्य बिक्री	3,398.96	3,931.67	3,410.49	2,568.60	6,809.45	6,500.27
ख. अन्य सूचनाएं						
विभक्त परिसम्पत्तियाँ	16,201.13	15,399.82	125.82	120.96	16,326.95	15,520.78
पूँजीगत व्यय	822.52	847.44	-	-	822.52	847.44

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(सीएस के एन रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(एस एस महापात्र)
निदेशक (उत्पादन)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगस्ती एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–313043E

(सीए. एम. बन्दोपाध्याय)
पार्टनर (सदस्य सं.. 050968)

कृते सी.के. पृष्टि एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
फार्म पंजीकरण सं.–323220E

(सीए. जी वी जयाबाल)
पार्टनर (सदस्य सं. 015616

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2013

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन के मूलाधार

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी अनुमान और पूर्वानुमान लगाती है जिनसे परिसंपत्तियों और देयताओं की बताई गई राशि और विवरण तैयार करने की तारीख में आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तथा आलोच्य अवधि के दौरान राजस्व की मात्रा और व्यय प्रभावित होता है। कुछ मामलों में वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अनुमानों में किसी संशोधन को निर्धारित की जाने वाली अवधि में स्वीकार किया जाता है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची–VI की आवश्यकता का अनुपालन

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची–VI की आवश्यकता के अनुपालन में तैयार किए जाते हैं। सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची–VI में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं।

4. (क) अचल परिसंपत्तियां

4.1 सभी अचल परिसंपत्तियों का विवरण संचित मूल्यह्रास सभी संचित क्षति, यदि कोई हो, के आधार पर तैयार किया जाता है। इस लागत में अधिग्रहण संबंधी सभी व्यय, दी जाने वाले उधारी लागत और सेनवैट/वैट क्रेडिट, जहां कहीं लागू है, शामिल होंगे।

4.2 पट्टे पर दी गई भूमि सहित भूमि का विकास करने पर हुआ व्यय भूमि की लागत के भाग के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

4.3 अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहण लागत व कुल संचित ऋण चुकाने पर उल्लिखित की जाती है और उनके अनुमानित उपयोगी अवधि स्तर प्रत्यक्ष आधार पर ऋण चुकाया जाता है।

बाक्साइट खानों, ई आर पी जैसे साफ्टवेयर पैकेज के अनुप्रयोग और आर डी बी एम एस जैसे डेवलपमेंट उपकरणों और तकनीकी (आर टी ए) के लिए एन पी वी और संबंधित भुगतान सरकार को किए जान वाले भुगतान अमूर्त परिसंपत्तियां माने जाते है।

4.4 1लाख प्रति यूनिट से अधिक मूल्य के बीमा अतिरिक्त संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पंजीकृत किए जाते है।

4.5 इस्तेमाल की जाने वाली और निपटान के लिए रखी गई अचल परिसंपत्तियों को नेटबुक वैल्यू में चढ़ाया जाता है जिसमें संदेहास्पद वसूली, यदि कोई हो, और निपटान तक चालू परिसंपत्ति के लिए प्रावधान रखा जाता है।

4. (ख) मूल्यह्रास

4.1 मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनूसूची–XIV के तहत निर्धारित रीति और दरों पर दिया जाता है सिवाय कुछ परिसंपत्तियों से जुड़े मामलें जहां मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर दिया जाता है, जिन्हें निम्नलिखित परिसंपत्तियों के आधार आवधिक अनुमान के आधार पर आकलित किया जाता है।

का पृथ्वी कार्य भाग

क) एल्यूमिना रिफाईनरी में लाल मिट्टी वाला तालाब

ख) एल्यूमिना रिफाईनरी में राख तालाब

ग) कैप्टिव विद्युत संयंत्र में राख तालाब

4.2 एप्लीकेशन साफ्टवेयर से संबंधित अमूर्त परिसंपत्तियों को 3 वर्ष में परिशोधित किया जाता है और खनन अधिकारों के लिए अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन भुगतान की तारीख या नवीनीकरण की तारीख/स्वीकार की जाने वाली नवीनीकरण की तारीख, जो भी संबंधित पट्टे की तारीख के आधार पर पहले हो, से 20 वर्ष के लिये किया जाता है।

तकनीकी जानकारी अधिकार संबंधित संयंत्र और मशीनरी के उपयोगी जीवन अवधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है। मैसर्स रियो टिंटो एलकन के साथ लाइसेंस समझौते के अनुसार, लाइसेंस संबंधित संयंत्र अर्थात स्मेलटर और एल्यूमिना रिफाइनरी के पूर्ण जीवन के लिए वैध है। दोनों ही परिसंपत्ति समूह सतत प्रक्रिया संयंत्र हैं। तदनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का लाभदायक जीवनचक्र ''तकनीकी जानकारी अधिकार–आरटीए लाइसेंस'' संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लाभकारी जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

4.3 रेलवे साइडिंग्स और वैगन्स के संबंध में मूल्यह्रास सतत प्रक्रिया संयंत्र की पंक्ति में 5.28 प्रतिशत की दर से उपलब्ध करवाया जाता है।

4.4 बंदरगाह सुविधा की कुछ परिसंपत्तियां, जो बंदरगाह की जमीन पर संस्थापित की गई थी, पट्टे की शेष अवधि के आधार पर परिकलित की गई थी, की दरों के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

4.5 5,000/–रू या कम की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस वर्ष में लगाया जाता है जिस वर्ष में वे प्रयोग में थी।

4.6 जमीन पर पड़ी परिसंपत्तियां, जो कंपनी के स्वामित्व में न हों का मूल्यह्रास पांच वर्ष में किया जाता है।

4.7 संयंत्र और मशीनरी का सतत और गैर–सतत में वर्गीकरण तकनीकी राय और तदनुसार किए गए मूल्यह्रास के आधार पर किया जाता है।

4.8 मूल्य समायोजन से संबंधित समायोजन भविष्यलक्षी प्रभाव से दिया जाता है।

5. उधार–लागत

5.1 अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होने वाली सामान्य या विशिष्ट उधार–लागत जब तक परिसंपत्ति उदिष्ट प्रयोग के लिए तैयार न हो जाए, उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है।

5.2 अन्य उधार लागतें उस अवधि के लिए व्यय मानी जाती है जिस अवधि में खर्च हुई हैं।

6. क्षति

जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा लगता है कि परिसंपत्ति का मूल्य वसूलने योग्य नहीं है तो कंपनी अपने अचल परिसंपत्तियों की समीक्षा करती है। यदि परिसंपत्ति के प्रयोग से होने वाला छूट प्राप्त नकदी प्रवाह उसके वास्तविक मूल्य से कम है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है। वास्तविक मूल्य और प्रतिसंदेय मूल्य के बीच का अंतर क्षतिग्रस्त हानि मानी जाती है।

7. निवेश

7.1 जिन निवेशों को उनके निवेशित किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रोका जाता, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वगीकृत किया जाता है।

7.2 चालू निवेश लागत या उचित मूल्य जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है।

8. माल सूची

8.1 स्टोरों और अतिरिक्त उपकरणों की माल सूची का मूल्यांकन सेनवैट/वैट के आधार पर किया जाता है। लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य पर किया जाता है।

8.2 बीमा स्पेयर से इतर स्टोरों और स्पेयर जिन्हें रोक कर रखा जाता है परंतु 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जाता, का 5 प्रतिशत की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

8.3 प्राप्त की गई मात्रा के 1 प्रतिशत से कम कोयले की कमी को सामान्य हानि मानी जाती है तथा 1 प्रतिशत से अधिक हानि असामान्य हानि मानी जाती है।

8.4 उत्पादन में प्रयोग के लिए रखी गई सामग्री तथा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं (गैर–प्रगतिशील मानी गई को छोड़कर) की कीमत लागत से कम नहीं लिखी जाती हैं यदि तैयार माल जिसमें उनका समावेश किया जाना है को लागत मूल्य पर या अधिक मूल्य पर बेचे जाने की संभावना है।

8.5 अस्वीकृत माल को छोड़कर तैयार माल, अर्द्ध तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य का मूल्यांकन लागत से कम पर और शुद्ध वसूले जाने योग्य मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर सामग्री के गतिशील भारित औसत मूल्य, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ऊपरी खर्च के आधार पर किया जाता है। साधारण व्यापार में शुद्ध वसूली जाने योग्य कीमत अनुमानित विक्रय मूल्य में से अनुमानित लागत घटा लेने के बाद शेष बचती है।

अस्वीकृत माल का मूल्यांकन विगत में वसूले गए मूल्य पर या प्रत्यक्ष माल लागत के 45 प्रतिशत पर किया जाता है।

8.6 अनेक प्रकार के आंतरिक रूप से तैयार कबाड़ का मूल्यांकन अनुमानित शुद्ध वसूले जाने योग्य मूल्य पर किया जाता है।

9. सरकारी अनुदान

9.1 सरकार से प्राप्त अनुदान से अधिग्रहित अचल परिसंपत्तियों की लागत प्राप्त सहायता अनुदान को कैपिटल रिजर्व में जमा कर दर्शाया जाता है।

9.2 वर्ष के दौरान निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात पर होने वाले ड्यूटी ड्रा बैक प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किए जाते हैं और अन्य प्रचालन आय के रूप में दर्शाए जाते हैं।

9.3 ईपीसीजी लाइसेंसों के लिए उत्पादन शुल्क की रियायती दर लागू करने के कारण हुई बचत को निर्यात दायित्व के प्रति आकस्मिक देयता मानी जाती है।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देन

10.1 सभी विदेशी मुद्रा लेन–देन, लेन–देन के दिन लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किए जाते हैं।

10.2 विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत के विनिमय दर पर पुनः उल्लेख किया जाता है। पुनः उल्लेख के संबंध में अंतर के लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

10.3 फार्म वायदों से संबंधित फारवर्ड कांट्रैक्टस और उच्च संभावित अनुमान कारोबारों के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन होता है। ऐसे अनुबंधों के नवीकरण अथवा रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को अवधि के लिए आय या व्यय के तौर पर माना जाता है।

11. राजस्व की स्वीकृति

11.1 घरेलू बाजार में बिक्री को खरीदार को सामग्री भेजने के समय स्वीकार किया जाता है। निर्यात बिक्री को माल के जमीन पर उतरने के समय जारी करने पर स्वीकार किया जाता है। घरेलू बिक्री में उत्पादन शुल्क शामिल होता है और इसमें छूट और मूल्य रियायत दी जाती है।

11.2 दावे तथा ब्याज से प्राप्तियों को उनकी वसूली की निश्चितता के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

11.3 सावधि जमा पर ब्याज से आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है।

12. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

12.1 भविष्य निधि और पेंशन स्कीम के लिए अंशदान जिस अवधि में निधि के लिए अंशदान देय होता है, उससे संबंधित लाभ और हानि खाते में प्रभारित होते हैं।

12.2 उपदान, प्रोद्भवित छुट्टी दीर्घकालिक सेवा अवार्ड, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा और बंदोबस्ती लाभ, दिवंगत कर्मचारियों के वैध उत्तराधिकारियों को एन ई एफ एफ ए आर एस को सफल परियोजनाओं के मामले में इसके बाद प्रोद्भूत को बाद में पूंजीकृत और प्रगति पर पूंजी कार्य में प्रभारित किया जाता है।

12.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में यह होता है।

13. पूर्व अवधि / पूर्व भुगतान किए गए सामान

प्रत्येक मामले में 5 लाख से कम की पूर्व अवधि से संबंधित आय / व्यय को चालू वर्ष के लिए आय / व्यय माना जाता है।

14. नई परियोजनाओं से संबंधित व्यय

निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त होने तक नई संभावनायुक्त परियोजनाओं के कारण होने वाला व्यय राजस्व से प्रभारित किया जाता है।

15. अनुसंधान और विकास पर व्यय

अनुसंधान चरण के दौरान प्रोद्भूत व्यय राजस्व में प्रभारित किया जाता है। जब ऐसे अनुसंधान से कोई अमूर्त परिसंपत्ति अर्जित नहीं होती, पूंजी प्रकृति से इतर विकास व्यय वर्ष में लाभ और हानि के विवरण प्रभारित किया जाता है जो आनुषांगिक आय, यदि कोई हो, की सेटिंग के बाद होता है।

16. विशेष मदें

विशेष मदें आय और व्यय की वे मदें है जो ऐसे आकार, प्रकृति या घटना से घटित होती हैं जिनका प्रकटन करना आवश्यक है।

17. आस्थगित कर

17.1 आस्थगित कर व्यय या लाभ किसी कर योग्य आय, और ऐसे लेखांकन आय जो किसी एक अवधि में शुरू होकर बाद के एक या अधिक अवधि में जाता है, के बीच का अंतर है।

17.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना अधिनियमित या बाद में तुलन पत्र द्वारा व्यवस्था किए जाने वाले कर दरों और कर विधियों का प्रयोग कर की जाती है।

18. खंड के बारे में रिपोर्टिंग

18.1 कंपनी ने रसायन एल्यूमीनियम और बिजली को तीन प्राथमिक व्यापारिक खंड माना है। रसायन (केमिकल) में कैलसाइन्ड एल्यूमीनियम, एल्यूमीना हाइड्रेट और अन्य संबद्ध उत्पाद शामिल होते हैं। एल्यूमीनियम में एल्यूमीनियम इनगोट्स वायर रॉड, बिलेट, स्ट्रिप, रोल तथा अन्य संबद्ध उत्पाद शामिल होते हैं। एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित बाक्साइट रसायनों में शामिल है। पवन ऊर्जा संयंत्र मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से चालू किये गये हैं। इन्हें गैर आबंटित सामान्य खण्ड के अंतर्गत रखा जाता है।

18.2 भारत और भारत से बाहर दो भौगोलिक खंड है। चूंकि सभी प्रकार के उत्पादन और अन्य सुविधाएं भारत में स्थित है इसलिए निर्यात लेनदारों को छोड़कर खंड परिसंपत्तियों को एक भौगोलिक खंड अर्थात भारत में दर्शाया जाता है।

18.3 सकल अचल परिसंपत्तियों पर निवेश के 15.50ः प्रतिशत जमा भाड़ा और लागत वाली अवधि के दौरान कैलसाइंड एल्यूमीना का अंतर यूनिट अंतरण निर्यात बिक्री में कम औसत मूल्य पर माना जाता है। बिजली के लिए ग्रिडको को औसत बिक्री मूल्य से कम और सकल स्थाई परिसंपत्तियों पर निवेश पर लागत जमा 15.50 प्रतिशत की वापसी को अंतर मूल्य के लिए विचारित किया गया है।

18.4 प्रचालन गतिविधियों के साथ संबंध के आधार पर खंडों के राजस्व और व्यय को चिन्हित किया गया है। राजस्व व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो समग्र रूप में उद्यम से संबंधित होती है और तार्किक आधार पर आबंटित नहीं की जाती हैं, अनाबंटित सामान्य खंड में शामिल किए गए है।

19. संयुक्त उद्यम

19.1 निवेश के लिए लेखांकर, लेखांकन मानदंड (एएस) 13 के अनुरूप संयुक्त नियंत्रित संस्थान में ब्याज की गणना निवेश हेतु की गई है।

19.2 संयुक्त नियंत्रित परिसंपत्ति में ब्याज को परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप वर्गीकृत और प्रकटित किया जाता है।

20 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

20.1 कोई प्रावधान उस स्थिति में मान्य होता है जब पिछले कारणों से वर्तमान दायित्व हों और संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में संसाधन आवश्यक हो तथा उनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। प्रत्येक वर्ष के अंत में इनकी समीक्षा की जाती है तथा सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

20.2 सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों से भुगतान की जाने वाली / प्राप्त की जाने वाली राशि के कारण राशि के संबंध में प्रावधान किया जाता है। वापस लिखा जाता है।

20.3 आकस्मिक देयता के संबंध में उस स्थिति में प्रकटन किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व हो या ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संभवतः अधिक संसाधन आवश्यक नहीं होंगे।

20.4 यदि कोई संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो और संसाधनों की अधिकता की संभावना कम हो तो किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जाता और न ही आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन किया जाता है।

20.5 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े
नोट 1 : शेयर पूँजी		
शेयर पूँजी		
इक्विटी शेयर पूँजी		
अधिकृत		
₹ 5/- प्रत्येक के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष ₹ 5/- प्रत्येक के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
निर्गत अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
₹ 5/- प्रत्येक के 2,57,72,38,512 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त		
(पिछले वर्ष ₹ 5/- प्रत्येक के 2,57,72,38,512 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	1288.62	1288.62

क) कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों में भारत सरकार के 208,90,59,622 इक्विटी शेयर (81.06 प्रतिशत) हैं। पिछले वर्ष 224,59,98,540 (87.15 प्रतिशत) इक्विटी शेयर।

ख) वर्ष 2012–13 में भारत द्वारा विनिवेश के उपरांत, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी की इक्विटी शेयरों की धारिता 15,52,66,579 (6.02 प्रतिशत), पिछले वर्ष 8,38,16,579 (3.25 प्रतिशत).

ग) इक्विटी शेयर के धारकों को समय–समय पर यथा घोषित लाभांश प्राप्त होता है और कंपनी की बैठकों में प्रति शेयर एक वोट के हकदार होते हैं।

घ) वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, कंपनी ने पूर्ण भुगतान बोनस शेयरों के तौर पर 128,86,19,256 इक्विटी शेयर जारी किए। उक्त वर्ष में बोनस इश्यू शेयरों को उनकी प्रत्येक की फेस वैल्यू रु. 10/– को रु. 5/– प्रत्येक के दो इक्विटी शेयरों में तोड़ने के बाद किया गया। उक्त बोनस इश्यू के अलावा कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई भी इक्विटी शेयर जारी/पुनर्खरीद नहीं की है।

नोट 2 : आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि		पिछले समीक्षाधीन अवधि
क आरक्षित पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुरूप	0.35		0.42	
घटाएं : सब्सिडी रिजर्व में अंतरित	0.35		-	
घटाएं : अधिशेष में अंतरित	-		0.07	
इति शेष		**-**		**0.35**
ख सामान्य आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुरूप	10,419.90		9,869.90	
जोड़े : अधिशेष में अंतरित	220.00		550.00	
इति शेष		**10,639.90**		**10,419.90**
ग अधिशेष				
- वर्ष के शुरूआत में शेष	6.21		5.67	
- जोड़े : कर उपरांत वर्ष के लिए लाभ लाभ और हानि के विवरण से अंतरित	592.83		849.50	
- जोड़े : आरक्षित पूँजी से अंतरित			0.07	
- घटाएं : सामान्य रिजर्व में अंतरित	220.00		550.00	
- घटाएं : अंतरिम लाभांश #	193.29		231.95	
- घटाएं : अंतरिम लाभांश पर कर	31.36		37.63	
- घटाएं : अंतिमप्रस्तावित लाभांश #	128.86		25.77	
- घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	21.90		3.68	
इति शेष		**3.63**		**6.21**
घ) अन्य रिजर्व				
सब्सिडी रिजर्व				
- पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
- जोड़ें : आरक्षित पूंजी से अंतरित	0.35		-	
- घटाएं : अवमूल्यन में अंतरित	0.05		-	
इति शेष		**0.30**		**-**
कुल :		**10,643.83**		**10,426.46**

अनुसूची–40 को संदर्भ में लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 3 : आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)				
आस्थगित कर देयता :				
कर मूल्यह्रास का अंतर				
बुक मूल्यह्रास पर		**1,121.14**		**1037.15**
घटाएं : स्थगित कर सम्पत्ति				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43/बी के तहत निषेध	106.16		78.81	
एस ए 15 अनुरूप सेवा निवृत्ति लाभ पर खर्च	74.65		80.12	
संदिग्ध ऋण के लिए दावा और प्रावधान के लिए प्रावधान	37.20		29.11	
इति शेष		**218.01**		**188.04**
योग :		**903.13**		**849.11**
नोट 4 : अन्य लंबी अवधि देयताएं				
व्यापर देय		**30.10**		**12.17**
अन्य देयताएं				
पूंजीगत व्यय के लिए देय	7.19		5.35	
अन्य	33.53		23.89	
उप योग :		**40.72**		**29.24**
योग :		**70.82**		**41.41**
नोट 5 : लंबी अवधि के प्रावधान				
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :				
अवकाश नकदीकरण	173.07		184.75	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	5.51		8.23	
सेवा निवृत्ति लाभ	6.44		11.12	
लंबी सेवा के लिए पुरस्कार	11.53		15.20	
एनईएफएफएआरएस	12.07		18.99	
योग :		**208.62**		**238.29**
नोट 6 : व्यापार देयताएं				
व्यापार देय				
मध्यम एवं लघु उद्यम #		0.85		0.78
अन्य		502.71		425.12
योग :		**503.56**		**425.90**

नोट - 39 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आकड़े	
नोट 7 : अन्य चालू देनदारियां					
देय कर्मचारी लाभ			194.68		294.76
सांविधिक देनदारी					
उत्पाद शुल्क		10.75		11.76	
विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज		1,092.26		927.17	
पानी प्रभार और उस पर ब्याज		329.15		268.08	
आय कर (टीडीएस और टीसीएस)		20.62		18.58	
अन्य		13.45		11.82	
	उप योग :		1,466.23		1,237.41
पूँजीगत व्यय के लिए लेनदार			629.06		457.33
ग्राहक क्रेडिट शेष और					
ग्राहकों से अग्रिम			115.79		140.30
नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व ##			39.87		20.29
अन्य भुगतान			62.71		52.10
अदत्त लाभांश			37.36		3.82
योग :			2,545.70		2,206.01

नोट - 36 को संदर्भ में लें

नोट 8 : अल्पावधि प्रावधान					
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :					
उपदान		-		5.21	
अवकाश नकदीकरण		3.74		3.37	
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		0.20		0.30	
सेवानिवृत्ति लाभ		0.47		0.67	
लंबी सेवा पुरस्कार		0.06		0.09	
एनईएफएफएआरएस		6.54		4.23	
	उप योग :		**11.01**		**13.87**
अन्य :					
सम्पत्ति कर के लिए प्रावधान		0.90		1.16	
लाभांश के लिए प्रावधान		128.86		25.77	
लाभांश के लिए कर प्रावधान		21.90		4.18	
	उप योग :		**151.66**		**31.11**
योग :			**162.67**		**44.98**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

नोट 9 : अचल परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2012 को	वृद्धि / समायोजन	कटौती	31.03.2013 को	01.04.2012 को	वर्ष के दौरान	कटौती	31.03.2013 को	31.03.2013 को	31.03.2012 को
अ. गोचर परिसंपत्ति										
भूमि										
फ्री होल्ड	73.31	0.10	-	73.41	-	-	-	-	73.41	73.31
लीज	5.88	2.40	-	8.28	1.96	0.09	-	2.05	6.23	3.92
इमारतें	974.91	28.28	-	1,003.19	363.84	28.57	-	392.41	610.78	611.07
रेलवे साइडिंग	73.48	8.78	-	82.26	59.98	1.15	-	61.13	21.13	13.50
संयत्र और उपकरणों	12,185.47	468.60	(1.01)	12,653.06	6,481.30	454.70	(0.96)	6,935.04	5,718.02	5,704.17
फर्नीचर एवं फिक्चर	26.27	1.80	(0.55)	27.52	18.52	1.14	(0.50)	19.16	8.36	7.75
गाड़ियाँ	45.64	3.32	(3.16)	45.80	28.31	3.12	(3.00)	28.43	17.37	17.33
कार्यालय उपकरणों	41.90	2.45	(1.10)	43.25	27.49	3.34	(1.01)	29.82	13.43	14.41
फुटकर उपकरणों	98.99	5.96	(0.33)	104.62	45.49	4.29	(0.23)	49.55	55.07	53.50
योग :	**13,525.85**	**521.69**	**(6.15)**	**14,041.39**	**7,026.89**	**496.40**	**(5.70)**	**7,517.59**	**6,523.80**	**6,498.96**
ख. अगोचर परिसंपत्ति										
सॉफ्टवेयर	10.77	0.81	-	11.58	7.36	2.88	-	10.24	1.34	3.41
खनन अधिकार	107.30	-	-	107.30	11.19	5.37	-	16.56	90.74	96.11
लाइसेंस और फ्रेंचाइजी	14.70	-	-	14.70	0.83	0.86	-	1.69	13.01	13.87
कुल अगोचर परिसंपत्तियाँ :	**132.77**	**0.81**	**-**	**133.58**	**19.38**	**9.11**	**-**	**28.49**	**105.09**	**113.39**
महायोग	**13,658.62**	**522.50**	**(6.15)**	**14,174.97**	**7,046.27**	**505.51**	**(5.70)**	**7,546.08**	**6,628.89**	**6,612.35**
महायोग (पिछले वर्ष)	**12,076.15**	**1,586.05**	**(3.58)**	**13,658.62**	**6,582.62**	**466.59**	**(2.94)**	**7,046.27**	**6,612.35**	**5,493.53**

नोट :

1. संचयी हानि में भवनों और संरचनाओं की संचयी मूल्य में कमी रु. 6.14 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 6.76 करोड़) शामिल है।
2. संयंत्रों और उपस्कारों में अवमूल्यन के संचयी मूल्य में सम्मिलित प्रावधान रु. 37.62 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 41.04 करोड़) है।
3. भवनों और संचनाओं में अवमूल्यन में हानि प्रावधान रु. 3.42 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 3.426 करोड़) शामिल है।
4. संयंत्रों और उपस्करों में विमूल्यन में सम्मिलित हानि प्रावधान रु. 3.42 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 35.61 करोड़) शामिल है।
5. सकल ब्लॉक में कंपनी के गैर–स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पूंजी व्यय (पूर्ण ह्राश) शामिल है।
   क) इमारतें रु. 6.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 6.32 करोड़)
   ख) रेलवे साईडिंग रु. 2.26 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2.26 करोड)
   ग) संयंत्र और उपकरणों रु. 16.18 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 16.18 करोड)
6. 64.15 एकड़ भूमि क्षेत्र को छोड़कर, राज्य सरकार के जरिए अर्जित भूमि के फ्रीहोल्ड के लिए टाइटल डीड निष्पादित की गई है। फ्रीहोल्ड भूमि के औद्योगिक इस्तेमाल हेतु कन्वर्जन की प्रक्रिया राजस्व प्राधिकारियों के साथ आरंभ कर दी गई है।
7. लीज़होल्ड भूमि में 1454.03 एकड़ भूमि शामिल है जिसके संबंध में लीज़होल्ड डीडस अभी निष्पादित की जानी है। लेकिन कंपनी को राज्य सरकार ने उक्त भूमि पर अपने प्रचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है।
8. कोलकाता में रु. 5.50 करोड़ मूल्य की कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण से खरीदी गई 6459 वर्गफुट कार्यालय परिसर के संबंध में पंजीकरण की औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 10 : पूँजीगत कार्य प्रगति पर				
पूँजीगत चालू कार्य लागत #	714.86		493.22	
निर्माण सामग्रियां, ट्रांजिट में (लागत पर) सहित	200.63		109.95	
आबंटन लंबित निर्माण के दौरान व्यय (नोट 10.1)	86.43		81.27	
योग :		**1,001.92**		**684.44**
नोट 10.1				
निर्माण के दौरान व्यय				
लंबित आवंटन (आदि शेष)		**81.27**		**218.86**
जोड़े : वर्ष के दौरान व्यय				
तकनीकी परामर्श शुल्क और नो हाउ	6.35		27.80	
स्टार्टअप एण्ड कमीशनिंग	-		35.08	
दूसरे खर्चे	11.20		9.71	
मूल्यह्रास	0.03		0.04	
	17.58		**72.63**	
घटाएं : वर्ष के दौरान आय				
परीक्षण प्रचालन से आय	-		8.70	
वर्ष के दौन निवल व्यय		**17.58**		**63.93**
कुल व्यय		**98.85**		**282.79**
घटाएं : अचल परिसंपत्तियों के लिए आबंटन		12.42		201.52
अग्रेषित शेष		**86.43**		**81.27**

संयुक्त नियंत्रित रु. 8.13 करोड़ की परिसंपत्तियां सम्मिलित (संदर्भ नोट–38)

नोट 11 : गैर चालू निवेश

	यूनिटों की संख्या in '000		यूनिटों की संख्या in '000	
व्यापार निवेश और अनद्धृत				
इक्विटी निवेश				
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में इक्विटी शेयर		0.03		0.03
एक्सेल सर्विस लि. में इक्विटी शेयर		*		*
संयुक्त उद्यम में निवेश (नोट 43 का संदर्भ लें)				
(रु. 10 प्रत्येक का फेस मूल्य)				
एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमिटेड में इक्विटी शेयर	990	0.99	990	0.99
एनपीसीआईएल–नालको पावर कंपनी लिमि.		0.02		-
अन्य निवेश एवं उद्धृत				
म्यूचुअल फण्ड में निवेश				
(प्रत्येक रु. 10/– की फेस वेल्यू)				
एसडीएफएस 14 माह–सीरीज–1	15,000	15.00	-	-
एलआईसी नामुरा एफएमपी सीरिज–56–18 माह–ग्रोथ	45,000	45.00	-	-
यूटीआई–एफटीआईएफ सीरिज–गपअ.अपपप–371 दिन प्रत्यक्ष ग्रोथ योजना	100,000	100.00	-	-
योग :		**161.04**		**1.02**
उद्धृत निवेश की कुल राशि		160.00		-
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य की कुल राशि		160.92		-
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि		1.04		1.02

*राशि एक लाख से कम है.

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 12 : लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम					
अग्रिम पूँजी					
असुरक्षित, अच्छा माना हुआ #		303.30		320.75	
संदिग्ध		0.26		0.26	
घटाएं : संदिग्ध वास्तविकीकरण के लिए भत्ते		0.26		0.26	
	उप योग :		**303.30**		**320.75**
अन्य ऋण और अग्रिम					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना हुआ		50.80		29.68	
असुरक्षित, अच्छा माना हुआ		50.58		7.93	
	उप योग :		**101.38**		**37.61**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना हुआ			**0.08**		-
जमा (विवादित, असुरक्षित, अच्छा माना हुआ)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि		19.14		14.22	
आयकर प्राधिकारी		131.08		108.50	
अन्य सरकारी प्राधिकारी		233.19		236.15	
अन्य		6.37		5.54	
		389.78		**364.41**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, अच्छा माना हुआ)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि		205.12		188.89	
आयकर प्राधिकारी		421.61		251.96	
अन्य		1.53		1.53	
		628.26		**442.38**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, अच्छा माना हुआ)					
अन्य		0.24		1.93	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.24		1.93	
		-		-	
	उप योग :		**1,018.04**		**806.79**
	योग :		**1,422.80**		**1,165.15**

#कंपनी ने गुजरात राज्य में जीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट की आपूर्ति के साथ एल्यूमिना रिफाईनरी और एल्यूमिनियम स्मेलटर की स्थापना हेतु नई परियोजना के लिए बोली लगाते समय अग्रिम भुगतान के तौर पर गुजरात खनिज विकास निगम लिमि. (जीएमडीसी) को रु. 151/– करोड़ का भुगतान किया है।

नोट 13 : अन्य गैर चालू सम्पत्तियां					
लंबी अवधि की व्यापार प्राप्तियां					
संदिग्ध		38.95		38.95	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		38.95		38.95	
	उप योग :		-		-
ब्याज पर जमा					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना हुआ		33.54		35.02	
असुरक्षित, अच्छा माना हुआ		2.95		0.47	
	उप योग :		**36.49**		**35.49**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, अच्छा माना हुआ		*		-	
	उप योग :		*		-
योग:			**36.49**		**35.49**

* राशि एक लाख से कम है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 14 : वर्तमान निवेश				
	इकाईयों में '000		**इकाईयों में '000**	
म्यूचुअल फण्ड में निवेश (फेस वेल्यू रू 10 प्रत्येक)				
कैनरा रोबेको इंटरवल सीरीज 2 तिमाही योजना			25,000	25.00
एलआईसीएन एमएफ इंटरवल फंड सीरिज–1 तिमाही लाभांश योजना–I			10,000	10.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज–90 दिन–56–लाभांश			10,000	10.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज–90 दिन–60–लाभांश			50,000	50.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज–90 दिन–54–लाभांश			18,000	18.00
यूटीआई एफआईआईएफ–सीरीज 2 क्यूआईपी IV			15,000	15.00
यूटीआई एफआईआईएफ–सीरीज 2 क्यूआईपी VII			15,000	15.00
यूटीआई एफआईआईएफ–सीरीज 2 क्यूआईपी VII			240.82	0.24
(तुलन पत्र की तिथि 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ दीर्घावधि निवेश)				
एलआईसी एनओएमयुआरए एमएफ एफएमपी सीरीज 52.367 दिन – जीआर			50,000	50.00
आईडीबीआई एफएमपी–370 दिन सीरीज 72 (मार्च 12) सी			25,000	25.00
आईडीबीआई एफएमपी–370 दिन सीरीज 72 (मार्च 12) डी			15,000	15.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज 367 दिन –13– जीआर			30,000	30.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज 367 दिन –16– जीआर			50,000	50.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज 370 दिन –11– जीआर			50,000	50.00
एसबीआई डेब्ट फण्ड सीरीज 367 दिन –18– जीआर			100,000	100.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज X प्लान – VI (368 दिन)			25,000	25.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज X प्लान – VIII (368 दिन)			100,000	100.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XI प्लान – III (368 दिन)			50,000	50.00
एसबीआई एसडीएफएस 18 माह सीरीज–5			10,000	10.00
एसबीआई एसडीएफएस 13 माह सीरीज–11			25,000	25.00
यूटीआई एमएफ वाईएफएमपी 03/11 (396 दिन)			30,000	30.00
कैनरा रोबेको एफएमपी–13–सीरीज–6बी			50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XI प्लान– VIII	75,000	75.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XI प्लान– IX	40,000	40.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XI प्लान– X	50,000	50.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XII प्लान– I	80,000	80.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XII प्लान– II	5,000	5.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XII प्लान– IV	50,000	50.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XII प्लान– IX	20,000	20.00	-	-
यूटीआई एफआईआईएफ सीरीज III वार्षिक अंतराल योजना–खुदरा विकल्प–विकास	26,471	40.00	-	-
यूटीआई–एफटीआईएफ सीरीज–XIV-II-366 दिन प्रत्यक्ष ग्रोथ योजना–यू2–जी1	40,000	40.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 1	150,000	150.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 2	25,000	25.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 3	75,000	75.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 4	20,000	20.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 5	75,000	75.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 6	35,000	35.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 8	30,000	30.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 11	20,000	20.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 12	25,000	25.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 15	20,000	20.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 18	50,000	50.00	-	-
एसबीआई–एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज 22	60,000	60.00	-	-
आईडीबीआई–एफएमपी सीरीज–III–367 दिन–ए	25,000	25.00		
आईडीबीआई–एफएमपी सीरीज–III–367 दिन–ए	25,000	25.00		
एलआईसीएन–एफएमपी सीरीज 52–367 दिन–ग्रोथ प्लान–वी2	50,000	50.00		
एलआईसीएन–इंटरवल फंड वार्षिक योजन सीरीज–1	14,000	14.00		
एलआईसीएन–एफएमपी सीरीज 53–367 दिन–विकास	25,000	25.00		
एलआईसीएन–इंटरवल फंड तिमाही योजना सीरीज–1	10,000	10.00		
एलआईसीएन–एफएमपी सीरीज–54–375 दिन–प्रत्यक्ष योजना–वी4–जी1	45,000	45.00		

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 14 : वर्तमान निवेश जारी...				
एलआईसीएन–एफएमपी सीरिज–61–365 दिन प्रत्यक्ष विकास योजना–एस1–जी–1	30,000	30.00		
यूनियन केबीसी	10,000	10.00		
म्यूचुअल फंडस में निवेश (फेस वेल्यू रु. 1000.600 प्रत्येक)				
एसबीआई म्यूचुअल फंड लिक्विड	1,100	110.02	-	-
योग		**1,329.02**		**753.24**
उद्घृत निवेश की कुल राशि		1,329.02		753.24
उद्घृत निवेश बाजार मूल्य की कुल राशि		1,410.73		776.21
नोट 15 : वस्तु सूचियाँ				
कच्चा माल	94.23		101.79	
जोड़े :ट्रांसिट में	38.83		23.63	
		133.06		**125.42**
कार्य प्रगति पर	186.29		166.35	
मध्यस्थ उत्पाद	115.58		104.48	
तैयार माल	202.84		169.63	
		504.71		**440.46**
भण्डार और कलपूर्जे	442.74		407.94	
जोड़ें: मार्गस्थ में	69.45		35.16	
		512.19		**443.10**
कोयला और ईंधन	191.21		169.34	
जोड़ें: मार्गस्थ में	39.47		17.48	
		230.68		**186.82**
योग :		**1,380.64**		**1,195.80**
नोट 16 : व्यापार देयताएं				
असुरक्षित, अच्छा माना हुआ				
- देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया राशि	-		-	
- अन्य	142.99		138.12	
योग :		**142.99**		**138.12**
नोट 17 : नकद और बैंक जमाराशियां				
नकद और नकद समकक्ष				
बैंको के साथ शेष				
चालू खाते में	112.70		3.18	
टिकटों सहित नकद राशि हाथ में	0.19		0.17	
उप योग :		**112.89**		**3.35**
अन्य बैंक शेष				
अदत्त लाभांश खाता*	37.36		3.82	
3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	2,783.00		3,701.00	
कोर्ट आदेश के अनुयार सावधि जमा#	469.26		429.55	
कोर्ट आदेश के अनुसार निलंब जमाएं #	101.87		30.63	
उप योग :		**3,391.49**		**4,165.00**
योग:		**3,504.38**		**4,168.35**

*निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए वर्तमान वर्ष के अंत में देय राशि (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य).
#कोर्ट आदेश के अनुसार विवादित बिजली शुल्क के लिए रू 526.93 करोड़ (पिछले वर्ष रू 415.97 करोड़) सम्मिलित।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

नोट 18 : लघु अवधि के लिए ऋण और अग्रिम

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
अन्य ऋण और अग्रिम					
सुरक्षित अच्छा माना हुआ					
- कर्मचारियों को ऋण			**11.79**		**8.87**
असुरक्षित अच्छा माना हुआ					
- कर्मचारियों को ऋण		12.36		4.73	
- कर्मचारियों को अग्रिम		81.65		80.13	
- विक्रेताओं को अग्रिम		120.36		142.85	
- वैट क्रेडिट प्राप्य		12.27		13.41	
- कैनवेट क्रेडिट प्राप्य		137.51		105.66	
- अग्रिम आयकर (प्रावधान का निवल)		51.24		27.82	
- मेट क्रेडिट पात्रता		-		39.89	
- सीमा शुल्क से प्राप्य दावे उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकरण		3.06		3.25	
- पूर्व दत्त व्यय		4.13		1.63	
- अन्य		90.63		87.10	
	उप योग :		**513.21**		**506.47**
असुरक्षित, संदिग्ध माना हुआ					
- कर्मचारियों को अग्रिम		0.01		0.01	
- बिक्रेताओं को अग्रिम		2.33		2.42	
- वैट क्रेडिट प्राप्य		25.07		-	
- सीमा शुल्क से प्राप्य दावे उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकरण		1.15		1.05	
- अन्य		3.52		1.95	
		32.08		5.43	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		32.08		5.43	
	उप योग :		-		-
योग :			**525.00**		**515.34**

नोट 19 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण		वर्तमान		पिछले	
पर उपार्जित ब्याज					
असुरक्षित, अच्छा माना गया					
बैंक जमा		125.47		167.18	
कर्मचारियों को ऋण		0.54		0.49	
अन्य ऋण और अग्रिम		0.16		0.17	
असुरक्षित, अच्छा माना हुआ		126.17		167.84	
कर्मचारियों को ऋण		3.56		2.57	
	उप योग :		**129.73**		**170.41**
निर्यात प्रोत्साहन दावे		-	**34.15**		**61.02**
जमा सोने के सिक्के			**0.06**		**0.06**
गैर व्यापार प्राप्तियां					
असुरक्षित, अच्छा माना गया		0.98		0.97	
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया		0.14		0.06	
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.14		0.06	
	उप योग :		**0.98**		**0.97**
बीमा दावा		11.01		10.02	
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		7.73		7.84	
	उप योग :		**3.28**		**2.18**
स्कैप्स और गैर सर्विस योग्य सामग्री		25.21		15.92	
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.16		0.16	
	उप योग :		**25.05**		**15.76**
निपटान की प्रतीक्षा में अचल परिसंपत्तियां		4.86		5.34	
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		4.33		4.26	
	उप योग :		**0.53**		**1.08**
योग:			**193.78**		**251.48**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े
नोट 20 : आकस्मिक देयताएं प्रदान नही कि गए		
ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नही :		
1. बिक्रीकर	534.81	470.37
2. उत्पाद शुल्क	169.17	112.68
3. सीमा शुल्क	0.92	0.62
4. ठेकेदार आपूर्तिकर्ता व अन्य के दावे	185.83	98.90
5. भूमि अधिग्रहण और उन पर ब्याज	49.30	47.89
6. आयकर और संपत्ति कर	486.19	361.61
7. प्रवेश कर और रोड टेक्स	147.92	110.09
8. कर्मचारी राज्य बीमा	0.32	0.40
9. भविष्यनिधि आयुक्त	0.08	-
10. रॉयल्टी	0.48	0.48
11. एनपीवी और खनन पट्टे के अधीन संबधित खर्च	106.71	106.04
योग :	**1,681.73**	**1,309.08**

नोट 21 : पूंजी एवं अन्य वायदे

क) पूंजी वायदे		
1. पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित राशि जो निष्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है।	556.16	498.18
ख) अन्य वायदे		
1. कंपनी ने भारत सरकार को निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना के तहत मात्रा निर्यात पूरा करने की योजना के तहत रियायती शुल्क दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है। योजना के तहत मात्रात्मक निर्यात को पूरा करने के लिए रु. 105.06 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 274 करोड़) के शुल्क की बचत हुई।	1,017.65	2,195.00
2. कंपनी ने पूर्व में स्थापित वेल्लित उत्पाद इकाई, जो कि 15.5.2007 को बंद हो गई, के लिए 100 प्रतिशत ईओयू के तौर पर ईपीसीजी लाइसेंस के जरिए रियायती शुल्क दरों का लाभ लिया है (पिछले वर्ष रु. 27.83 करोड़ का शुल्क बचाया)	-	223.00
योग :	**1,573.81**	**2,916.18**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 22 : प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री				
(i) निर्यात :				
एल्यूमिना	1,686.91		1,420.33	
एल्यूमिनियम	1,723.58		1,148.27	
	3,410.49		2,568.60	
(ii) घरेलू :				
एल्यूमिना	109.05		122.44	
एल्यूमिनियम	3,718.40		4,234.76	
बिजली	9.23		1.13	
	3,836.68		4,358.33	
कारोबार (सकल)	**7,247.17**		**6,926.93**	
(iii) घटाएं: उत्पाद कर				
एल्यूमिना	12.13		11.66	
एल्यूमिनियम	425.59		415.00	
	437.72		**426.66**	
उप योग: कारोबार (निवल)		**6,809.45**		**6,500.27**
अन्य प्रचालन राजस्व				
(i) निर्यात प्रोत्साहन				
एल्यूमिना	70.32		76.56	
एल्यूमिनियम	33.40		28.12	
	103.72		104.68	
(ii) आंतरिक रूप से विनिर्मित स्वयं की वस्तुओं का उपयोग/पूंजीकृत	3.31		6.62	
उप योग :		**107.03**		**111.30**
योग :		**6,916.48**		**6,611.57**

नोट 23: अन्य आय

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
आय पर ब्याज *				
बैंक जमा	378.58		414.09	
कर्मचारियों को ऋण	6.32		3.05	
आयकर रिफंड पर ब्याज	6.60		-	
अन्य	3.53		4.79	
उप योग :		**395.03**		**421.93**
निवेश पर आय :				
शुद्ध लाभ (हानि), पर				
लाभांश योजना में निवेश	11.01		6.90	
लघु अवधि के निवेश	4.55		19.02	
लंबी अवधि के निवेश	57.54		72.55	
उप योग:		**73.10**		**98.47**
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन एवं ट्रांजैक्शन पर निवल लाभ/(हानि)		**6.60**		**0.69**
जनरल स्क्रेप आय		**19.30**		**11.80**
विविध आय		**18.09**		**8.78**
पूर्ववर्ती वर्षों से जुड़ा समायोजन		**(1.07)**		**-**
योग :		**511.05**		**541.67**

*स्रोत पर आयकर कटौती रु. 36.49 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 41.65 करोड़) सम्मिलित

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े			पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		
नोट 24 : खपत की गई सामग्री की लागत						
कच्चा माल	मात्रा(एमटी)			मात्रा(एमटी)		
कास्टिक सोडा	157,674	467.44		144,631	370.40	
सी.पी. कोक	156,163	393.07		159,969	428.36	
सी.टी. पिच	37,445	163.66		36,634	120.30	
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	7,463	71.51		8,279	62.36	
चूना	57,946	40.40		44,845	27.79	
अन्य		31.75			27.07	
उप योग :		1,167.83			1,036.28	
पिछले वर्ष का समायोजन	-			(5.50)		
योग :			**1,167.83**			**1,030.78**
नोट 25 : विद्युत एवं ईंधन						
कोयला		1,325.54			1,171.71	
ईंधन तेल		809.65			744.66	
अपनी पीढ़ी पर ड्यूटी		135.71			138.01	
स्व–सृजन पर शुल्क		152.84			136.14	
खरीदी गई विद्युत		4.34			4.39	
उप योग :		2,428.08			2,194.91	
विद्युत पारेषण शुल्क						
इससे पिछले वर्ष का समायोजन		4.19			1.77	
योग :			**2,432.27**			**2,196.68**
नोट 26 : तैयार माल की सूचियां, बिचौलियो, और प्रगति अधीन कार्य में परिवर्तन						
तैयार माल						
शुरूआती स्टॉक	बेसिक	उत्पाद कर सम्मिलित		बेसिक	उत्पाद कर सम्मिलित	
बॉक्साइट	14.96	-		25.25	-	
रसायन	94.33	2.79		81.20	6.49	
एल्यूमिनियम	48.90	8.65		90.91	10.87	
	158.19	11.44		197.36	17.36	
घटाएं : क्लोजिंग स्टाक						
बॉक्साइट	8.92	-		14.96	-	
रसायन	129.46	5.14		94.33	2.79	
एल्यूमिनियम	51.46	7.86		48.90	8.65	
	189.84	13.00		158.19	11.44	
(अभिवृद्धि)/रिक्तिकरण	(31.65)	(1.56)	**(33.21)**	39.17	5.92	**45.09**
निवल (अभिवृद्धि)/रिक्तिकरण– (क)			**(33.21)**			**45.09**
मध्यस्थों						
शुरूआती स्टॉक						
अनोड्स	88.44			94.79		
अन्य	16.04			7.38		
	104.48			102.17		
घटाएं : शुरूआती स्टॉक						
अनोड्स	112.41			88.44		
अन्य	3.17			16.04		
	115.58			104.48		
(अभिवृद्धि)/रिक्तिकरण	(11.10)		**(11.10)**	(2.31)		**(2.31)**
अन्य समायोजन			**-**			**0.05**
शुद्ध अभिवृद्धि (–) रिक्तिकरण – (ख)			**(11.10)**			**(2.26)**
कार्य प्रगति पर						
शुरूआती स्टॉक	166.35			117.53		
घटाएं : क्लोजिंग स्टॉक	186.29			166.35		
(अभिवृद्धि)/रिक्तिकरण	(19.94)		**(19.94)**	(48.82)		**(48.82)**
अन्य समायोजन			**-**			**8.70**
शुद्ध (अभिवृद्धि)/रिक्तिकरण– (ग)			**(19.94)**			**(40.12)**
योग (क+ख+ग) :			**(64.25)**			**2.71**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 27 : कर्मचारी लाभ खर्च				
वेतन और मजदुरी	919.53		891.86	
भविष्य, पेंशन और उपदान निधि के लिए अंशदान	190.30		101.94	
कर्मचारी कल्याण खर्च	44.10		40.78	
	1,153.93		1,034.58	
इससे पहले वर्ष से संबधित समायोजन	-		(0.04)	
योग :		**1,153.93**		**1,034.54**

ऊपर टिप्पणी: 27 में दीर्घावधि कर्मचारी लाभ दायित्व एएस–15 के अनुरूप)

	उपदान	छुट्टी नकदी–करण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ	छुट्टी यात्रा लाभ	एनईएफ–एफआर योजना	लंबी सेवा ईनाम
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि :							
काम का वर्तमान मूल्य	**273.92**	**176.81**	**5.71**	**6.91**	**-**	**18.61**	**11.59**
	262.12	*188.12*	*8.53*	*11.79*	-	*23.22*	*15.29*
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	**270.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	256.91	-	-	-	-	-	-
वित्त स्थिति (अतिरिक्त)लघु	**(2.96)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(5.21)	-	-	-	-	-	-
निवल मान्यता देयता	**2.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5.21	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि के खातें में मान्यता प्राप्त राशि :							
वर्तमान सेवा लागत	**20.86**	**45.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.58**
	18.36	*43.07*	-	-	-	-	*0.76*
ब्याज लागत	**20.33**	**11.78**	**0.63**	**0.93**	**-**	**-**	**0.96**
	19.60	*11.78*	*0.58*	*0.88*	-	-	*1.31*
योजना संपत्ति पर वापसी की उम्मीद	**20.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	18.97	-	-	-	-	-	-
निवल बीमांकिक नेट (लाभ)/हानि	**(13.55)**	**12.91**	**(2.14)**	**(5.32)**	**-**	**(4.61)**	**1.50**
	(13.52)	*2.02*	*1.34*	*0.09*	*(3.34)*	*5.07*	*(0.10)*
मान्य व्यय	**7.09**	**70.44**	**(1.51)**	**(4.39)**	**-**	**(4.61)**	**3.04**
	5.47	*56.87*	*1.92*	*0.97*	*(3.34)*	*5.07*	*1.97*
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता :							
प्रांरम्भिक निवल दायित्व	**5.22**	**188.12**	**8.53**	**11.79**	**-**	**23.22**	**15.29**
	13.05	*163.06*	*7.88*	*11.20*	*3.34*	*18.15*	*19.56*
मान्य व्यय	**7.09**	**70.44**	**(1.51)**	**(4.39)**	**-**	**(4.61)**	**3.04**
	5.47	*56.87*	*1.92*	*0.97*	*(3.34)*	*5.07*	*1.97*
भुगतान किये गये लाभ	**15.84**	**81.75**	**1.31**	**0.49**	**-**	**-**	**6.74**
	13.30	*31.81*	*1.27*	*0.38*	-	-	*6.24*
योगदान	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम निवल देयता	**(3.53)**	**176.81**	**5.71**	**6.91**	**-**	**18.61**	**11.59**
	5.22	*188.12*	*8.53*	*11.79*	-	*23.22*	*15.29*

नोट :

1. इटेलिक्स में दिये गये आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित है।
2. उपदान रोजगार उपरांत वित्तपोषित परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना है।
3. अन्य लाभ गैर वित्तपोषित परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े
नोट 27 : कर्मचारी लाभ खर्च		
क. बीमांकिक मान्यताए		
मृत्यु–संख्या सारणी (एलआईसी)	एलआईसीआई 1994 -1996	एलआईसीआई 1994 -1996
छूट दर		8.00%8.00%
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	8.00%	8.00%
वेतन में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

भविष्य में वेतन वृद्धियों के अनुमानों को बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर विचार किया गया है। इसके अलावा योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी का निर्धारण कई लागू कारकों, जिनमें मुख्यतः धारित योजना परिसंपत्तियों का संचयन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजनागत परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक वापसी शामिल है, के आधार पर किया जाता है।

ख. योजनागत परिसंपत्तियों का निवेश विवरण

	₹ करोड़ में	%	₹ करोड़ में	%
बीमित प्रबंधित निधि	270.93	99.99	256.89	99.99
अन्य	0.03	0.01	0.02	0.01
योग :	**270.96**	**100.00**	**256.91**	**100.00**
ग. योजना संपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न		**₹ 24.39 करोड़**		**₹ 17.05 करोड़**

घ. विभिन्न परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्मानुसार हैः

(i) **भविष्य निधि** : कंपनी अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर नियम अंशदान का भुगतान करती है, जो इसे अनुमतेय सिम्यूरिटीज में निवेश करता है। अंशदान पर ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर पर ब्याज का भुगतान करना होता है। कंपनी का दायित्व घोषित ब्याज की तुलना में इसके निवेशों पर रिटर्न के आधार पर अंशदान पर ब्याज दर में कमी के तौर पर सीमित रहता है।

(ii) **पेन्शन कोष** : कंपनी पीएफआरडीस ट्रस्टी बैंकों एक नियमत अंशदान का भुगतान करती है, जो इस राशि को संबंधित कर्मचारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के पास निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही समिति होती है।

(iii) **उपदान** : उन कर्मचारियों को उपदान देय होती है जो पांच या अधिक वर्ष की नियमित सेवा करते हैं जो कि प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 15 दिनों के आधार पर (बेसिक जमा मंहगाई भत्ता) अधिकतम 10,00,000/– के विषयाधीन प्रदान की जाती है। उपदान का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान योजना के तहत देयताएं निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त होती हैं।

(iv) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ** : ये लाभ सेवानिवत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/कंपनी द्वारा अधिसूचित अस्पतालों में उपलब्ध होता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के विषयाधीन बहिरंग रोगी के तौर पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(V) **सेवानिवृत्ति लाभ** : कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/सेवाकाल समाप्ति पर कर्मचारी या परिवार अंतिम मुख्यालय से गृह नगर या किसी अन्य पुनर्वास स्थान के लिए कंपनी द्वारा यथा निर्धारित यात्रा भत्ता (टीए नियमों के तहत) के हकदार होते हैं। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(vi) **लंबी सेवा का पुरस्कार** : जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं वे लंबी सेवा पुरस्कार के हकदार होते हैं जो कि एक माह के मूल वेतन के बराबर होता है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(ix) **एनईएफएफएआरएस** : अशक्ततता/मृत्यु के मामले में कंपनी कर्मचारी/वैधानिक हकदार को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ प्रदान करती है और एक निर्धारित राशि योजना के तहत निर्धारित किए अनुसार सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक जमा कराती है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(x) **अवकाश नकदीकरण** : संचित अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश और बीमारी के लिए निर्धारित अवकाश से जुड़े लाभ कंपनी से अलग होने पर देय होता है जो कि कंपनी के अवकाश नियमानुसार अधिक निर्धारित सीमा के विषयाधीन प्रदान किया जाता है। सेवा की अवधि के दौरान संचित छुटियों के नकदीकरण भी वर्ष में एक बार की सीमा के विषयाधीन अनुमति होती है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

नोट 28 : वित्त लागत

ब्याज व्यय				
लघु अवधि के ऋण पर ब्याज	2.14		0.76	
अन्य उधारी की लागत				
डिस्काउंट बिलों पर ब्याज	-		0.11	
विदेशी मुद्रा लेनदेन और ट्रांसलेशन पर लागू निवल (लाभ)/हानि				
ब्याज लागत का समायोजन	5.31		-	
योग :		**7.45**		**0.87**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े		पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	
नोट 29: मूल्यह्रास और एमोरटाइजेशन व्यय					
वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास		493.52		466.47	
घटाएं: पूंजी खाते में अंतरित		0.03		0.04	
घटाएं: सब्सिडी रिज़र्व में अंतरित		0.05		-	
	उप योग :	493.44		466.43	
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		11.99		0.12	
योग :			**505.43**		**466.55**
नोट 30 : अन्य व्यय					
मरम्मत और रखरखाव					
बिल्डिंग मरम्मत		37.37		35.25	
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत		123.06		111.52	
अन्य मरम्मत		12.56		11.87	
	उप योग :		**172.99**		**158.64**
स्टोर और स्पेयर पार्टस आदि की खपत					
स्टोर और स्पेयर*		272.59		303.57	
उपभोज्य		109.40		100.92	
	उप योग :		**381.99**		**404.49**
अन्य मैनुफैक्चरिंग व्यय					
रॉयल्टी उपकर		67.70		65.63	
जल प्रभार		23.80		23.44	
अन्य		42.89		36.14	
	उप योग :		**134.39**		**125.21**
फ्रेट और अगेषण व्यय					
आवक सामग्री		80.75		68.62	
जावक सामग्री		105.83		69.17	
	उप योग :		**186.58**		**137.79**
किराया			**2.32**		**1.29**
दरें और कर			**3.05**		**2.70**
बीमा			**5.76**		**4.99**
लेखा परीक्षकों के लिए भुगतान					
लेखा परीक्षकों के रूप में		0.16		0.14	
कराधान के मामले के लिए		0.03		0.03	
कंपनी कानून के मामले के लिए		0.12		0.10	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.11		0.14	
	उप योग :		**0.42**		**0.41**
लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान			**0.02**		**0.02**
सुरक्षा और आग से लड़ने के व्यय			**69.82**		**60.93**
सीएसआर व्यय			**30.99**		**34.22**
विविध					
प्रशासनिक और समान्य व्यय		93.47		100.34	
विवादित सरकार और दूसरों पर ब्याज देय राशि		168.50		131.30	
बिक्री और वितरण व्यय		20.58		15.34	
अन्य		27.69		29.26	
प्रावधान		24.99		1.29	
	उप योग :		**335.23**		**277.53**
इससे पहले साल से संबंधित समायोजन			**(3.73)**		**(6.76)**
योग :			**1,319.83**		**1,201.46**

*मरम्मत ओर रखरखाव में सम्मिलित नही हैं

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े	पिछले समीक्षाधीन अवधि के अंत के रूप में आंकड़े
नोट 31 : असाधारण मदें		
कर्मचारी लाभ व्यय*	-	140.61
विद्युत और ईंधन (विद्युत शुल्क)**	-	(118.71)
योग :	**-**	**21.90**

*कार्यपालकों को वित्तीय वर्ष 2007–08 से देय कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) को 2011–12 के दौरान अंतिम रूप दिया गया। 31.3.2011 तक प्रावधान की गई देनदारी से अलग अतिरिक्त भार रु. 54.77 करोड़ मुख्यतः वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी कुछ नये स्पष्टीकरणों के वजह से है। यूनियनकृत कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि वेतन समझौते के अनुरूप, नई पेशन योजना के अधीन 31.3.2011 तक पेंशनल लाभ के लिए अंशदान वर्ष 2011–12 के लिए उपलब्ध करवाया गया है जिसकी राशि रु. 85.84 करोड़ बनती है।

**माननीय ओड़िशा उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, विद्युत की ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन हानि बिजली शुल्क के उपकर के विषयाधीन नहीं है और भुगतान की गई राशि, यदि कोई है प्रतिदेय है। इस खाते में वर्ष 2010–11 की देय राशि का प्रभाव रु. 118.71 करोड़ को पुनर्लिखित किया जा चुका है।

नोट 32 : विदेशी मुद्रा पर किया गया व्यय

व्यवसायिक और परामर्श शुल्क	8.55		9.31	
अन्य व्यय	0.83		0.75	
योग :		**9.38**		**10.06**

नोट 32 : विदेशी मुद्रा से आय

माल के निर्यात के एफओबी के आधार पर गणना	3,376.35		2,556.93	
अन्य आय (डिस्पैच दावाकृत राशि)	1.15		0.85	
योग :		**3,377.50**		**2,557.78**

नोट 34 : सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य

कच्चा माल	129.83		181.37	
कोयला	266.73		301.74	
घटक और स्पेयर पार्टस	79.63		75.55	
पूँजीगत माल	68.57		60.93	
योग :		**544.76**		**619.59**

नोट 35 : कच्चे माल, हिस्से कल पुर्जो आदि का मूल्य

	मूल्य	%	मूल्य	%
क) कच्चा माल				
आयातित	152.19	13.03	163.17	15.75
स्वदेशी	1,015.64	86.97	873.11	84.25
योग :	**1,167.83**	**100.00**	**1,036.28**	**100.00**
ख) स्पेअर पार्टस और घटक				
आयातित	105.77	27.69	143.79	35.55
स्वदेशी	276.22	72.31	260.70	64.45
योग :	**381.99**	**100.00**	**404.49**	**100.00**

नोट सं. 36 : नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ):

ओड़िशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप, नालको पर एक दायित्वपूर्ण संस्था होने के नाते, इसकी कुल खपत की 5.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.00 प्रतिशत) विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से पैदा करने का दायित्व है जिसमें 3.95 प्रतिशत (पिछले वर्ष 3.70 प्रतिशत) सह–उत्पादन से, 0.15 प्रतिशत (पिछले वर्ष 0.10 प्रतिशत) सौर नवीकरणीय स्रोत और 1.40 प्रतिशत (पिछले वर्ष 1.20प्रतिशत) गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से सम्मिलित है। कंपनी ने रिफाइनरी यूनिट में स्टीम पावर प्लांट से विद्युत के सह–उत्पादन के लिए वर्ष 2012–13 के लिए इसकी सह–उत्पादन की अपेक्षा को पूरा किया

कंपनी ने सौर और गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से विद्युत उत्पादन के दायित्व को पूरा न करने के कारण वर्ष के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के प्रति रु. 19.59 करोड़ (पिछले वर्ष 29.29 करोड़) की राशि उपलब्ध कराई है। सौर और गैर सौर दायित्व को लेकर वर्ष के अंत में आईईएक्स और पीएक्सआईएल पर उद्धृत संबंधित प्रमाणपत्रों के भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है।

नोट सं. 37: 15 मिनट स्लॉट की दर पर बिलिंग के तौर पर जीआरआईडीसीओ द्वारा अतिरिक्त दावा

वर्ष के दौरान जीआरआईडीसीओ ने 15 मिनट स्लॉट की दर से बिलिंग की राशि पर अतिरिक्त प्रभारों के तौर पर कंपनी पर मैसर्स जीआरआईडीसीओ ने रू 15.56 करोड़ का दावा किया है (दिसंबर 2011 से जनवरी 2013 तक) (सीपीपी द्वारा इंजेक्शन और रिफाइनरी द्वारा प्रत्येक 15 मिनट स्लॉट पर निकासी). जीआरआईडीसीओ द्वारा दावा की गई अतिरिक्त राशि कंपनी द्वारा इसकी रिफाइनरी यूनिट के लिए बेपरवाह विद्युत निकासी के एक अंश के तौर पर विचार करते हुए की गई है। राशि को स्वीकार करते हुए, जीआरआईडीसीओ द्वारा यथा दावाकृत बेपरवाह विद्युत को जीआरआईडीसीओ द्वारा विचारित मूल्य पर क्रय की गई विद्युत माना गया है। इस सीमा तक रिफाइनरी में विद्युत निकासी मात्रा को क्रय की गई विद्युत मान लिया गया है। कंपनी ने जीआरआईडीसीओ के उक्त दावो को मार्च 2.13 माह तक की अनुमानित अतिरिक्त देनदारी सहित रु. 17.12 करोड़ के तौर पर स्वीकार कियाहै।

नोट सं.38 संयुक्त नियंत्रित परिसंपत्तियां

कंपनी ने मेसर्स आदित्य एल्यूमिनियम और मेसर्स उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ उनके संबंधित परिसारों को विद्युत की आपूर्ति के लिए आड़िशा राज्य के कोरापुट जिले के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में एक 220 केवी स्विच स्टेशन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रत्येक लाभार्थी का पूंजी व्यय में समान अनुपात में हिस्सा है। कंपनी द्वारा संयुक्त नियंत्रित परिसंपत्ति में निवेश की कुल राशि 31.3.2013 को रु. 8.13 करोड़ है और इसमें प्रगति पर पूंजीगत शामिल है। सुविधा को पूर्णतः लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा और प्रचालन और अनुरक्षण खर्चे भी मिलकर वहन करेंगे।

नोट सं. 39 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देयबकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान करते हुए किया गया है।

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
i)	बकाया मूलधन	0.85	0.78
ii)	बकाया मूलधन पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियुक्ति दिवस से परे अदा किया गया ब्याज एवं मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान करने में देरी (जो अदा किया गया है मगर वर्ष के दौरान नियुक्त दिवस से परे) की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि जोड़ बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की रकम एवं अदेय	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बंद के वर्षो में भी ऐसी तिथि तक देय जब तक उक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृतियों के उद्देश्य के लिए लघु उद्यमियों को वस्तुतः भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

नोट सं. 40 : वर्ष के लिए लाभांश :

40.1 कंपनी ने वर्ष 2012–13 के लिए रु. 5/– प्रति इक्विटी शेयर पर रू 0.75 के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। (पिछले वर्ष रु. 5/– के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 0.90)

40.2 वर्ष 2012–13 के लिए रु. 5/– के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 0.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश का प्रावधान (पिछले वर्ष रु. 5/– के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु. 0.10 प्रति इक्विटी शेयर)

40.3 वर्ष 2012–13 के लिए कुल लाभांश रु. 5/– प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1.25/– बनता है। (पिछले वर्ष रु. 5/– के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1/– प्रति इक्विटी शेयर) वर्ष 2012–13 के दौरान प्रस्तावित लाभांश की कुल राशि रु. 322.15/– करोड़ है। (पिछले वर्ष रु. 257.72 करोड़)

नोट सं. 41 : लेखा नीति / व्यवहार में परिवर्तन :

44.1 पूर्वावधि और प्रीपेड खर्चों की सीमा में वृद्धि। वर्ष के दौरान पूर्व भुगतान के लिए सीमा प्रत्येक मामले में रु. 1.00 लाख से प्रत्येक मामले में रु. 5.00 लाख कर दी गई है। वर्ष के दौरान पूर्वावधि लेनदेन के लिए सीमा प्रत्येक मामले में रु. 1.00 लाख से बढ़ाकर प्रत्येक मामले में रु. 500 लाख कर दी गई है। लेकिन नीति में परिवर्तन के कारण चालू वर्ष के लिए कंपनी की कुल लाभदायकता में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के खर्चों और पूर्वावधि खर्चों के बीच रु. 0.43 करोड़ के आंकड़े पुनः वर्गीकृत किये गये हैं।

41.2 आरक्षित पूंजी से सब्सिडी रिजर्व में अंतर से सरकारी अनुदान के व्यवहार में परिवर्तन।

सरकार से वित्तीय अनुदान से अर्जित अचल परिसंपत्तियां लागत में पिछले वर्ष तक आरक्षित पूंजी में प्राप्त सहायता में अनुदान को जमा करके दर्शाया गया है और प्रत्येक वर्ष के लिए उक्त परिसंपत्ति पर तत्स्थानी मूल्यह्रास को आरक्षित पूंजी और सामान्य आरक्षित / अधिशेष के बीच समायोजित किया गया है।

वर्ष के दौरान उक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की राशि को समान राशि सब्सिडी रिजर्व से अंतरित करके घटाई गई है।

नीति में इस परिवर्तन के प्रभाव से लाभ में 0.50 करोड़ की वृद्धि हुई है।

नोट सं. 42 : पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरणः

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं ज़रूरी है पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट सं. 43 : संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

43.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊण्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" पर एएस–18 के अनुसार, वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के नाम नीचे दिये गये हैंः–

i) पूर्णकालिक निदेशकगण :

क) श्री अंशुमान दास
ख) श्री बी.एल बागड़ा
ग) श्री एस.एस. महापात्र
घ) श्री एन.आर. महन्ति
च) श्री एस सी पाढ़ी (20.20.012 से)
छ) श्री जॉय बर्गीज (31.08.2012 तक)
ज) श्री ए के श्रीवास्तव (11.12.2012 तक)

ii) अंशकालीन कार्यालयीन निदेशकरण (भारत सरकार के नामित)

क) श्री एस. के. श्रीवास्तव, आईएएस (24.09.2012 तक)
ख) श्री अरूण कुमार, आईएएस (30.04.2012 से 26.02.2013 तक)
ग) सुश्री गौरी कुमार, आईएएस (24.09.2012 से)
घ) श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, आईएएस (26.02.2013 से)

iii) अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

क) श्री वेद कुमार जैन
ख) श्री पी.सी. शर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त)
ग) श्री जी.पी जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त)
घ) श्री एस.एस. खुराना
च) श्री मधुकर गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त)
छ) श्री जी.एच. अमीन
ज) क्वाशिर शमीम (10.07.2012 से)
झ) श्री संजीव बत्रा (10.07.2012 से)

iv) संयुक्त उद्यमः

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	संयुक्त उद्यम में हिस्सा	2012–13 के दौरान कारोबार	2011–12 के दौरान कारोबार
01	अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमि.	भारत	49.50 प्रतिशत	शून्य	रु. 0.99 करोड़ का इक्विटी अंशदान
02	एनपीसीआईएल–नालको पावर कंपनी लिमि.	भारत	26.00 प्रतिशत	रु. 0.03 करोड़ का इक्विटी अंशदान	शून्य

43.2 संबंधित पार्टी और लेनदेन :

पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक और ऋण का विवरण नीचे दिए गये हैं :

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	वित्तीय वर्ष
1.	**पूर्णकालिक निदेशकों का परिश्रमिक :**		
	वेतन	2.01	1.74
	कंपनी को भविष्यनिधि में अंशदान	0.12	0.14
	चिकित्सा लाभ	0.01	0.02
	अन्य लाभ	0.07	0.12
	योग :	2.21	2.02
2.	**निदेशकों से बकाया ऋण/अग्रिम :**		
	वर्ष के अन्त में बकाया	0.07	0.08
	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि	0.10	0.08

5 वर्षों का कार्यनिष्पादन एक नज़र में – भौतिक

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	उत्पादन :						
	बॉक्साइट	एमटी	5,419,391	5,002,626	4,823,908	4,878,888	4,700,027
	एल्यूमिना हाईड्रेट	एमटी	1,802,000	1,687,000	1,556,000	1,591,500	1,576,500
	एल्यूमिनियम	एमटी	403,384	413,089	443,597	431,488	361,262
	विद्युत (निवल)	एमयू	6,076	6,200	6,608	6,293	5,541
	पवन विद्युत	एमयू	14	-	-	-	-
2	निर्यात बिक्री :						
	एल्यूमिना	एमटी	944,117	792,552	639,855	702,554	851,886
	एल्यूमिनियम	एमटी	144,161	98,399	98,200	146,947	82,317
3	घरेलु बिक्री :						
	एल्यूमिना, हाईड्रेट और अन्य रसायन	एमटी	40,605	50,253	45,916	44,420	37,637
	एल्यूमिनियम	एमटी	258,941	317,517	340,752	289,032	271,274
	विद्युत (निवल)	एमयू	26	16	56	15	81
	पवन विद्युत	एमयू	14	-	-	-	-

5 वर्षों का कार्यनिष्पादन एक नज़र में – वित्तीय (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
क	**आय का विवरण :**					
1	निर्यात	3,410	2,569	2,065	2,209	2,085
2	घरेलू बिक्री	3,837	4,358	4,305	3,101	3,446
3	सकल बिक्री (1+2)	7,247	6,927	6,370	5,310	5,531
4	घटाएं : उत्पाद शुल्क	438	427	411	256	423
5	शुद्ध बिक्री (3 - 4)	6,809	6,500	5,959	5,054	5,108
6	अन्य आय :					
7	परिचालन	107	112	98	119	123
8	गैर–परिचालन	511	542	353	374	400
9	परिचालन व्यय	6,010	5,467	4,464	4,071	3,427
10	परिचालन व्यय (5+7-9) विशेष व्यय	906	1,145	1,593	1,102	1,804
11	विशेष व्यय	-	22	-	-	-
12	ब्याज, मूल्य ह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8 -11)	1,417	1,665	1,946	1,476	2,204
13	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	7	1	-	2	4
14	मूल्य ह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(12-13)	1,410	1,664	1,946	1,474	2,200
15	मूल्य ह्रास एवं ऋण शोधन	505	467	422	319	273
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)(14-15)	905	1,198	1,524	1,155	1,927
17	कर के लिए प्रावधान	312	348	455	341	655
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16 - 17)	593	850	1,069	814	1,272
ख	**तुलन पत्र :**					
19	इक्विटी पूँजी	1,289	1,289	1,289	644	644
20	आरक्षित एवं अधिशेष	10,644	10,426	9,876	9,751	9,126
21	शुद्ध धन (19+20)	11,933	11,715	11,165	10,395	9,770
22	बकाया ऋण	-	-	15	9	-
23	शुद्ध अचल परिसंपत्तियां	6,629	6,612	5,494	4,836	4,032
24	चालू परिसंपत्तियां	3,411	4,193	3,304	2,998	2,596
25	नियोजित पूँजी (23+24)	10,040	10,805	8,798	7,834	6,628
ग	**अनुपात :**					
26	परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	13.31	17.62	26.73	21.80	35.32
27	शुद्ध लाभ मार्जिन (%) (18 / 5 *100)	8.71	13.07	17.94	16.11	24.90
28	नियोजित पूँजी पर रिटर्न (आरओसीई) (%) (18/25*100)	5.91	7.86	12.15	10.39	19.19
29	शुद्ध धन पर रिटर्न (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	4.97	7.25	9.57	7.83	13.02
घ	**अन्य :**					
30	रु. 5/– प्रति शेयर का बुक वैल्यू (₹ में)	46.30	45.46	43.32	40.34	37.91
31	प्रति शेयर आय (₹ में)	2.30	3.30	4.15	3.16	4.94
32	लाभांश (₹ प्रति शेयर)	1.25	1.00	2.50	2.50	5.00

वर्ष 2011–12 के लिए प्रकाशित तिमाही (अनअंकेक्षित) परिणामों तथा वार्षिक (अंकेक्षित) वित्तीय परिणामों का समन्वय

(₹ करोड़ में क्रम सं. 10 और 11)

क्रम संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनर्रीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनर्रीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनर्रीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनर्रीक्षित)	चारो तिमाही का योग	पूर्ण वर्ष (पुनर्रीक्षित)	फर्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सकल बिक्री कारोबार	1827.63	1704.74	1776.38	1938.42	7247.17	7247.17	-
	घटाएं : उत्पाद शुल्क	109.33	118.82	106.32	103.25	437.72	437.72	-
	शुद्ध बिक्री	1718.30	1585.92	1670.06	1835.17	6809.45	6809.45	-
2	अन्य आय	170.07	161.50	135.44	151.07	618.08	618.08	-
3	कुल व्यय	1443.85	1609.96	1510.16	1445.64	6009.61	6009.61	-
4	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	3.17	4.07	0.21	-	7.45	7.45	-
5	मूल्य ह्रास एवं प्रावधान	122.35	123.92	123.11	136.05	505.43	505.43	-
6	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	319.00	9.47	172.02	404.55	905.04	905.04	-
7	कराधान के लिए प्रावधान	95.92	4.69	53.08	158.52	312.21	312.21	-
8	शुद्ध लाभ (पीएटी)	223.08	4.78	118.94	246.03	592.83	592.83	-
9	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	5154.48	1288.62	-
10	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिक नही)	0.87	0.02	0.46	0.95	2.30	2.30	-
11	गैर प्रमोटर शेयर धारक का कुल योग							
	शेयरों की संख्या	331,239,972	331,239,972	331,239,972	488,178,890	488,178,890	488,178,890	
	शेयर धारण का प्रतिशत	12.85	12.85	12.85	18.94	18.94	18.94	

नालको के विभिन्न उत्पादन इकाइयां, उनके स्थान और स्थापित क्षमताएं

1. बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	63,00,000 टन प्रति वर्ष
2. एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोडी	21,00,000 टन प्रति वर्ष
3. स्मेल्टर संयंत्र	अनगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4. केप्टिव पावर पलांट	अनगुल	1,200 मेगावाट
5. पत्तन सुविधाएं	विशाखापत्तनम	10,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात) (कॉस्टिक सोडा लाई का आयात)
6. विंड पावर	गंडिकोटा, आं.प्र.	50.4 मेगावाट
	जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट

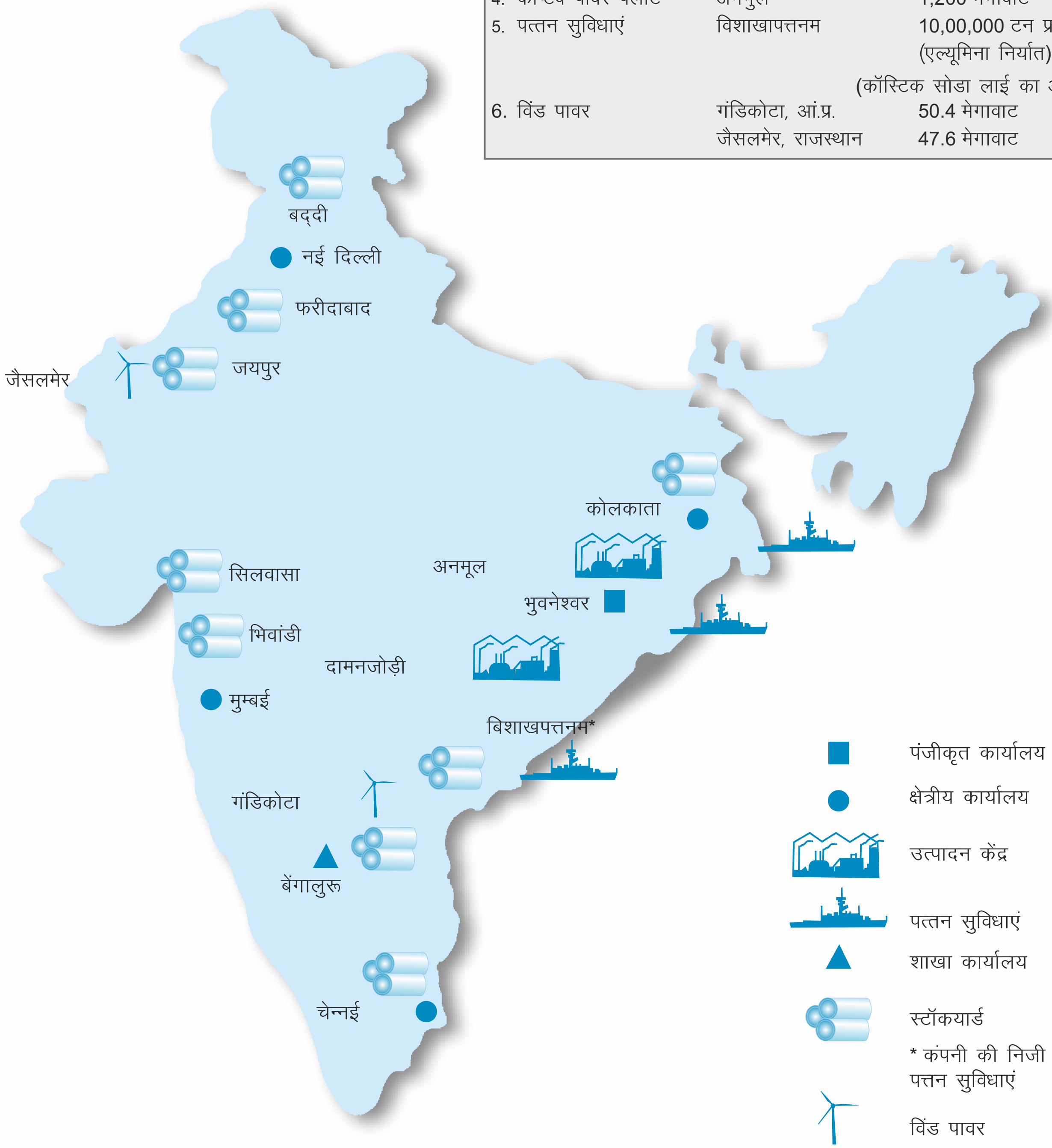

कार्यालय एवं ग्राहक सम्पर्क केन्द्र

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय

नालको भवन,
प्लॉट नं. पी/1 नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751 061 (ओड़िशा)
दूरभाष : 0674-2301988 से 2301999

इकाईयाँ

1. खान एवं परिशोधन
खान एवं परिशोधन संकुल
दामनजोड़ी – 763 008
जिला : कोरापुट (ओड़िशा)
दूरभाष : 06853-254515/254550
254251

2. ग्रहीत विद्युत संयंत्र

जिला : अनगुल (ओड़िशा)
पिन : 759 122
दूरभाष : 06764-220158
फैक्स : 06764-220646

3. प्रदावक संयंत्र

नालको नगर - 759 145
जिला : अनगुल (ओड़िशा)
दूरभाष : 06764-220110
फैक्स : 06764-220738/220206

पत्तन सुविधाएं

विशाखापत्तनम

ओर हैंडलिंग कॉम्पलेक्स के सामने
पत्तन क्षेत्र
विशाखापत्तनम - 530 035
आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2561433/2561435
फैक्स : 0891-2561598
इ–मेल : gmport@nalcoindia.co.in

पारादीप (पत्तन कार्यालय)

'वी' पाइंट

बड़पड़िया
पारादीप : 751142
दूरभाष : 06722-221286
फैक्स : 06722-221286
इ–मेल : nalco_paradeep@nalcoindia.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. पूर्वी क्षेत्र
प्रथम तल, जेके मिलेनियम सेन्टर
46–डी, चौरंगी रोड,
कोलकाता - 700 071
दूरभाष : 033-22870115/22877363
फैक्स : 033-22810393

1. पश्चिमी क्षेत्र
215, टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट
एस के अहिरे मार्ग, वर्ली,
मुम्बई - 400 025
दूरभाष : 022-24939288/89
फैक्स : 022-24950500
इ–मेल : mldewangan@nalcoindia.co.in

3. उत्तरी क्षेत्र
कोर -4, 5वी मंजिल, साउथ टावर
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार
लक्ष्मी नगर दिल्ली 110 092
दूरभाष : 011-22010792-97, 22010801
फैक्स : 011-22010800/22010790
इ–मेल : nsundaray@nalcoindia.co.in

4. दक्षिणी क्षेत्र
3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सलाई,
टेयनमपेट, चेन्नई - 600 018
दूरभाष : 044-24344162/24349157
फैक्स : 044-24343495
ई–मेल : rmsouth@nalcoindia.co.in

शाखा कार्यालय
1. बेंगालूरू
तीसरी मंजिल, रेशमा कॉम्पलेक्स,
50, एम जी रोड, बेंगालूरू-560 001
दूरभाष : 080-25550390/25587086/298
फैक्स : 080-25586151
ई–मेल : mktbir@sify.com

भंडार परिसर
1. भिवंडी
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
गोदाम सं. 42/57 इंडियन कार्पो, कम्पाउण्ड
मनकोली नाका, मुंबई नासिक रोड,
भिवंडी
दूरभाष : 02522-277283/9820844526

2. कोलकाता
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
डब्ल्यूएच, 1-सोनपुर रोड, कोलकाता - 700 088
दूरभाष : 033-24495298
(एक्सटेंसन. 340 और 324)

3. बेंगालूरू
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
इनलैण्ड कंटेनर डिपो
वेयर हाउस नं. 3, व्हाइटफील्ड रोड़,
बेंगलूरू - 560 066
दूरभाष : 080-28451327/28
फैक्स : 080-28451329

4. जयपुर
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
सेंट्रल वेयरहाउस
एसपी-1296, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया
टांक रोड, जयपुर - 302 022
दूरभाष : 0141-2770226/2770817

5. सिलवासा
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा एनआईसी लिमिटेड
गोदाम : शालीमार इंटरप्राइजेज कॉर्पोरेशन
80/4, दयात फालिया रोड,
आमली (पिपरिया), सिलवासा-396 230
संघराज्य, (केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली)
दूरभाष : 0260-2632883/2641436

6. फरीदाबाद
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
इंडिया गैरेज इक्विपमेंट,
प्लॉट नं. 51, सेक्टर-6
फरीदाबाद, हरियाणा - 121 003
दूरभाष : 0129-4102430/4044098

7. विशाखापत्तनम
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएं
पोर्ट एरिया, विशाखापत्तनम - 530 035
गोदाम : शालीमार इंटरप्राइजेज कार्पोरेशन
आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2721032

8. बद्दी
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
सूर्या पाउडर कम्पनी लिमिटेड के सामने
ग्राम : धरमपुर, थाना रोड,
पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़,
जिला : सोलन (हिमपचल प्रदेश)
दूरभाष : 0179-5652114/5657114

9. चैन्नई
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड आर एम. डिपो
एनआईसी टेक्निकल सर्विस सेंटर
फेज-I, बी-24, गुइंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट
चैन्नई - 600 032
दूरभाष : 044-22252338

नालको NALCO

नेशनल इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस मेंडेट फार्म

(कृपया सूचनाओं को बड़े अक्षरों में भरें। जहां भी लागू हो कृपया सही का निशान लगाएं)

1. फोलियों संख्या

2. प्रथम शेयरधारक का नाम श्री / श्रीमती / कुमारी / सर्वश्री ______________________

3. प्रथम शेयरहोल्डर का पता : ______________________

पिन कोड :

4. बैंक का विवरण :

बैंक का नाम

शाखा का नाम

पता

शाखा कोड (चेक के एमआईसीआर बैण्ड पर दर्शाए गए 9 अंकों का एमआईसीआर कोड)

(पूरी तरह से रद्द किया हुआ आपके बैंक का चेक या एक कोरे चेक की फोटो प्रति कृपया संलग्न करें)

खातें का प्रकार

एसबी ☐ सीए ☐ सीसी ☐

खाता संख्या

5. जिस तारीख से मेंनडेट प्रभावी होगा : ______________________

मैं एतदद्वारा यह घाषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण पूरी तरह से सही एवं सम्पूर्ण है। सूचनाओं के असम्पूर्ण या असत्य होने की वजह से अगर लेन–देन विलंबित हो जाता है या प्रभावी नही होता है तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। अगर मेरे खातें के विवरणों में कोई भी परिवर्तन होता हैं। तो मैं इसीएस (क्रेडिट क्लीयरिंग) के जरिए राशि के जमा होने के उद्देश्य के लिए रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु उसकी जानकारी भी दूँगा।

शेयरधारका का हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक :
नोट: अगर शेयरधारक कोरे चेक की फोटो प्रति संलग्न करने की स्थिति में नही है, तो इस मामले मे नीचे उल्लिखित अनुसार एक प्रमाणपत्र बैंक से लकर जमा करना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है।

बैंक की मुहर :
दिनांक :

बैंक के अधिकृत कार्मिक का हस्ताक्षर

National Aluminium Company Limited, Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar – 751 061,
INDIA. Tel.0674-2300677/2301988-99, www.nalcoindia.com

वैश्विक दायरा

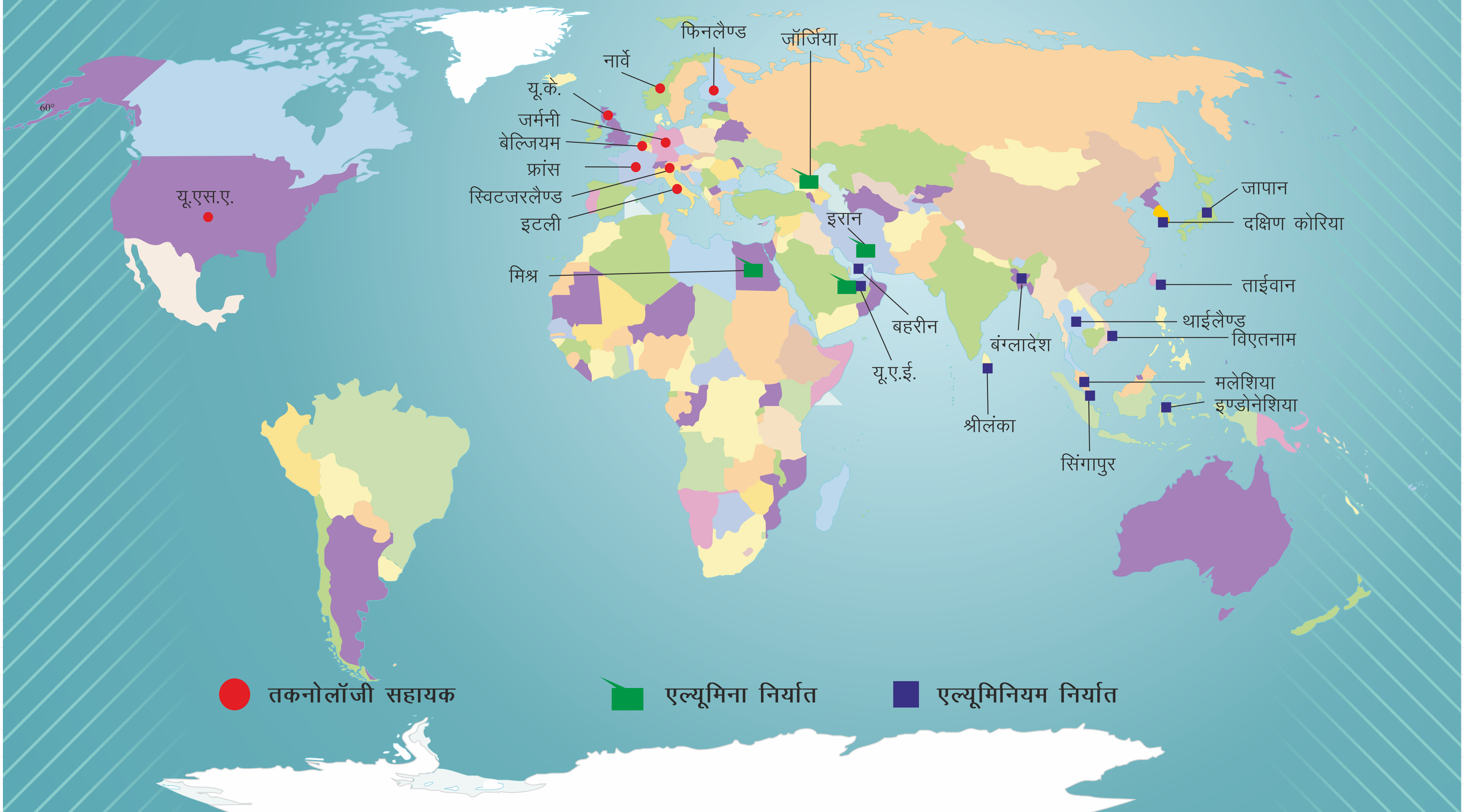
60°
यू.एस.ए.
फिनलैण्ड
जॉर्जिया
नार्वे
यू.के.
जर्मनी
बेल्जियम
फ्रांस
स्विटजरलैण्ड
इटली
मिश्र
इरान
बहरीन
यू.ए.ई.
बंग्लादेश
श्रीलंका
जापान
दक्षिण कोरिया
ताईवान
थाईलैण्ड
विएतनाम
मलेशिया
इण्डोनेशिया
सिंगापुर
तकनोलॉजी सहायक
एल्यूमिना निर्यात
एल्यूमिनियम निर्यात

एक सामाजिक उत्तरदायी उपक्रम

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

National Aluminium Company Limited

A Navratna PSU under Ministry of Mines
(Government of India)
www.nalcoindia.com

Newfields Advertising/Thomson Press